खण्ड-199, अंक-6
बुधवार, 12 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(3 दिसम्बर, 1958 ई0)

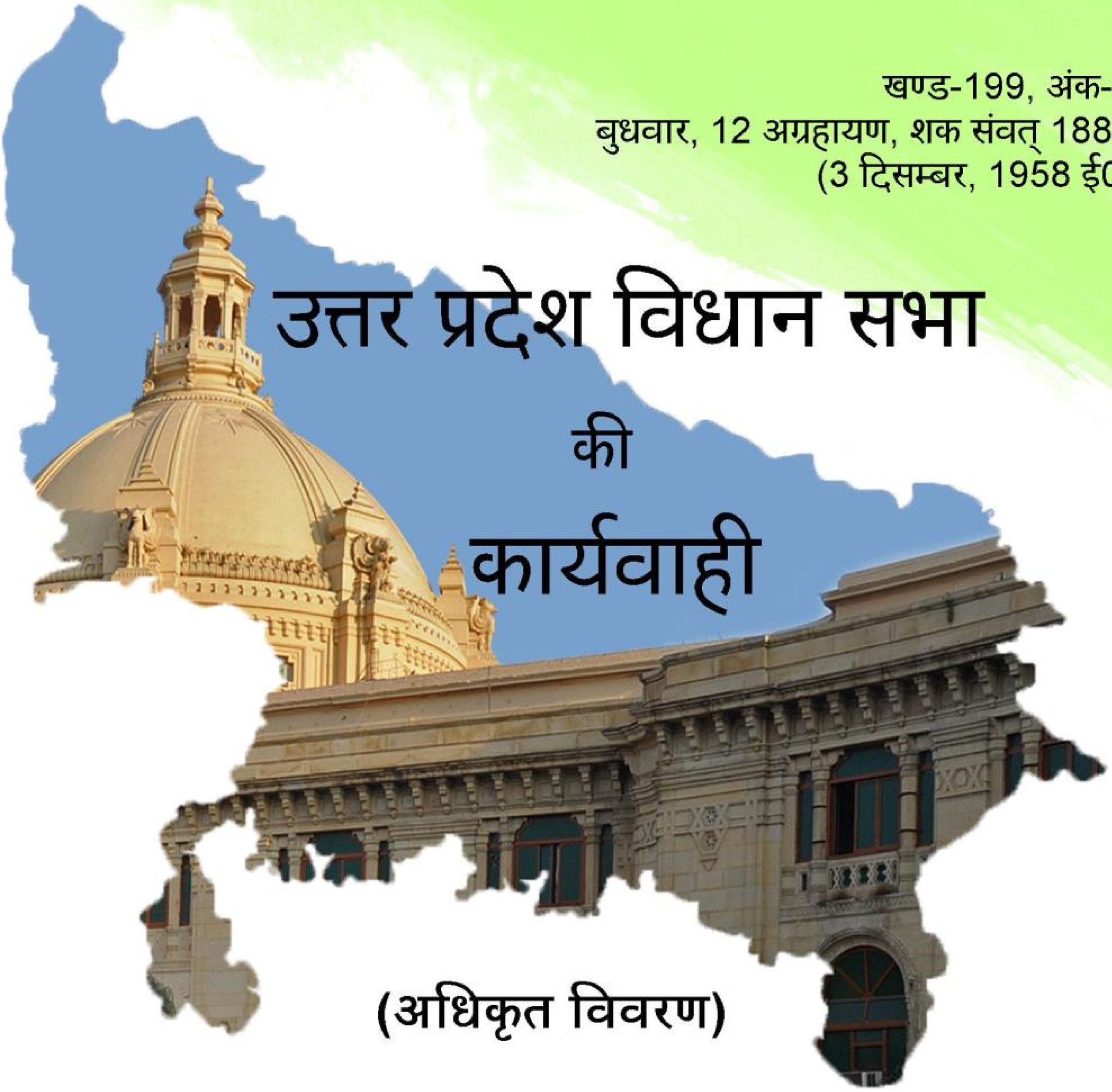

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गँदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती

राजेंद्रकुमारी, श्रीमती
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामभूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेंद्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

(राजस्व मंत्री द्वारा १-१२-५८ के स्थगित प्रश्न)

नैनीताल जिले में सिंचाई की योजनायें तथा नहरों में पानी न आने की शिकायत

*१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा नैनीताल जिले में बनायी गई चौसला, लोहाली व भीमताल नहरों में पानी नहीं चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)--गत वर्ष वर्षा न होने के कारण नहरों में पानी का अभाव रहा इसलिये पानी चौसला और लोहाली नहरों की टेल तक नहीं पहुंच पाता था अब वर्षा प्रारम्भ हो जाने पर इन नहरों में संतोषजनक मात्रा में पानी चल रहा है। भीमताल नहर सुचारु रूप से चल रही है।

*२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जिले में इस समय सिंचाई विभाग द्वारा कौन कौन सी सिंचन योजनायें परिचालित की जा रही हैं?

श्री धर्मसिंह--निम्नलिखित सिंचन योजनायों पर कार्य समाप्त किया जा चुका है:-

योजना			अनुमानित लागत	सिंचन क्षेत्र (एकड़)
			रु०	
१--पटकोट नहर	..	..	६९,६६०	७००
२--अमतोली नहर	..	..	४२,०५४	४००
३--गदेला नहर	..	..	२७,९७९	५०
४--मफेड़ा नहर	..	..	१,३२,३५९	१२०
५--पाडली नहर	..	..	४९,७९५	२००
६--हंसरामपुर नहर	..	..	७,७६९	२०
७--फतेहपुर नहर	..	..	२७,३७७	२००

योजना का नाम		अनुमानित लागत	सिंचन क्षेत्र (एकड़)
		रु०	
८—निवाड़ सलानी नहर	..	३६,१४४	२००
९—नौकुचिया तालकट नहर	..	८१,५१६	२००८
१०—भीमताल नहर ..	..	१,२६,७९७	६५०
११—लोहाली नहर ..	..	६६,७२८	३००
१२—रानीबाग नहर ..	..	९३,३२६	३००
१३—घोड़ियाहल्सों नहर ..	..	८४,६४६	२००
१४—बसानी नहर ..	..	२३,३५८	३००
१५—चौसिला नहर ..	..	३६,९९६	२४०
१६—भलौन नहर ..	..	३०,६१४	४००

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नैनीताल जिले के हेतु कौन-कौन सी भू-सिंचन योजनायें पूर्ण किये जाने के हेतु निश्चित की गयी हैं ?

श्री धर्मसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नैनीताल जिला की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने की योजना है ।

योजना का नाम		अनुमानित लागत	सिंचन क्षेत्र (एकड़)
		रु०	
१—कुलगढ़ नहर	..	१०,०००	६०
२—रौलखेत नहर	..	१०,०००	४०
३—बिलासपुर नहर	..	१,१६,०००	२४०
४—नलेना नहर	..	१७,३८२	१००
५—खंस्यों नहर	..	२९,१००	१००
६—भद्रकोट नहर	..	३३,९००	८०
७—पाड़ेगांव नहर	..	अनुमान पत्र बनाये जा रहे हैं	८०
८—पोखराड़ नहर	..	" "	८०
९—चौड़ा नहर	..	" "	८०
१०—अलंचौना नहर	..	" "	२४०
११—चापड़ नहर	..	" "	४०
१२—सौड़ नहर	..	" "	४०
१३—राम पर नहर	..	३७,१०५०	८०
१४—मालकोट नहर	..	अनुमान पत्र बनाये जा रहे हैं	१८०
१५—स्यात नहर	..	" "	१६०
१६—सुमड़ाड़ नहर	..	" "	८०

श्री नारायणदत्त तिवारी—इन उत्तरों में हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—इन पर मंत्री जी के हस्ताक्षर होने चाहिये । यह गलती रह गई है । समझता हूं कि हस्ताक्षर के साथ माननीय सदस्यों के पास यह उत्तर जाने चाहियें ।

श्री धर्मसिंह—यह ठीक कर लिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन ३ नहरों से गतवर्ष कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है लेकिन जैसा कि कहा गया है चौसला और लोहली के एरिया में पूरे तरीके से सिंचाई होती रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या तराई-भावर सिंचाई योजना के लिये गोला नदी पर डैम बनाने की योजना है ?

श्री धर्मसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो योजनायें प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में बतायी गयी हैं, उतनी ही हैं।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भीमताल नहर में गरमी के दिनों में पानी चलता है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि चलता रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो नहरें बनायी जा रही हैं उनमें कितनी पूरी हो चुकी हैं ?

श्री धर्मसिंह—मेरे पास पूरा विवरण नहीं है लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहरें बनायी जा रही हैं उनमें नम्बर १,२,३,४,५,६,१० और १३ पर जिनके नाम अभी मैंने पढ़े हैं, उनके लिये आशा की जाती है कि वे इस वर्ष पूरी हो जायंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास सुझाव आये हैं कि नैनीताल जिले में चूंकि पर्वतीय क्षेत्र अधिक है इसलिये बजाय लाइन इर्रिगेशन गूलें बनायी जायं अच्छा यह होगा कि बिजली का पम्प इर्रिगेशन हो, वह सस्ता पड़ेगा और सिंचाई भी अच्छी हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये देखना पड़ेगा। मेरे पास इस समय इत्तला नहीं है कि सुझाव आये हैं या नहीं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन नहरों और गूलों के बनाने का जिक्र किया गया है खंड और भद्रकोट, यह सरकार की ओर से बनायी जायंगी या कंट्रीब्यूशन से ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत जो बतायी गयी हैं वह सब सरकार की ही स्कीम है और उसी के अन्तर्गत बनायी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी मेरे पूरक प्रश्न को सूचना मानकर वहां पर नदियों के किनारे बड़ी नहरें पम्प सिस्टम की बनाने की योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—अगर आप नोटिस देंगे तो ऐसा कर लिया जायगा।

* * * *

बलिया जिलान्तर्गत कोहली मुहान ताल का पानी निकालने की प्रार्थना

*७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत ताल कोहली मुहान के किनारे चारों तरफ कितने गांव ऐसे हैं जिनकी फसल बरसाती पानी से डूब कर नष्ट हो जाती है ?

श्री धर्मसिंह—कोहली मुहान ताल के किनारे कोई भी ग्राम नहीं है जिसकी फसल की क्षति बरसाती पानी के अन्दर डूब जाने के कारण होती है।

*८—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ताल कोहली मुहान से बरसात के दिनों में कितने एकड़ खरीफ की फसल बर्बाद होती है ?

श्री धर्मसिंह—कोहली मुहान ताल के किनारे की फसलों को कोई क्षति नहीं है, जो फसलें ताल में ही बोई जाती हैं उनको कभी-कभी क्षति हो जाती है।

*९--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार उक्त ताल में से बरसाती पानी की निकासी की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--कोहली मुहान ताल से घाघरा तक पहले ही से एक नाला है और यह नाला उसी समय कार्य करता है जब कि घाघरा का स्तर नीचा हो जाता है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस कोहली मुहान ताल में जो फसल बोयी जाती है और कभी-कभी क्षतिग्रस्त हो जाती है वह कितने गांवों की है और उसमें कितने एकड़ फसल का नुकसान होता है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा मैंने उत्तर में कहा है किसी भी गांव की फसल की क्षति नहीं होती है और जो ताल है वहां पर फसल पैदा होती है । कितनी होती है इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि वह ताल छोटा है लेकिन उसके आस पास जिस जमीन को नुकसान होता है वह पानी भर जाने की वजह से होता है और वह प्रत्येक वर्ष हो जाता है ?

श्री धर्मसिंह--जब घाघरा में बाढ़ आ जाती है तो प्राकृतिक तौर पर पानी ताल में आ जाता है और यह कठिन होता है कि उस समय ताल से पानी निकाला जा सके । जब घाघरा में पानी कम हो जाता है तो ताल से भी पानी नदी में चला जाता है ।

श्री गौरीशंकर राय--यह जानते हुए कि ताल में बरसाती पानी आता है और वह हर साल आता है, ऐसी हालत में क्या उस समय वहां का पानी निकालने की कोई दूसरी व्यवस्था की जायगी ?

श्री धर्मसिंह--वह तो इतना पानी आ जाता है कि उसका प्रबन्ध नहीं हो सकता है । उसमें धन बहुत लगेगा और भविष्य में सरकार सोचेगी कि यदि पम्पिंग सेट से पानी निकालने का इन्तजाम हो सके तो उसे करे ।

श्री उग्रसेन--क्या मन्त्री जी, जिस नाले से कोहली मुहान ताल का पानी निकलता है उसे पक्का बना कर उसके मुहाने पर रेग्यूलेटर लगावेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री चरणसिंह)--जब तक घाघरा नदी की बाढ़ न रोकी जाय तब तक उस ताल में घाघरा के पानी को वापस जाने से नहीं रोका जा सकता है । रेग्यूलेटर वगैरह से भी काम नहीं चलेगा ।

* * * * *

उन्नाव जिलान्तर्गत जुईल झील का पानी निकालने की प्रार्थना

*२४--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने उन्नाव जिले के अन्तर्गत हसन गंज तहसील के ग्राम पुरथ्यावां की जुईल झील का पानी निकालने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री धर्मसिंह--इस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है । प्रस्ताव बनायें जायेंगे और उसका परिनिरीक्षण किया जायेगा ।

*२५--श्री सजीवन लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त झील से कितने ग्राम प्रभावित होते हैं और कितनी जमीन डूब जाती है ?

श्री धर्मसिंह--जुईल झील से करीब ७५ एकड़ जमीन पानी में डब जाती है तथा ग्राम पुरथ्यावां, भडिया और सालीनैनपुर प्रभावित होते हैं ।

श्री सजीवन लाल--क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण का कार्य किसके जरिये से हो रहा है और किस सन्, महीना और तारीख को खत्म हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--आपने तो निश्चित भविष्यवाणी चाही है ।

श्री चरण सिंह--मुहकमा नहर के जरिये हो रहा है । तारीख और महीना निश्चित नहीं बताया जा सकता है ।

* * * * *

नैनीताल जिले में सिंचाई के कार्य

*२७--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में उसकी ओर से सिंचाई साधनों की वृद्धि के हेतु १९५५ से आज तक क्या नये प्रयत्न किये गये हैं ।?

श्री धर्मसिंह--नैनीताल जिले में १९५५ से आज तक ११ मील ६ फर्लांग ४७२ फीट नई नहरों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है । भावर क्षेत्र में जमीन रेतीली होने के कारण नहरों में पानी की छीजन अधिक होती है । इस छीजन को रोकने के लिये नहरों की मरम्मत की गई और बहुत सी कच्ची गूलों को पक्की बनाने का कार्य किया गया है ।

नहरों के हेड पर अस्थायी पोड़ी बांध को बार-बार टूटने से बचाने के लिये पत्थर के ब्लाक बनाये गये हैं जिस से पानी व्यर्थ न जा सके ।

श्री प्रतापसिंह--क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये कौन-कौन सी नहरें बनी हैं ?

श्री धर्मसिंह--वे १२ नहरें ये हैं :--

घोरिया हलसौन नैनीताल तहसील में,
बसानी हल्द्वानी तहसील में,
मझेड़स नैनीताल तहसील में,
पाड़ली नैनीताल तहसील में,
फतेहपुर हल्द्वानी तहसील में,
हंसरामपुर रामनगर तहसील में,
अमतौली रामनगर तहसील में,
मलौन रामनगर तहसील में,
रिखाकोट नैनीताल तहसील में,
लैसाल नैनीताल तहसील में,
गेंडाखाली खटीमा में,
बसतिया खटीमा में ।

श्री प्रताप सिंह--क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि रिखाकोट और गेंडाखाली जब से बनी हैं आज तक वे काम नहीं कर रही हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मुझे इस उत्तर में यह आपत्ति है कि मेरे प्रश्न १-३ के उत्तर में और इस प्रश्न के उत्तर में केवल कुमायूं डिवीजन के उत्तर दिये गये हैं जो कि पहाड़ का इलाका है, तराई या खटीमा वगैरह का उत्तर नहीं है । तो यह प्रश्न का उत्तर बिल्कुल अधूरा है । बहुत से इलाके की सूचना इसमें नहीं दी गई है ।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछ लें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि यह उत्तर केवल कुमायूं भू-सिंचन खंड के लिये ही दिये गये हैं और किछा, खटीमा वगैरह का इलाका इसमें शामिल नहीं है ?

श्री धर्म सिंह--जैसे प्रश्न किये गये उन्हीं के आधार पर उत्तर दिये गये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि ये प्रश्न सारे जिले नैनीताल के लिये दिये गये हैं, केवल एक भू-सिंचन खंड के लिये ही नहीं दिये गये हैं ? यदि हां तो क्या मन्त्री जी इस समय इन्हें स्थगित करके फिर उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--इसमें सवाल यह है कि नये काम कौन से किये गये । हो सकता है कि खटीमा वगैरह में, तराई-भावर में, नये काम न किये गये हों । इसलिये गवर्नमेंट यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि जवाब गलत दिये गये हैं । आपने सवाल किया है, हम उसके बारे में तहकीकात करेंगे ।

* * * * *

सीतापुर जिलान्तर्गत बिसवां तहसील में ऊंचे किये गये गांव

*३२--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले की बिसवां तहसील में सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को ऊंचा किया गया ?

श्री धर्म सिंह--सीतापुर जिले में ८० ग्रामों को ऊंचा करने की एक योजना बनाई गई थी, जिसमें से बिसवां तहसील में सन् १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में बाढ़ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत ४९ ग्रामों को ऊंचा किया गया है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायत आई है कि गांव के पटाई के ठेकेदार घरों के पास की मिट्टी से पाट देते हैं जिससे वहां गड्ढे होकर पानी भर जाता है ।

श्री चरण सिंह--मन्त्री जी के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है ।

बुलन्दशहर जिलान्तर्गत फ्लड सब-डिवीजनों के कार्यों पर व्यय

*३३--श्रीमती सत्यवती रावल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पिछले वर्ष जो फ्लड डिवीजन कायम किया गया था उसने अब तक कितने नालों की योजना बनाई है और उनमें से कितने तैयार हो गये हैं ?

श्री चरण सिंह--बुलन्दशहर में कोई फ्लड डिवीजन नहीं खोला गया था पर दो सब-डिवीजन बाढ़ के कार्य के लिये खोले गये थे जिनमें से एक अलीगढ़ डिवीजन, गंगा नहर, तथा दूसरा बुलन्दशहर डिवीजन नहर गंगा के अन्तर्गत था । इन दो सब-डिवीजनों ने जो योजनायें तैयार की हैं उनकी †सूची संलग्न है ।

इनके अतिरिक्त ड्रेनेज डिवीजन, मुजफ्फरनगर ने भी बुलन्दशहर जिले में कुछ नालों की योजनायें बनाई हैं जैसे कि "वेट जाखेरा" नाले की योजना १,२३,००५ रुपये की लागत की बनाई गई है । नाले का अधिकतर भाग मेरठ जिले में पड़ता है । सिर्फ २ मील २०० गज बुलन्दशहर जिले में पड़ता है ।

निम्न योजनाएं भी तैयार की गई हैं और मास्टर प्लान में सम्मिलित कर ली गई हैं, लेकिन सर्वेक्षण आदि कार्य अभी नहीं हुआ है--

१--लाधपुर ड्रेन का निर्माण ।

२--नीभ नदी का निर्माण ।

---

†सूची छापी नहीं गई है ।

३—नकरी ड्रेन का पुनर्निर्माण ।
४—थोभा कट का निर्माण ।
५—उमरपुर ड्रेन का निर्माण ।
६—भवई कट का निर्माण ।
७—थोभा गजरौला कट का निर्माण ।
८—काप शाह कट का निर्माण ।
९—राजापुर ड्रेन का निर्माण ।
लाघपुर ड्रेन का सर्वेक्षण कार्य किया गया है तथा समाप्त हो चुका है ।

*३४—श्रीमती सत्यवती रावल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त फ्लड डिवीजन के अधीन कितना क्षेत्र है, और उसके अन्तर्गत कितने पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं ? १९५६–५७ में उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री चरणसिंह—जो सब-डिवीजन बुलन्दशहर गंगा नहर डिवीजन के अन्तर्गत है उसका कार्य क्षेत्र बुलन्दशहर डिवीजन के सम्पूर्ण क्षेत्र व ट्यूब वेल डिवीजन बुलन्दशहर के कुछ भागों में फैला है । मेरठ जिले की गाजियाबाद, हापुड़ व मेरठ तहसीलों में, बुलन्दशहर जिले का बुलन्दशहर, खुर्जा व सिकन्दराबाद तहसीलों में तथा अलीगढ़ जिले की खैर तहसील तक फैला हुआ है । एक सहायक अभियन्ता, एक जिलेदार, ५ ओवरसियर, दो अमीन व दो पतरौल इस सब-डिवीजन में कार्य कर रहे हैं । सन् १९५६–५७ में इस सब-डिवीजन में २४,८७८ रु० व्यय हुआ ।

अलीगढ़ डिवीजन गंगा नहर के अन्तर्गत बाढ़ सब-डिवीजन का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण डिवीजन में है जिसमें बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी और आगरा जिले सम्मिलित हैं । इस बाढ़ सब-डिवीजन में एक सहायक अभियन्ता, एक जिलेदार, ५ ओवरसियर, २ अमीन और २ पतरौल हैं । इस सब-डिवीजन में १९५६–५७ में २६,१२२ रु० व्यय हुआ है ।

* * * *

बांदा जिले में नहरी उपशाखाओं में ली गयी जमीन का मुआवजा

*३६—श्री गोपीकृष्ण आजाद (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५, १९५६–५७, १९५७–५८ और १–४–५८ से ३१–८–५८ तक जिला बांदा में नहर की अतर्रा व बांदा दोनों शाखाओं में से कितनी-कितनी उप-शाखायें (माइनरें) निकाली गयीं तथा माइनरों से कितनी कितनी शाखायें निकाली गयीं ?

श्री चरण सिंह—अतर्रा तथा बांदा शाखाओं से निम्नलिखित उप-शाखायें निकाली गयीं :—

वर्ष	अतर्रा शाखा संख्या	बांदा शाखा संख्या
१९५४–५५	१३	५
१९५५–५६	७	२३
१९५६–५७	१०	८
१९५७–५८	२४	१०
१–४–५८ से ३१–८–५८	..	..
योग ..	५४	४६

*३७—श्री गोपीकृष्ण आजाद (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को जिनके खेतों से नहरें निकाली गयी हैं उपरोक्त माइनरों का मुआवजा चुका दिया गया है ? अगर नहीं, तो कब तक चुका दिया जायगा ?

श्री चरणसिंह—उपरोक्त उप-शाखाओं में से निम्नलिखित उप-शाखाओं का अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है; आशा है कि एक वर्ष के अन्दर इनका मुआवजा दे दिया जायगा :

वर्ष				अतर्रा शाखा	बांदा शाखा
१९५४–५५ ..	..	..	..	५	१
१९५५–५६ ..	..	..	..	७	१९
१९५६–५७ ..	..	..	..	६	८
१९५७–५८ ..	..	..	..	२३	८
१–४–५८ से ३१–८–५८ ..	..	..	..	..	..
			योग ..	४१	३६

* * * *

जौनपुर जिले में गांवों को ऊंचा करन पर व्यय

*४२—श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ ई० की बाढ़ जो गोमती, सई आदि नदियों में आई थी उसके बाद जौनपुर जिले के कितने गांव ऊंचे किये गये तथा उनको ऊंचा करने में कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिले में सन् १९५५ ई० की बाढ़ के पश्चात् २२० ग्रामों को ऊंचा करने की योजना बनाई गई जिसपर अब तक ८,६९,३०० रु० व्यय हो चुका है ।

*४३—श्री रामलखन सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जौनपुर जिले के अन्तर्गत गांव ऊंचा करने का कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जौनपुर जिले में और जिलों की भांति ग्राम ऊंचा करने का कार्य बन्द कर दिया गया क्योंकि उसके लिये इस समय रुपया उपलब्ध नहीं है ।

* * * *

गोरखपुर जिलान्तर्गत सनपतिहा ग्राम का भट्ठा

*४५—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में एजड़ताल से जो नहर बन रही है उसके बान्ध के लिये सनपतिहाग्राम में सिंचाई विभाग द्वारा स्वयं कोई ईंटों का भट्ठा लगाया गया है या किसी ठेकेदार द्वारा लगवाया गया है ?

श्री धर्मसिंह—ऐजड़ताल से कोई सरकारी नहर नहीं बनाई गई है । सनपतिहा ग्राम में कथित ईंटों का भट्ठा सिंचाई विभाग द्वारा नहीं लगाया गया । भट्ठा सर्वश्री कर्मचन्द तारासिंह ठेकेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाया गया है । कुछ ईंटे विभाग द्वारा इस भट्ठे से खरीदी गई थीं ।

*४६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि उक्त भट्टा लगवाया गया है तो उसमें कुल कितनी जमीन ली गई है तथा किसानों को खेत और फसल का कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री धर्म सिंह—चूंकि भट्टा व्यक्ति विशेष का था अतः उसकी भूमि का सिंचाई विभाग में कोई रिकार्ड नहीं है । भूमि तथा फसल के मुआवजे का सम्बन्ध उपर्युक्त ठेकेदारों से है ।

*४७—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त नहर कितने मील बन चुकी है और उससे गत तीन वर्षों में क्या आमदनी हुई ?

श्री धर्म सिंह—ऐजड ताल से सिंचाई के लिये न तो किसी नहर का प्रस्ताव ही किया गया था और न कोई नहर बनाई गई । कथित नहर वास्तव में एक नाला है जो कि उस क्षेत्र में बाढ़ को कम करने के लिये बनाया गया है । यह नाला ३ मील ४ १/२ फर्लांग लम्बा है और पूर्ण बन चुका है । ऐसी योजना से आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस भट्ठे से कुल कितना ईंटा लिया गया और वह वहां से हटा लिया गया है या अभी तक वहीं पड़ा हुआ है ?

श्री चरणसिंह—ईंटा लिया गया या नहीं, इसकी तहकीकात करनी होगी । इसलिये कितना लिया गया, यह सवाल नहीं उठता है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना मानकर जांच कराने की कृपा करेगी कि यह भट्ठा नहर विभाग द्वारा, जमीन लेकर, खुदवाया गया था और आज तक सारा ईंटा और रोड़ा वहां पड़ा हुआ है ?

श्री चरणसिंह—यह सूचना गैरमुकम्मिल मालूम होती है, इसलिये इस पर तो नहीं, लेकिन अगर माननीय मित्र बातचीत करने की कृपा करें और लिखकर बतावें तो जरूर तहकीकात कराई जावेगी ।

सीतापुर जिले के डी० एम० की वाटर लागिंग विषयक योजना

*४८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश सीतापुर ने "वाटर लागिंग से" सम्बन्धित कोई योजना बनाकर सरकार के विचारार्थ भेजी है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां ।

*४९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो सरकार उक्त योजना को कार्यान्वित किये जाने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—एक योजना तैयार की गई है जो कि विचाराधीन है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सीतापुर जिले की योजना विभाग को कब प्राप्त हुई थी और मंत्री जी ने उसे कब देखने की कृपा की ?

श्री चरणसिंह—कब प्राप्त हुई, इसके लिये नोटिस चाहिये और मंत्री महोदय ने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार यह बतायेगी कि उसने कितना रुपया वाटर लागिंग के सिलसिले में जिले को अलाट किया है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि किन-किन जिलों को कितना रुपया अलाट किया गया है । जहां तक इस जिले का सम्बन्ध है इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी ।

सहारनपुर जिले में टोडरपुर ग्राम की जमीन का यमुना से कटाव

*५०—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम टोडरपुर, परगना सुलतानपुर चिलकाना, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर की कितनी जमीन यमुना नदी में चली गई है ?

श्री चरणसिंह—यमुना नदी के किनारे स्थित टोडरपुर गांव को नदी से नुक्सान हो रहा है और पिछले दो सालों में लगभग १९० एकड़ भूमि कट चुकी है ।

*५१—श्री जयगोपाल (अनुपस्थित)—क्या इस गांव को बह जाने का खतरा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—अभी तक गांव की आबादी को कोई हानि नहीं हुई है । किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

* * * * *

बस्ती जिले के परगना बांसी पच्छिम में नलकूपों का निर्माण

*५७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने बस्ती जिले के पिछले मई जून के दौरे में दो ट्यूबवेल की स्वीकृति डुमरियागंज तहसील के उत्तरी भाग परगना बांसी पच्छिम के क्षेत्र के लिये दी थी ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

*५८—श्री रामलखन मिश्र—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इस बात की सूचना नौगढ़ में पब्लिक मीटिंग में दी थी ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

*५९—श्री रामलखन मिश्र—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ये ट्यूबवैल कब तक लग जायेंगे ?

श्री चरणसिंह—यह नलकूप मार्च, १९५९ तक लग जायेंगे ।

श्री रामलखन मिश्र—इस सुखद उत्तर के उपलक्ष में क्या सरकार आभार स्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं उनकी तरफ से जवाब देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है ।

* * * *

आगरा जिले की फतेहाबाद तहसील में कुछ गांवों की भूमि जलमग्न हो जाना

*६१—श्री लक्ष्मी नारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या सरकार को यह पता है कि इस वर्षा के कारण आगरा के फतेहाबाद तहसील के ग्राम कुतुबपुर गोला, भोजपुर, रामगढ़, गंगोरा वक्र्स जगराजपुर, नयावास, इसीली, लुहारी इरादत नगर, बाकीपुर इत्यादि में गर्की आ गई है और वहां पानी के सोते फूट आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री धर्म सिंह—जी हां । इस वर्ष निरन्तर अधिक वर्षा के कारण ग्राम कुतुबपुर गोला, भोजपुर, गंगोरा, बसई और जगराजपुर के नीचे वाले क्षेत्र में केवल ५४ एकड़ भूमि जलमग्न रह गई है । यह क्षेत्र जगराजपुर नाले से रक्षित है । नाला अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है और बाकी जलमग्न भूमि का भी पानी धीरे-धीरे सूख रहा है ।

ग्राम इसीली, लुहारी और भीखापुर ककुआ नाले से रक्षित है । यह नाला भी अपना कार्य सुचारु रूप से कर रहा है । इन ग्रामों की लगभग ७२ एकड़ भूमि जलमग्न रह गई है और धीरे-धीरे सूख रही है ।

ग्राम इरादतनगर, नयावांस खारी नदी के तट पर स्थित हैं, इन ग्रामों में कोई भी भाग जलमग्न नहीं है । नदी में बाढ़ आने से इन ग्रामों के कुछ क्षेत्र प्रभावित होते हैं, परन्तु नदी का पानी कम होने पर पानी हट जाता है ।

इस वर्ष निरन्तर अधिक वर्षा के कारण अधिकतम जगह सोते भूमि की सतह से ३ फुट के अन्दर फूट आये हैं और बहुत नीची जगहों पर यह भूमि सतह तक फूट आये हैं ।

इन क्षेत्रों में ८८२.३१ रु० का मुआवजा दिया गया है ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—श्रीमन्, मुझे जो उत्तर मिला है उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह गलती तो आज शायद सभी प्रश्नों के उत्तरों में हो गयी है । मालूम होता है कि मंत्रिमंडल में परिस्थिति के परिवर्तन के कारण दस्तखत होने से रह गये होंगे ।

श्री चरण सिंह—दस्तखत तो हुए नहीं हैं लेकिन मैं सभी प्रश्नों के उत्तरों के लिये यह दरख्वास्त करता हूं कि उन पर मेरे दस्तखत मान लिये जायं ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन जगहों पर पानी के सोते फूट आये हैं वहां पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की । जब वर्षा अधिक होगी तो सब-स्वायल वाटर लेविल बढ़ ही जायगा ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार को मालूम है कि इस नीचे क्षेत्र में हर वर्ष सोते फूट आते हैं और क्या उसके लिये सरकार कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह—हर साल फूट आते हैं या नहीं फूट आते, यह जो माननीय मित्र कहते हैं, उसकी तो तरदीद मैं करने की परिस्थिति में हूं नहीं, लेकिन कोई योजना बन सकेगी या नहीं बन सकेगी इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता ।

श्री लक्ष्मी नारायण बंसल—यह जगराजपुर नाला जहां गिरता है, वह भूमि ऊंची है, इसलिये नाला वहां गिरता है ?

श्री चरण सिंह—आप कहते हैं कि नाला गिरता है और जमीन ऊंची है, यह कैसे हो सकता है ?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय मंत्री जी ने आगरा जिले में ट्यूबवैल्स के परीक्षण की सम्बन्धी रिपोर्ट में बताया था कि वहां पर ट्यूबवैल्स की स्कीम फेल हुई है लेकिन इस प्रश्न के उत्तर से मालूम हुआ कि वहां सोते निकल रहे हैं । इससे मालूम होता है कि वहां वाटर लेविल ऊंचा है । तो क्या सरकार आगरा जिले की जल की समस्या की फिर से जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—माननीय मित्र को यह मालूम होना चाहिये कि यह जिला बहुत बड़ा है । जहां सोते फूटते हैं वहां तो ट्यूबवैल्स की जरूरत ही न होगी । यह भी सही है कि दूसरी जगह ट्यूबवैल्स फेल हुए हैं ।

आगरा जिले में भाटा बांध का टूट जाना

*६२—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जुलाई, १९५८ में तहसील खेरागढ़ (आगरा) में भाटा बांध टूट गया ? यदि हां, तो उसके टूटने के क्या कारण थे ?

श्री धर्म सिंह--जी हां। बांध के टूटने का कारण असाधारण वर्षा थी जिसके कारण Escape से पूरा पानी खारिज न हो सका।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--क्या सरकार को पता है कि सन् १९५७ में यह बांध इसी प्रकार टूटा था? यदि हां, तो सरकार ने सन् १९५७ से १९५८ तक क्या कार्यवाही की?

श्री चरण सिंह--सन् १९५७ में भी एक बांध टूटा था, नाम तो इस वक्त याद नहीं है और जब मैं ७ अक्तूबर को आगरा गया था तो वहां के इंजीनियर लोगों से बातचीत की थी। कुछ माननीय सदस्य लेजिस्लेचर के भी वहां मौजूद थे, तो बातचीत के बीच में यह मालूम हुआ कि कोई गलती इंजीनियर्स की नहीं थी। उस वक्त तो ऐसा ही लगा, कम से कम जो जवाब इंजीनियर्स ने दिया उसकी तरदीद हमारी तरफ से, या लेजिस्लेचर्स की तरफ से या और लोगों की तरफ से नहीं की जा सकी। वैसे जवाब स्वयं मुझे असन्तोषजनक मालूम होता रहा।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--क्या सरकार को यह पता है कि इस बांध का स्लूस गेट बन्द हो जाने के कारण यह बांध टूटा?

श्री चरणसिंह--पानी आता है भरतपुर से और भरतपुर से वक्त पर इत्तिला न आने की शिकायत हमारे इंजीनियर्स को थी। तो जब इत्तिला देर में आती है तब यह खराबी पैदा होती है। यह ठीक है कि स्लूस गेट अपना काम अच्छी प्रकार नहीं कर रहा था।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वे इसकी जांच करा कर इस बात को जल्द से जल्द ठीक करवा दें?

श्री चरण सिंह--जी हां।

* * * * *

*६८--६९--श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--[स्थानान्तरित किये गये।]

* * * * *

*८०--श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)--[१५ दिसम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

* * * * *

गढ़वाल जिले के नागपुर परगने से बाढ़ तथा नदियों के कटाव की शिकायतें

*८९--श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत दो वर्षों के अन्दर गढ़वाल जिले के नागपुर परगने के कितने स्थानों से नदियों के प्रवाह से भूमि के कटाव की तथा अतिवृष्टि से जमीन के टटने की रिपोर्ट उसके पास पहुंची है और अब तक सरकार ने उन स्थानों में भूमि के रख-रखाव के लिये क्या-क्या काम किये हैं?

श्री धर्म सिंह--गत दो वर्षों में गढ़वाल सिंचाई विभाग को नागपुर परगना के निम्नलिखित स्थानों से बाढ़ क्षति की सूचना प्राप्त हुई।

(१) कुंजी गाड नदी की बाढ़ से चन्द्रपुरी चट्टी को क्षति हुई?

(२) जौरासी और समीपवर्ती ग्रामों में पर्वतों के गिरने तथा धंस जाने से भूमि कटाव तथा क्षति हुई।

चन्द्रपुरी चट्टी के समीप ४७,००० के मूल्य से कुन्जी गाड नदी दोनों तटों पर बाढ़ रक्षक कार्य जिसमें "कंकरीट ब्लोक" सम्मिलित है, का निर्माण कर दिया गया है। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

जौरासी ग्राम के समीप भूमि कटाव को रोकने के प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करना अभी शेष है। यह आशा की जाती है कि विस्तृत सर्वेक्षण कार्य तीन माह के अन्तर्गत पूर्ण हो जायेगा और तब इस पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्त सूचनाओं के अतिरिक्त और कोई भी बाढ़-क्षति की सूचना इस परगने से प्राप्त नहीं हुई।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--श्रीमन्, इस प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में मेरी एक आपत्ति है कि जो नाम इसमें दिये गये हैं वे गलत हैं। कुंजोगाड़ वह नदी है जिसमें कभी बाढ़ नहीं आयी, जिस नदी में बाढ़ आयी उसका नाम क्यूंजगढ़ है और चन्द्रपुरी चट्टी उसी के किनारे है।

श्री अध्यक्ष--क्या इस नाम की दो नदियां हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--एक का नाम कुंजोगाढ़ है और दूसरी का नाम क्यूंजगढ़ है।

श्री अध्यक्ष--तो जिस नदी में बाढ़ आयी थी उसी के सम्बन्ध में आप इस उत्तर को समझ लें।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौरासी तथा समीपवर्ती गांवों की भूमि कटाव के सम्बन्ध में रिपोर्ट सरकार को कब मिली और भूमि कटाव को रोकने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कब शुरू हुआ है ?

श्री चरण सिंह--तारीख के मुताल्लिक नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--क्या सिंचाई मंत्री को मालूम है कि नागपुर परगने में १७ हजार फीट की ऊंचाई पर कुछ गांवों का अस्तित्व ही भूमि कटाव के कारण खतरे में पड़ गया है और अधिक जल प्रभाव के कारण इन गांवों की जमीन का नामोनिशान तक मिट गया है और इसकी तहकीकात जिले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने की थी....।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप सूचना दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--उत्तर में कहा गया है "उपरोक्त सूचनाओं के अतिरिक्त और कोई भी बाढ़ क्षति की सूचना इस परग से प्राप्त नहीं हुई", मेरा निवेदन यह है कि जिले के अधिकारियों को मालूम है कि इन दो गांवों में बड़ी क्षति हुई है और वे इन गांवों में गये हैं और आश्वासन दिया कि सहायता मिलेगी लेकिन अभी तक नहीं मिली ?

श्री चरण सिंह--हमारे पास तो फाइल में जो रिपोर्ट आई है उसी के मुताबिक यह जवाब है, लेकिन माननीय मित्र जो कह रहे हैं तो उनकी ही बात सही होगी। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे जरा दर्शन दे की कृपा करें या मैं उनके पास आ जाऊंगा जब वे बुलायें।

* * * * *

प्रतापगढ़ जिले में नहर विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लोग

*१००--श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले के नहर विभाग में कितने अमीन, जिलेदार, टंडेल, मेट, दफेदार वर्कन्दाज, पतरौल अलग-अलग हैं ? उनमें क्रमशः कितने परिगणित जाति के हैं तथा कित पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री धर्म सिंह--प्रतापगढ़ जिले के नहर विभाग में वांछित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

	कुल कर्मचारी	पिछड़े वर्ग	परिगणित जाति
जिलेदार	३	१	–
अमीन	२०	–	–
पतरोल	५७	३	२

जिलेवार			कुल कर्मचारी	पिछड़े वर्ग	परिगणित जाति
टंडेल	..	..	८	—	२
मेट	..	..	२६	—	१
दफेदार	..	..	६	१	—
बर्कन्दाज	..	..	१८	१	—

*१०१—श्री गया प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ मार्च, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक नहर विभाग प्रतापगढ़ में कितने पतरौल व अमीन की नियुक्ति की गयी ? उनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के ?

श्री धर्म सिंह—प्रतापगढ़ जिले के नहर विभाग में १ मार्च, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक निम्नलिखित कर्मचारियों की नियुक्ति की गई :

			कुल नियुक्ति	पिछड़े वर्ग	परिगणित जाति
अमीन	..	..	३	१	—
पतरौल	..	..	२१	१	—

श्री गया प्रसाद—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब हरिजनों के लिये १८ फीसदी स्थान सुरक्षित हैं तो जिलेदार और टंडेल इन जगहों पर क्यों नहीं नियुक्त किये गये ?

श्री चरण सिंह—जिलेदार व टंडेल ये जो दो किस्म के कर्मचारी हैं ये सब प्रोमोशंस से आते हैं लिहाजा रिजर्वेशन का सवाल नहीं आता। जहां तक अमीनों का ताल्लुक है २५ प्रतिशत डायरेक्ट रेक्रुटमेंट से और बाकी प्रोमोशन से आते हैं। लिहाजा २५ प्रतिशत में ही सवाल उठता है और उसमें उपयुक्त कडिडेट्स मिलते नहीं हैं। बाकी चीफ इंजीनियर के पास आदेश भिजवा दिये जायंगे कि इस बात की ज्यादा कोशिश की जाय।

श्री उग्रसेन—जिन पदों के लिये माननीय मंत्री के कहने के मुताबिक उपयुक्त कैंडीडेट्स नहीं मिलते हैं उनके लिये कितने हरिजन उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दीं ?

श्री चरण सिंह—यह सवाल नहीं था। इसलिये इसकी तहकीकात नहीं की गयी।

* * * *

बस्ती जिलान्तर्गत बांसी व नौगढ़ तहसीलों की बाढ़-ग्रस्त भूमि

*१०६—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की बांसी व नौगढ़ तहसीलों में किन-किन गांवों की कितनी-कितनी एकड़ भूमि वहां की राप्ती, बूढ़ी-राप्ती, बिलार, बान गंगा, कूड़ा घोघी, जमुआर, तेलार आदि नदियों की बाढ़ से हर साल डूब जाती है ?

श्री चरण सिंह—बस्ती जिले की बांसी व नौगढ़ तहसीलों में जिन गांवों की भूमि, वहां की राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बिलार, बानगंगा, कूड़ा, घोंघी, जमुआर तथा तेलार आदि नदियों की बाढ़ से, हर साल डूब जाती है, उनकी †सूची संलग्न है।

* * * *

इटावा जिले की असिंचित भूमि

*११०—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत कितनी कृषि भूमि ऐसी है जिन पर सिंचाई नहीं होती है ?

---

†सूची छापी नहीं गयी।

श्री धर्म सिंह--इटावा जिले में ऐसी कृषि भूमि जिस पर सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई नहीं होती है। वह कुल ९३,४९० एकड़ है।

श्री मिहरबान सिंह--जिस भूमि पर सिंचाई नहीं होती है तो सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत उस पर सिंचाई हो सके और अगर हां, तो वह कब तक होगी ?

श्री चरण सिंह--अब नहर तो और बन नहीं सकती। यह तो मुझको कल ही वहां एक इंजीनियर ने बतलाया था। और ट्यूबवेल को बहुत रुपया चाहिये, इतना है नहीं। तो कुएं ही हैं जो तकावी पर बना सकते हैं।

* * * *

नहर जमन में पानी की कमी की शिकायत

*११४--श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)-- क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष नहर जमन में पानी की कमी के कारण जिला सहारनपुर व जिला मुजफ्फरनगर तथा जिला मेरठ के पश्चिमी क्षेत्र की उपज में पर्याप्त हानि हुई है ?

श्री धर्म सिंह--१९५७-५८ ई० (१-४-५७ से ३१-३-५८) में पूर्वी जमुना नहर में पानी की कोई कमी नहीं रही।

खरीफ १९५८ ई० (१-४-५८ से ३०-९-५८) में पानी की अवश्य कमी थी जिसके कारण सहारनपुर, मुजफ्फरनहर व मेरठ जिलों के पश्चिमी क्षेत्र में फसलों को कुछ हानि हुई।

*११५--श्री बादाम सिंह-- क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने उक्त नहर में पानी की कमी के निवारण हेतु सिंचाई के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

श्री धर्म सिंह--पानी की कमी के निवारणार्थ योजना बनाने के सम्बन्ध में सर्वे इत्यादि किया जा रहा है।

श्री बादाम सिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सर्वे का कार्य कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये कोई समय निश्चयपूर्वक नहीं बता सकते।

*११६--श्री बादाम सिंह--[स्थानान्तरित किया गया।]

*११७-११८--श्री शोभनाथ (जिला मिर्जापुर)--[दसवें सोमवार (१५-१२-५८) के लिये स्थगित किये गये।]

एटा जिले में बूढ़ी गंगा से कृषि योग्य भूमि का जलमग्न हो जाना

*११९--श्री तिरमल सिंह (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में बूढ़ी गंगा के कुल क्षेत्र में सर्वदा पानी भरा रहता है जिससे किसानों की फसल की क्षति होती है ? फसल को क्षति से बचाने के हेतु सरकार कोई उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री चरण सिंह--बूढ़ी गंगा वास्तव में गंगा नदी की ही एक प्राचीन धारा है। यह एटा जिले में घेला सराय ग्राम के निकट से प्रारम्भ होती है और ७८ मील बहने के पश्चात् फर्रुखाबाद जिले में ग्राम कम्पिल के पास गंगा नदी में मिल जाती है। जब तक गंगा नदी में बाढ़ नहीं आती यह नदी अपना कार्य सन्तोषपूर्वक करती रहती है, परन्तु जैसे ही गंगा नदी में पानी बढ़ता है इसकी गति में गंगा नदी का पानी उल्टा बहने से बाधा पड़ जाती है। ज्यों ही गंगा में बाढ़ कम होती है, बूढ़ी गंगा का पानी नदी में बहने लगता है। इस प्रकार रबी के प्रारम्भ में कुछ खेती योग्य भूमि जलमग्न रहती है। ज्योंही पानी शुष्क होता है कृषकगण इस भूमि में गन्ने की खेती करते हैं।

प्रतिकारिक कार्य करने में एक बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी जो कि लाभान्वित क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक होगी।

इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पनासा ग्राम के निकट गंगा के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*१२४--श्री जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद की तहसील करछना में ग्राम पनासा के आस-पास के ग्रामों की जमीन गंगा नदी के कटाव में कटने के कारण वहां की जनता पीड़ित है ?

श्री धर्म सिंह--जी हां।

*१२५--श्री जवाहर लाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कटाव को रोकने की कोई व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्म सिंह--गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, क्योंकि गंगा जैसी बड़ी नदी के कटाव रोकने के लिये जितना धन व्यय होगा, उसको देखते हुये ऐसी योजना लाभदायक नहीं होगी।

* * * *

*१२७--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--[स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

गोंडा बाढ़ विभाग के पास नावें

१--श्री लक्ष्मीनारायण दुबे और श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा बाढ़ विभाग के पास कितनी नावें हैं और वह किन-किन स्थानों पर कार्य कर रही हैं ?

श्री चरण सिंह--पंचम उप-बाढ़ विभाग (सिंचाई विभाग) गोंडा में चार नावें हैं जो कि बोन्डी-बहरौली बांध के मील ३९, फर्लांग ४ पर झिंगुरा नदी के स्थान पर कार्य कर रही हैं।

* * * *

प्रतापगढ़ जिले में गांव ऊंचे करने पर व्यय

५--श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५५ की बाढ़ के बाद जिला प्रतापगढ़ की प्रत्येक तहसील में किन-किन गांवों की जमीन का स्तर ऊंचा किया गया और कितने गांव शेष रहे ?

श्री चरणसिंह--सन् १९५५ की बाढ़ के बाद प्रतापगढ़ जिले में १०० गांवों को ऊंचा करने की एक योजना बनाई गई जिनकी तहसीलवार सूची संलग्न है। इन १०० गांवों में से ९६ गांवों का कार्य पूर्ण हो चुका है और ४ पर कार्य अपूर्ण है। योजना के अनुसार कोई गांव शेष नहीं है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९२--५९४ पर)

६--श्री रामकिंकर--इस प्रकार गांवों का स्तर ऊंचा कराने में कितना धन व्यय हुआ ?

श्री चरण सिंह--प्रतापगढ़ जिले में गांवों को ऊंचा कराने में अब तक २,६४,०१२रु० व्यय हो चुका है।

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८ के लिए निर्धारित प्रश्न

तारांकित प्रश्न

बन्दियों द्वारा नियोजन कार्य

*१—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में व जुलाई, १९५८ तक विभिन्न जिलों के बंदीगृहों के बंदियों से कौन-कौन से नियोजन के कार्य लिये गये ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—सन् १९५७ में तथा जुलाई सन् १९५८ तक सम्पूर्णानन्द शिविर के बंदी निम्नलिखित नियोजन के कार्यों में लगे रहे :—

(१) देहवा नदी पर बैरेज बनाने में,

(२) शारदा नहर की शाखा बनाने में,

(३) नानक सागर डाम बनाने में,

(४) सरकारी सीमेंट फैक्टरी, चुर्क के लिये पत्थर तोड़ने तथा ढोने के कार्य में।

*२—श्री गनेशी लाल चौधरी—इस समय में बंदियों ने कितने धन का नियोजन कार्य किया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उक्त बन्दियों ने उस समय में १२,७६,७४९ रु० और ६३ नये पैसे का नियोजन कार्य किया।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस काल में कैदियों के सुपरवीजन में सरकार का कितना धन खर्च हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो १२,००,००० रुपये का काम हुआ है तो यह रुपया क्या उन कैदियों को दिया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उनको तो जो उनकी मजदूरी है उसके अनुसार मिलता है, वह प्रायः २ रु० १२ नये पैसे प्रति दिन के हिसाब से उनको दी जाती है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कैदियों की इस उपयोगिता को देखते हुए इस स्कीम को परमानेंट करेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को हम परमानेंट तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ अड़चनें हैं। एक तो ऐसे कैम्प थोड़े हैं जिन पर कई सौ कैदियों को लगाया जा सके, क्योंकि थोड़े से कैदी लगाने में किफ़ायत नहीं होती। यह दिक़्क़त है। हमारी आशा तो यह है कि थोड़े दिनों में हमारी जेलों का इतना सुधार हो जायगा और इतने कम कैदी रह जायंगे कि इस चीज़ को स्थायी बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी।

श्री प्रताप सिंह—नानक सागर डाम में कितने कैदी काम कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय मेरे पास अलग से सूचना नहीं है कि कितने-कितने कहां-कहां हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतायेगी कि इस कैम्प में बंदियों को भेजने का कोई नियम है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, नियम है कि किस प्रकार के कैदी भेजे जाते हैं, किस प्रकार के नहीं भेजे जाते हैं। सबके सम्बन्ध में कुछ नियमों का पालन किया जाता है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को पता है कि जेल ` राजनारायण नामक एक कैदी ने सुपरिन्टेंडेंट को लिखा था कि वह स्वयं काम करना चाहता है और उसको काम पर नहीं भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष---वह आप के नाम का कोई दूसरा आदमी था या स्वयं आप ही थे ?

(हंसी)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—राजनारायण नामक कैदी ने क्या लिखा इस का इस समय मुझे ज्ञान नहीं है।

श्री राजनारायण--तो क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि जेल से जब मैंने नियोजन के काम में भाग लेने की इच्छा जाहिर की तो मुझे यह कहा गया कि आप नहीं भेजे जा सकते, क्योंकि आप को सुपीरियर क्लास सरकार ने दिया है। और जब हमने कहा कि हम सुपीरियर क्लास छोड़ते हैं, हमको साधारण कैदी समझ कर भेजिये तो तीन दिन के बाद यह लिखा गया कि चूंकि सिविल सर्जन ने आप के स्वास्थ्य की परीक्षा की और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिये आप नहीं भेजे जा सकते, जब कि सिविल सर्जन ने मेरे स्वास्थ्य की क़तई परीक्षा नहीं की थी ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

इटावा जिले के चकबन्दी विभाग में परिगणित व पिछड़े वर्ग के लोग

*३---श्री भजन लाल (जिला इटावा)---क्या राजस्व मंत्री बता ` की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में कितने ए० सी० ओ० व अन्य अधिकारी चकबन्दी विभाग में हैं ? उनमें से कितने परिगणित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चरण सिंह---जिला इटावा में ४ चकबन्दी अधिकारी, १८ सहायक चकबन्दी अधिकारी (ए० सी० ओ०) तथा ३५ चकबन्दीकर्ता कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में से १ चकबन्दीकर्ता परिगणित जाति का है।

*४---श्री भजन लाल--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितने लेखपाल चकबन्दी हैं उनमें से कितने परिगणित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चरण सिंह---जिला इटावा में १६७ चकबन्दी लेखपाल हैं जिनमें ६ परिगणित जातियों के तथा ३२ पिछड़े वर्गों के हैं।

श्री भजन लाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला इटावा में ४ चकबन्दी अधिकारी, १८ सहायक चकबन्दी अधिकारी और ३५ चकबन्दी कार्यकर्ता हैं इनमें एक ही परिगणित जाति का है और बैकवर्ड क्लास का एक भी नहीं, ऐसा क्यों हैं ?

श्री चरण सिंह---उपयुक्त उम्मीदवार जिले में नहीं आये होंगे। चकबन्दी कर्ताओं का जहां तक सम्बन्ध है मैं आप की इजाजत से एक बात बता दूं कि कंसालीडेटर का रेक्रूटमेंट करते हैं जिलाधीश और ए० सी० ओ० का रेक्रुटमेंट होता है स्टेट लेविल पर। तो जहां तक ए० सी० ओ० का ताल्लुक है मैं कई बार कह चुका हूं, परिगणित जाति और बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवारों के लिये तो हमने यह नियम बना रखा है कि अगर कोई थर्ड डिवीजनर भी हो तो उस को भी इंटरव्यू के लिये बुलाया जाय जब कि और जाति के लोग नहीं बुलाये जाते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में और योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके। जहां तक कंसालीडेटर का ताल्लुक है इनका सेलेक्शन जिले के कलेक्टर लोग करते हैं। तो जिलाधीश ने लिखा है कि सूटेबिल कैन्डीडेट्स नहीं मिले थे।

श्री भजन लाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ए० सी० ओ० और चकबन्दी अधिकारी की योग्यता का क्या सम्बन्ध है ?

श्री चरण सिंह--ए० सी० ओ० और चकबन्दी अधिकारी की योग्यता का सम्बन्ध यह है कि ए० सी० ओ० कुछ ज्यादा पढ़े हुये होते हैं चकबन्दीकर्ता से ।

श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ए० सी० ओ० के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन के आदमी नहीं मिले, उसको और लानियन्ट करने की कोशिश करेंगे ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं ।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ३२ बैकवर्ड क्लास के लेखपाल हैं उनमें से थारू और बोक्सा जाति के कितने हैं ?

श्री चरण सिंह---इसकी कोई इत्तिला मेरे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि परिगणित जाति के लिये थर्ड डिवीजन लिये जायंगे और दूसरी जातियों के नहीं लिये जांयगे, ऐसा नियम क्यों बनाया गया ?

श्री चरण सिंह---ताकि जहां तक हो वह लोग भी अधिक तादाद में आ सकें, इसी लिये और भी रियायतें उनके साथ की जाती हैं ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसका खयाल करेगी कि केवल थर्ड डिवीजन होने मात्र से परिगणित जाति के लोग इन स्थानों पर नहीं रखे जाते हैं ?

श्री चरण सिंह---केवल थर्ड डिवीजन मात्र होने से ही उनको उन पदों पर नहीं रखा जाता बल्कि उनको यह रियायत दी जाती है कि कम क्वालिफिकेशन भी हो, थर्ड डिवीजन भी हो तो उनको ले लिया जाय । यह बात ठीक है कि वे केवल परिगणित जाति के सदस्य होने के नाते ही नहीं रखे जाते, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---राजस्व मंत्रालय ने जो सुविधायें परिगणित जाति और बैकवर्ड क्लासेज को दी हैं, क्या कोई ऐसी हिदायतें जिला अधिकारियों को भी दी गयी हैं कि वह भी इसका ध्यान रखें ?

श्री चरणसिंह---मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि जब यहां से ए० सी० ओ० के सेलेक्शन के लिये डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन को आदेश गये हैं कि सेलेक्शन कमेटी थर्ड डिवीजनर्स को भी बुलायें इंटरव्यू में और यदि कोई योग्य हो तो उसे ले ले तो यह ठीक ही है कि ऐसे आदेश जिले को भी जाने चाहिये और शायद वह डायरेक्टर आफ कन्सालिडेशन ने भी भेजे होंगे और यदि नहीं भेजे हैं तो भिजवा दूंगा ।

उतरौला तहसील के चपरासी के पीटे जाने के मुकदमें से सम्बन्धित प्रश्न के विषय में पुलिस अधीक्षक, गोंडा द्वारा गलत सूचना भेजना

*५---श्री बलदेव सिंह---उतरौला तहसील, जिला गोंडा के एक चपरासी को सरकारी कार्य करते समय मारे जाने की रिपोर्ट के सम्बन्ध में २७ मार्च, १९५८ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६६ व १३ अगस्त, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तरों के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सदन में यह सूचना किस अधिकारी की जांच के आधार पर दी गई कि सम्बन्धित मामला परगनाधीश, उतरौला के न्यायालय में १४ अप्रैल, १९५८ को पहुंचा और मिसिल नं० २६४ पर दर्ज हुआ ?

श्री चरणसिंह---पुलिस अधीक्षक, गोंडा की प्रसूचना के आधार पर ।

*६---श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त सूचना सही नहीं है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी या अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---सूचना सही नहीं है। इस सम्बन्ध में पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल को आदेश दिये गये हैं कि वे पुलिस अधीक्षक गोंडा को हिदायत दें कि भविष्य में ऐसी त्रुटियां न होने पावें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जो सही सूचना थी और जो नहीं दी गई वह बिलकुल स्पष्ट और निश्चित है जो प्रश्न ५ के अन्तिम भाग से स्पष्ट है कि मामला परगनाधीश, उतरौला के न्यायालय में १४ अप्रैल, १९५८ को पहुंचा और मिसिल नम्बर २६४ पर दर्ज हुआ, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया कि ३ मर्तबा ऐसी निश्चित और स्पष्ट सूचना जिसमें मिसिल नम्बर और अदालत का नाम है क्यों बार-बार बिला सूचना के दोहरायी गयी ?

श्री चरणसिंह---बार-बार तो नहीं दोहराई गयी। एक बार उन्होंने ऐसी इत्तला भेजी। वह इत्तला बेशक गलत थी, लेकिन उसमें किसी उनकी नीयत वगैरह का सवाल नहीं उठता। वह सहवन हो गया और आई० जी० ने सुपरिन्टेन्डेन्ट को कह दिया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होने पायें, तुम अपने दफ्तर को ठीक करो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सदन को सही सूचना न देने से विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो जाता है और जनहित में बाधा पड़ती है, सरकार ने इस बात की जांच करायी कि उन्होंने जो इस तरह की सूचना स्पष्ट दी है, गलती से दी है या जानबूझ कर दी है ?

श्री चरणसिंह---सरकार संतुष्ट है कि गलती से दी गयी है, जानबूझ कर गलत सूचना देने का सवाल नहीं उठता।

श्री बलदेव सिंह---अध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रश्न का पहले जवाब यह दिया गया कि यह मामला परगनाधीश के विचाराधीन है। फिर बताया गया कि फलां हाकिम के यहां विचाराधीन है और आज बताया जाता है कि वह गलती से ऐसा जवाब दे दिया गया और उसके लिये सजा जो तजवीज की है वह यह कि जिला अधीक्षक को आई० जी० द्वारा बता दिया गया है कि वह भविष्य में ऐसा गलत जवाब न दें। क्या उनको गलत जवाब देने का आज तक अख्तियार हासिल था ?

श्री चरण सिंह---गलत सूचना देने का हक तो सुपरिन्टेन्डेंट को नहीं है और न हममें से यहां किसी को गलत बात कहने का हक हासिल है, लेकिन जो गलती हुई है वह जानबूझ कर नहीं हुई और अगर मान लो, एक ही मुकदमा होता और उसके मुताल्लिक गलत बात कहा जाती तो कहा जा सकता था कि इतनी बड़ी गलती हुई, फिर भी गलती हो सकती थी, ग्रास मिस्टेक हो सकती थी, लेकिन दो तीन मुकदमे चल रहे थे इस वजह से उनको कन्फ्यूजन हो गया।

एक सदस्य---सवाल एक मुकदमे के बारे में था।

श्री चरणसिंह---आप की राय यह है, गवर्नमेंट की राय ऐसी नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, क्या सरकार यह बतलायेगी कि जो चपरासी मारे जाने की रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछा गया था और यह कहा गया था कि अदालत में मुकदमा चल रहा है तो क्या यह सही है कि मामला दबा दिया गया, किसी अदालत में नहीं भेजा गया ? और अगर नहीं भेजा गया तो अब उसकी हालत क्या है ? यह जवाब सही नहीं है तो सही बात क्या है ?

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, उन्होंने दरअसल जो जवाब भेजा है वह इन-कम्पलीट था, उसको गलत भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे वर्ड्स उनके जवाब के नहीं थे कि यह कहा जाय कि डेलीबरेट मिसस्टेटमेंट या सपरेशन आफ फ़ैक्ट्स कर रहे हैं। वाकया यह है कि एक चपरासी पीटा गया। "पीटा गया" की बाबत इस तरह से पूछा गया कि "मारा गया"; "पीटा गया" और "मारा गया" में बड़ा भारी अन्तर है। कोई अपने मारे जाने के बाद रिपोर्ट नहीं कर सकता है, पीटे जाने के बाद कर सकता है। तो सवाल ऐसा था। अब एक शख्स समन तामील करने के लिए, चपरासी जाता है रामलाल के यहां और बद्री को लेकर जाता है। उसके मुताल्लिक कुछ मारपीट की शिकायत १६ अगस्त को की जाती है कि चपरासी के साथ मार-पीट हुई। इसकी तहकीकात की गयी। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि रिपोर्ट एग्जेजरेटेड थी और कोई कार्यवाही करनी मुनासिब नहीं समझी गयी। लेकिन बद्री और रामलाल के ताल्लुक आपस में पहले से ही खराब थे, तो उनके खिलाफ १०७ की कार्यवाही की गयी। अब जवाब यह आया कि रिपोर्ट हुई, कार्यवाही चल रही है बद्री और रामलाल के खिलाफ, यानी रिपोर्ट के फलस्वरूप कार्यवाही चल रही है, अगर्चे वह १०७ जाब्ता फौजदारी का मामला था और रामलाल और बद्री के खिलाफ इंडिपेंडेंट कार्यवाही इंस्टीट्यूट की गयी। उस कार्यवाही का नतीजा यह निकला कि बद्री के खिलाफ १२ अगस्त को सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, उतरौला के कोर्ट में कार्यवाही हुई। यह केस गया २ सितम्बर को, रजिस्टर हुआ ४३५ नम्बर पर और तय हुआ २८-११-५७ को। रामलाल की पार्टी के लोगों के खिलाफ २० फरवरी को यह कार्यवाही हुई और यह मुकदमा १४ अप्रैल को अदालत में दर्ज हुआ और अभी जेरे तजवीज है। तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया। जो उन्होंने वहां से जवाब भेजा वह बहुत सही नहीं था। गवर्नमेंट इस सिलसिले में सैटिस्फ़ाइड है कि उन्होंने जान-बूझ कर कोई गलती नहीं की, गवर्नमेंट के मिसलीड करने की कोशिश नहीं की।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह--श्रीमन्, २७ मार्च के प्रश्न में बद्री का तो कोई सवाल ही नहीं है। स्पष्ट है कि क्या तहसील का चपरासी किसी व्यक्ति द्वारा मारा गया। तो महज रामलाल, जिसने मारा, और चपरासी के बीच का सवाल था। बद्री का नाम तो महज कनफ्यूज करने के लिये अधीक्षक महोदय ने भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पूछें।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह--२७ मार्च के प्रश्न में यह स्पष्ट था कि क्या तहसील का कोई चपरासी रामलाल के द्वारा मारा गया। जवाब आया कि थाने में रिपोर्ट है, मामला चल रहा है, तो उसमें बद्री का नाम सरकार किस आधार पर बीच में ला रही है?

श्री अध्यक्ष--आप तो टीका कर रहे हैं। बद्री का नाम क्यों आ रहा है यह कोई प्रश्न नहीं है। पहिले उन्होंने जवाब दे दिया था कि उसके ऊपर शिकायत के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर उत्तर दिया है कि दोनों पर एक साथ १०७ की कार्यवाही हुई।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह--इसमें १०७ से क्या वास्ता?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने फ़ैक्ट्स बता दिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिन लोगों ने सरकार को गलत सूचना दी और सरकार के द्वारा सदन को गलत सूचना दी उनके खिलाफ कोई वैभागिक कार्यवाही करने का विचार सरकार कर रही है?

श्री चरणसिंह--मैं जवाब दे चुका हूं; चपरासी का नाम था बदरुल हसन, गांव में कहते हैं बदरू और वह आदमी था बद्री। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन हुआ और फिर सवाल था मारे जाने का। अगर मुझसे कोई कहे कि मारा गया तो मैं मर्डर का केस समझूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसको जो यह संतुष्टि हुई कि यह जानबूझ कर गलत इत्तला नहीं दी गई है वह केवल फाइल के आधार पर हुई या उसने जांच कराई?

श्री चरणसिंह---फाइल जांच के आधार पर ही बना करती है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १४ अप्रैल, १९५८ को जो मामला परगनाधीश, उतरौला के न्यायालय में पहुंचा और मिसिल पर २६४ नम्बर दर्ज हुआ वह किससे सम्बन्धित था ?

श्री चरणसिंह---मिसिल नम्बर, तारीख, यह सब मुझे याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न में ही दिया हुआ है।

श्री चरणसिंह---नम्बर वगैरह के मुताल्लिक मैं नहीं बता सकूंगा कि किसके नाम दर्ज था वह।

खीरी जिले की निघासन तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*७---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जनवरी, १९५८ से जुलाई, ५८ तक तहसील निघासन, जिला खीरी के किन-किन ग्रामों में आग से हानि हुई ?

श्री चरणसिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९५-५९६ पर)

*८---श्री जगन्नाथ प्रसाद--- क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अनुमानतः कितनी हानि अग्निकाण्डों के कारण हुई ?

श्री चरणसिंह---२,९६२ मकान जले, ११६ पशुओं की जानें गईं तथा रुपये में हानि अनुमानतः ५,९९,१०० रुपये की हुई।

*९---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि अग्निपीड़ितों को क्या-क्या सहायता सरकार की ओर से पहुंचायी गयी ?

श्री चरणसिंह---आवश्यकतानुसार १२,५०० रुपये बतौर तकावी और ४५० रुपये बतौर अहेतुक सहायता के सरकार की ओर से दिये गये। इसके अतिरिक्त जंगल से छप्पर छाने की लकड़ियों का प्रबन्ध भी, जहां आवश्यकता थी किया गया।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में चकबन्दी के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह का कथित नोटिस

*१०---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में हो रही चकबन्दी के विरोध में वहां की जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह का कोई नोटिस सरकार को मिला है ?

श्री चरण सिंह--- जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में हो रही चकबन्दी के विरोध में वहां की जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्याग्रह का कोई नोटिस सरकार को नहीं मिला है।

शाहजहांपुर जिले से बैलों की तकावी के लिए प्रार्थना-पत्र

*११---श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में अप्रैल, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक किसानों ने बैलों की तकावी के वास्ते कितने प्रार्थना-पत्र अलग-अलग तहसीलों में दिये हैं, उनमें से कितने व्यक्तियों को तकावी दी गई और कितने लोगों को अभी तकावी नहीं दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५९७ पर)

व्यक्तियों के नामों के पूर्व व पश्चात् विशेषण शब्दों को अवैध घोषित करने की प्रार्थना

*१२--श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तियों के नाम के आगे तथा पीछे जो विशेषण विशेष जाति आदि का परिचय कराने के लिये लगाये जाते हैं उनको कानून बनाकर ऐसे विशेषण लगाने का निषेध करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

राजकीय उद्योग प्रशिक्षण संस्था, अलीगढ़ में स्थान बढ़ाने की प्रार्थना

*१३--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अलीगढ़ उद्योग प्रशिक्षण संस्था (I. T. I.) में प्रत्येक उद्योग (trade) की सीट की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ? यदि हां, तो किस-किस उद्योग में कितनी-कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*१४--श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)--[वित्त मंत्री द्वारा (२-१२-५८) को इसी संख्या के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

इलाहाबाद जिले को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कथित सूचना

*१५--कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार के पास इलाहाबाद के सरकारी अधिकारियों ने जून, १९५८ के पहले इलाहाबाद जिले को अभावग्रस्त एरिया मानने की सूचना भेजी थी ? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों की सूचना मिली थी ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*१६--श्री गणेश चन्द काछी (जिला मैनपुरी)--[हटा दिया गया।]

मैनपुरी जिले में भोगांव तथा बेवर टाउन एरियाओं में जमींदारी न खत्म होना

*१७--श्री गणेश चन्द काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया भोगांव तथा टाउन एरिया बेवर के जमींदारों को जमींदारी विनाश से सम्बन्धित मुआवजा दे दिया गया है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--मैनपुरी जिले के भोगांव तथा बेवर टाउन एरियों में नागर क्षेत्र जमीन्दारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत अभी जमीन्दारी विनाश नहीं हुआ है, इसलिये मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन के प्रार्थना-पत्रों की स्वीकृति

*१८--श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में अब तक कितने व्यक्तियों ने वृद्धावस्था की पेन्शन के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उनमें कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--लखनऊ जिले में अब तक ६८९ व्यक्तियों के वृद्धावस्था की पेंशन के निमित्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से ४० प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं।

*१९--श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुल ३९० प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं जिसमें से ३७४ जिलाधीश ने और १६ श्रमायुक्त ने अस्वीकृत किये ।

*२०--श्री बादाम सिंह---[स्थगित किया गया ।]

*२१--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--[स्थानान्तरित किया गया ।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में मालगुजारी में छूट देने का विचार

*२२--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर, की सन् १९५८ की रबी की मालगुजारी में फसल अच्छी न होने के कारण कितने प्रतिशत की छूट दी गई ?

श्री चरणसिंह--सन् १९५८ ई० की रबी की फसल की क्षति के सम्बन्ध में जिला जौनपुर में अभी तक मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी गई है । इस जिले के रबी १३६५ फसली के छूट के प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन हैं और उन प्रस्तावों के अनुसार तहसील शाहगंज के क्षतिग्रस्त ग्रामों में उनकी मालगुजारी की मांग के ३५.८ प्रतिशत भाग की छूट देने का प्रस्ताव है ।

लेखपाली तथा कानूनगोई ट्रेनिंग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की भर्ती

*२३--श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश लेखपाली ट्रेनिंग में सन् ५८ में कितने व्यक्ति प्रति सेन्टर पर लिये गये ? उनमें अलग-अलग सेन्टरों पर कितने परिगणित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चरणसिंह--वांछित सूचना इस प्रकार है :

सेन्टर का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या जो १९५८ में लिये गये		
	कुल अभ्यर्थी	परिगणित जाति के अभ्यर्थी	पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी
बुलन्दशहर	२०	..	४
आगरा	३१	२	११
मुरादाबाद	४६	२	१६
इटावा	५६	१	२२
झांसी (ललितपुर)	२९	१	११
गाजीपुर	५०	५	१२
गोरखपुर	३०	..	४
हरदोई	७९	६	३५
गोंडा	५३	३	९
योग ..	३९४	२०	१२४

*२४--श्री हरदयाल सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानूनगो ट्रेनिंग सेन्टरों पर सन् ५८ में कितने व्यक्तियों ने ट्रेनिंग पाना शुरू किया ? उस ट्रेनिंग में कितने परिगणित जाति के तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चरणसिंह--सन् १९५७-५८ में कुल १०० अभ्यर्थियों ने कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर, में ट्रेनिंग पाना आरम्भ किया। इस ट्रेनिंग में २ परिगणित जाति के अभ्यर्थी तथा ५ पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी थे। इनमें से १ परिगणित जाति का अभ्यर्थी ट्रेनिंग छोड़कर चला गया।

बाराबंकी जिले में तहसीलवार जमींदारी बाण्डों की बकाया रकम

*२५--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, तहसील हैदरगढ़ व रामसनेही घाट, फतेहपुर, नवाबगंज प्रत्येक तहसीलवार जमींदारी बांडों की कुल रकम कितनी है और कितने बांडों की रकम का भुगतान हो चुका है तथा कितनी रकम बकाया है ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न में पूछी गई सूचना सम्बद्ध तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५९८ पर)

*२६--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार जेल मेनुअल को अंग्रेजी भाषा के बजाय हिन्दी या उर्दू में उल्था कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह--कुछ कारणों से वर्तमान जेल मैनुअल का संशोधन किया जाना आवश्यक है। मैनुअल को हिन्दी या उर्दू में अनूदित किए जाने का प्रश्न तभी लिया जायगा जब इसका संशोधित संस्करण तैयार हो जायगा। इस कार्य में काफी समय लगेगा।

उन्नाव जिले की कथित जुईल झील से फसल को हानि

*२७--श्री सजीवन लाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला उन्नाव के अन्तर्गत जुईल झील ने जो हसनगंज तहसील के ग्राम पुरव्यावां से निकली है कितने-कितने ग्रामों की फसल को १९५६ व ५७ में नुकसान पहुंचाया है ?

श्री चरण सिंह--सदस्य महोदय का तात्पर्य पुथियावां ग्राम से प्रतीत होता है। पुथियावां ग्राम से जुईल नाम की कोई झील नहीं निकलती है। अतः नुकसान पहुंचने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

जालौन जिले के लिये वृद्धावस्था की पेन्शन

*२८--श्री गरीब दास चौधरी (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में अब तक तहसीलवार कितने व्यक्तियों को बृद्धावस्था की पेन्शन स्वीकार की गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला जालौन में अब तक ७७ व्यक्तियों को बृद्धावस्था पेंशन दी गई है जिसका तहसीलवार ब्यौरा निम्नलिखित है :--

नाम तहसील	संख्या
जालौन	१८
कालपी	२२
उरई	२३
कोंच	१४
योग ..	७७

मुजफ्फरनगर जिला जेल में क्षमता से अधिक बन्दी रखना

*२९--श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिला जेल में कितने कैदियों व हवालातियों के रहने की जगह है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--६८ कैदियों तथा १०८ हवालातियों के रहने की जगह है ।

*३०--श्री गयूर अली खां--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जेल में २५ जुलाई, १९५८ को कितने कैदी व हवालाती रक्खे गये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१५५ कैदी व २२० हवालाती ।

हरदोई जिले के कलेक्शन नायब तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच

*३१--श्री बुलाकी राम वर्मा (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, १९५८ से अब तक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (कम्पलेंट्स), हरदोई ने तहसील हरदोई के कितने कलेक्शन नायब तहसीलदारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच की ?

श्री चरणसिंह--डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (कम्प्लेंट्स), हरदोई ने मई, १९५८ से अब तक तहसील हरदोई के १ कलेक्शन नायब तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धीशिकायतों की जांच की ।

*३२--श्री बुलाकी राम वर्मा--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि तहसील हरदोई के किसी नायब तहसीलदार के विरुद्ध डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस (कम्प्लेंट्स) की जांच के पश्चात् उसी जांच की दोबारा जांच एस० डी० ओ० बिलग्राम से भी कराई जा रही है ?

श्री चरणसिंह--जी हां । जांच एस० डी० ओ० सदर कर चुके हैं ।

हरदोई जिले में कल्याण विस्तार योजनाओं पर व्यय

*३३--श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में १९५६-५७, ५७-५८ में कल्याण-विस्तार योजनाओं पर कहां-कहां, कितना-कितना और किस किस मद पर व्यय हुआ ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--कृपया संलग्न †सूची देखें ।

नैनीताल जिले में नन्धौर नदी के बाढ़पीड़ितों को सहायता

*३४--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चोरगलिया, जिला नैनीताल में नन्धौर नदी की बाढ़ से कितनी भूमि की व फसल की हानि इस वर्ष हुई है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--इस वर्ष नन्धौर नदी की बाढ़ से कुल ५५७ एकड़ भूमि प्रभावित हुई, जिसमें से १३० एकड़ फसल वाली भूमि भी थी जिसको नुकसान पहुंचा है । क्षति-ग्रस्त फसल का मूल्य लगभग ३०,९७० रुपये है ।

---

†सूची छापी नहीं गई ।

*३५--श्री प्रताप सिंह---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त क्षतिग्रस्त ग्रामों की जनता को क्या मदद दी गई और भविष्य में क्या देने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्षतिग्रस्त ग्रामों की जनता को अनाज, कपड़ा तथा अन्य जरूरी चीजों के लिये ५०० रुपये की तात्कालिक सहायता दी गयी। इसके अलावा ६ मन, ३४ १/२ सेर अन्न व ४,६०० रुपये की तकावी, तथा मुफ्त दवाइयां वितरित की गईं। बाढ़ से क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए मकानों के बनाने के लिये इमारती लकड़ी व घास मुफ्त दी जा रही है।

*३६--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---[२ दिसम्बर, १९५८ को इसी संख्या के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

'वर्क्स कौंसिल' के बिना औद्योगिक प्रतिष्ठान

*३७---श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में "वर्क्स कौंसिल" का निर्माण हो गया है और किन-किन सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में "वर्क्स कौंसिल" का निर्माण नहीं हो पाया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दो सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में "वर्क्स कौंसिल" (कार्य परिषद्) का निर्माण हो चुका है, जिनके नाम हैं :

(१) गवर्नमेंट प्रिसीशन इन्सट्रमेंट फैक्ट्री, लखनऊ।

(२) गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, चुर्क, मिर्जापुर।

जिन सरकारी प्रतिष्ठानों में 'वर्क्स कौंसिल' का निर्माण नहीं हो चुका है, उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५९९ पर)

प्रोबेशन कार्यालय, शाहजहांपुर का व्यय

*३८---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर जिले में प्रोबेशन आफिसर के दफ्तर का कुल खर्च वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितना हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---५,७१९ रुपये ६७ नये पैसे वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में जिला प्रोबेशन कार्यालय, शाहजहांपुर पर व्यय किये गये।

*३९---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय शाहजहांपुर में कितने प्रोबेशनर्स जिला प्रोबेशन आफिसर की निगरानी में हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---३१ अक्तूबर, १९५८ ई० को जिला प्रोबेशन आफिसर की देख-रेख में ८० प्रोबेशनर्स थे।

गोंडा जिले में लगान में छूट

*४०--श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार ने १३६५ फसली में खरीफ की फसल नष्ट होने पर गोंडा जिले में छूट दी है ? यदि हां, तो क्या उसकी परगनेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी हां, छूट की परगनेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६०० पर)

ग्राम समाज की सम्पत्ति पर अवैध अधिकार रखने की शिकायत

*४१--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार ने प्रत्येक ग्राम सभा में इस प्रकार के रेकार्ड तैयार कराये हैं कि ग्राम सभा के आरम्भ में उसके पास कितनी भूमि तथा जायदाद थी और अब कितनी है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। ग्राम समाज के संपत्ति रजिस्टर में केवल उस भूमि तथा जायदाद का इन्दराज होता जिसे सरकार ने ग्राम समाज में प्रबन्ध हेतु निहित किया है।

*४२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार ऐसे आदेश दिये हैं कि जिन लोगों ने बिना मूल्य तथा बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया है और उन पर मकान बना लिये हैं उन्हें वापस ले लिया जाय अथवा उनका उचित मूल्य जो किसी उच्च अधिकारी के सामने निर्धारित किया जाय वसूल कर लिया जाय ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वाले की बेदखली जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५ सी० जी० के अनुसार होती है। न तो ऐसी कोई व्यवस्था है कि उचित मूल्य लेकर कब्जा करने वाले के पास भूमि रहने दी जाय और न ऐसी व्यवस्था करना उचित ही होगा।

बलिया जिलान्तर्गत बांसडीह तहसील में टेस्ट वर्क न चालू हो सकना

*४३--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत तहसील बांसडीह के ग्राम पूर में गत साल टेस्ट वर्क चालू करने की योजना थी ? यदि हां, तो टेस्ट वर्क क्यों नहीं चालू किया गया ?

श्री चरण सिंह--जी हां, ऐसी योजना थी, परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि टेस्ट वर्क की निर्धारित मजदूरी पर मजदूर नहीं मिले।

*४४--श्री जगन्नाथ चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत तहसील बांसडीह में इस साल कहां-कहां टेस्ट वर्क चालू करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह--इस वर्ष बलिया जिले में टेस्ट वर्क के लिये ५०,००० रुपया शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, और जिले के २ स्थानों पर टेस्ट वर्क खोले भी गये थे, परन्तु काम करने के लिये मजदूर नहीं आये।

कलेक्शन नायब तहसीलदारों को स्थायी करने का विचार

*४५--श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वर्तमान कलेक्शन नायब तहसीलदारों को स्थायी बनाने की स्कीम सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चरण सिंह--जी हां।

*४६--श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने कलेक्शन नायब तहसीलदारों को स्थायी बनाया जायेगा ?

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*४७--श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितन हरिजन कलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितनों को स्थायी बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह---प्रदेश में इस समय कुवल ४० हरिजन कलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्न ४६ के उत्तर में बताया गया है, कलेक्शन नायब तहसीलदार के पदों के स्थायीकरण का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अतः प्रश्न के दूसरे भाग का अभी कोई सवाल नहीं उठता।

*४८--श्री गणेशी लाल चौधरी---[स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील से बुढ़ापे की पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*४९---श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुढ़ापे की पेन्शन के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र मछलीशहर तहसील, जिला जौनपुर से प्राप्त हुए और उनमें से कितने स्वीकृत हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--बुढ़ापे की पेन्शन के लिये मछलीशहर तहसील, जिला जौनपुर, से ५९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से १९ पेन्शन के लिये स्वीकृत हुए।

मेरठ जिले के लिए वृद्धावस्था की पेन्शन की स्वीकृति

*५०---श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७-५८ में जिला मेरठ में वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अधीन कितने वृद्ध व्यक्तियों को पेन्शन दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला मेरठ में सन् १९५७-५८ में (अर्थात् मार्च, १९५८ तक) ४१ व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत हुई तथा अब तक कुल ८६ व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है।

बस्ती जिले के परगना बांसी पश्चिम में बाढ़ से क्षति

*५१---श्री राम लखन मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि परगना बांसी पश्चिम, जिला बस्ती में बाढ़ या पानी के जमाव से इस वर्ष कितने और किन ग्रामों में क्षति पहुंची है ?

श्री चरण सिंह---इस वर्ष बस्ती जिले के परगना बांसी पश्चिम में बाढ़ तथा पानी के जमाव से कुल ४५ गांवों को क्षति पहुंची। इन गांवों के नाम संलग्न सूची में दिखा दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६०१ पर)

बुलन्दशहर जिले के लिए वृद्धावस्था की पेन्शन की स्वीकृति

*५२---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में प्रत्येक तहसील में अगस्त सन् १९५८ तक कितनी-कितनी बुढ़ापे की पेन्शन लोगों को दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला बुलन्दशहर में अगस्त, १९५८ तक ५५ मनुष्यों को बुढ़ापे की पेन्शन दी गई जिसका ब्योरा तहसीलवार निम्नलिखित है :

तहसील बुलन्दशहर	१५
तहसील अनूपशहर	१६
तहसील खुर्जा	८
तहसील सिकन्दराबाद	१६
योग	५५

सिकन्दराबाद तहसील में चकबन्दी के कार्य पर व्यय

*५३---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, में चकबन्दी का कार्य कब से आरम्भ हुआ और कब तक समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री चरण सिंह---तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, में चकबन्दी का कार्य मार्च, १९५५ ई० में आरम्भ किया गया था। आशा की जाती है कि वहां पर कार्य लगभग ३ माह में समाप्त हो जायगा।

*५४---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि अब तक सिकन्दराबाद तहसील में कितना धन चकबन्दी पर व्यय हो चुका है ?

श्री चरण सिंह---अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक इस तहसील में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत कुल १७,६५,५०० रु० व्यय हो चुका है।

राज्य में चकबन्दी का कार्यक्षेत्र

*५५---श्री गणेशचन्द काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितने जिलों में चकबन्दी हो रही है और कितने जिलों में हो चुकी है ?

श्री चरण सिंह---इस समय उत्तर प्रदेश के २७ जिलों की ३२ तहसीलों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है जिनमें से पांच जिलों की एक-एक तहसील में कार्य पूरा हो चुका है। किसी भी जिले में पूरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है।

मुजफ्फरनगर जिले के लिए बुढ़ापे की पेन्शन की स्वीकृति

*५६---श्री बादाम सिंह---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में बुढ़ापे की पेन्शन सम्बन्धी कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने व्यक्तियों को बुढ़ापे की पेन्शन दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला मुजफ्फरनगर में अभी तक बुढ़ापे के पेन्शन सम्बन्धी ५२९ प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से १४८ व्यक्तियों को पेन्शनें स्वीकृत की गईं।

फैजाबाद जिले में समाज-कल्याण कार्यों के लिए अनुदान

*५७---श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--- क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जिले में समाज कल्याण के कौन-कौन से कार्य हो रहे हैं और वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में उन पर कितने व्यय की व्यवस्था की गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---चालू वित्तीय वर्ष में फैजाबाद में महिला मंगल योजना, सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य योजना तथा नगर समाज कल्याण समिति के अतिरिक्त कल्याण विस्तार योजना का कार्य हो रहा है। इन सब कार्यों के लिये ८४,८०० रुपये की व्यवस्था है।

रायबरेली जेल में कुष्ठ रोगियों की उपचार व्यवस्था

*५८---श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जेल में कुष्ठ रोग से पीड़ित बन्दियों के रखने के लिये व्यवस्था विशेष है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां।

*५९---श्री गुप्तार सिंह--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन कुष्ठ रोगों से पीड़ित बन्दियों के दवा के हेतु सरकार ने क्या प्रबन्ध कर रखा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- कुष्ठ रोग से पीड़ित बन्दियों का इलाज करने के लिये एक विशेषज्ञ डाक्टर नियुक्त है तथा इस रोग के लिए विशेष दवाओं, भोजन तथा अलग रहने के प्रबन्ध आदि की व्यवस्था है।

*६०---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---[स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले की कुछ तहसीलों में टेलीफोन लगना

*६१---श्री गौरी राम गुप्त (जिला गोरखपुर)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की हर तहसील के कार्यालय में टेलीफोन लगवाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? अगर हां, तो टेलीफोन कब तक लगवा दिया जायेगा?

श्री चरण सिंह---शासन ने तहसील बांसगांव को छोड़ कर जिले की हर तहसील में टेलीफोन लगवाने की स्वीकृति १२ अप्रैल, १९५८ को ही दे दी थी और तहसील सदर और फरेंदा में टेलीफोन लग भी गये। महाराजगंज में टेलीफोन लगवाने की कार्यवाही हो रही है। बांसगांव कस्बे में अभी टेलीफोन लाइन नहीं पहुंची है, अतः बासगांव तहसील में टेलीफोन लगवाने की स्वीकृति शासन ने नहीं दी है।

फैजाबाद जिले से वृद्धावस्था की पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*६२---श्री जयराम वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जिले से बुढ़ौती के पेन्शन के कितने प्रार्थना-पत्र अब तक प्राप्त हुये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- फैजाबाद जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन के लिये अब तक ४०५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

*६३---श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--- [स्थगित किया गया।]]

*६४---श्री सुक्खन लाल (जिला मुरादाबाद)--- [स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में पुराने पटवारियों की लेखपालों की जगह नियुक्ति

*६५---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३ में बलिया जिला में सामूहिक रूप से कुल कितने पटवारियों ने इस्तीफा दिया था?

श्री चरण सिंह---५११ पटवारियों ने।

*६६---श्री जगन्नाथ चौधरी--- क्या यह सत्य है कि २३-१०-५४ को राजस्व मंत्री ने घोषणा की थी कि ४५ वर्ष से न्यून आयु के भूतपूर्व पटवारियों को लेखपाल पद पर पुनः नियुक्त करेंगे?

श्री चरण सिंह---जी हां। २३ अक्तूबर, १९५४ को एक राज्यादेश इस आशय का जारी किया गया था कि ४५ वर्ष से न्यून आयु के वे भूतपूर्व पटवारी जिनका सेवा अभिलेख अच्छा हो, जिनकी ख्याति अच्छी रही हो, जो ठीक मनः स्थिति में हों और जो अन्य निर्धारित योग्यताओं तथा नियमों को पूरा करते हों, लेखपाल के पद पर नियुक्ति के योग्य समझे जायं।

*६७---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में तहसीलवार ४५ वर्ष से कम आयु के कितने इस्तीफा देने वाले पटवारी थे और उनमें से अब तक कितनों की लेखपाल के स्थान पर नियुक्तियां हुईं?

श्री चरण सिंह---वांछित सूचना इस प्रकार है :--

तहसील	४५ वर्ष से कम आयु के भूतपूर्व पटवारियों की संख्या	४५ वर्ष से कम आयु के उन भूतपूर्व पटवारियों की संख्या जिनकी लेखपाल के स्थान पर नियुक्ति हो चुकी है
बलिया	५९	२४
बांसडीह	४८	१६
रसड़ा	४८	३५
योग ..	१५५	७५

*६८--श्री परमेश्वर दीन वर्मा (जिला उन्नाव)--[स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले में समाज कल्याण कार्यों पर व्यय

*६९--श्री परमेश्वरदीन वर्मा---क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में गत ३ वर्षों में सरकार ने समाज कल्याण के लिये कितना रुपया खर्च किया और कौन-कौन सी संस्थायें कहां-कहां खोलीं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---गत तीन वर्षों में उन्नाव में कुल ४५,५५२ रु० २९ नये पैसे व्यय किये गये, तथा निम्नलिखित संस्थायें खोली गईं :--

जिला स्तर पर नगर समाज कल्याण समिति तथा जिला शरणालय एवं प्रवेशालय खोला गया तथा निम्नलिखित ग्रामों में महिला मंगल केन्द्र चलाये गये :--

१---अतवारपुर, २---नवाबगंज, ३---मकूर, ४---बमाना, ५---रज्जाकपुर, ६---फतेहपुर, ७---पंगाहा, ८---सहिला, ९---पाटन, १०---सिकन्दरपुर, ११---बिहार, १२---टौरा, १३---सराय मनिहार, और १४---जरगांव ।

बस्ती जिले के महिला मंगल केन्द्र

*७०---श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)---क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में महिला मंगल केन्द्र कहां हैं और वह क्या काम कर रहा है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६०२ पर)

*७१---श्रीमती गेंदादेवी---[११ दिसम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

वाराणसी जिले के लिए वृद्धावस्था की पेन्शन की स्वीकृति

*७२---श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी शहर तथा जिला से बुढ़ापे की पेन्शन प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें से कितनों को यह पेन्शन प्राप्त हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वाराणसी शहर तथा जिले से बुढ़ापे की पेंशन प्राप्त करने हेतु अब तक ७४६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें से १४१ को यह पेंशन स्वीकृत हुई ।

बलिया जिलान्तर्गत शिवपुर दोयर ग्राम वासियों की पुनर्वासन के लिए प्रार्थना

*७३--श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले के शिवपुर दोयर ग्राम के पश्चिमी भाग (टेकारी, ओझडेरा, पांडे डेरा) के लोगों ने, जिनकी अधिकांश भूमि कट कर बलिया की ओर आगई है, बसने के लिये जमीन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री चरण सिंह--जी हां। यह गांव बिहार में स्थित है, परन्तु गंगा की कटान से इसकी बहुत-सी भूमि कटकर इस पार बलिया जिले में आ गई है। ग्रामवासियों ने गत मार्च में जिलाधीश बलिया को भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था।

*७४--श्री गौरीशंकर राय--क्या यह भी सच है कि गंगा के उस पार जहां इस समय उन लोगों ने छप्पर डाले हैं भूमि इतनी नीची है कि थोड़ी ही बाढ़ में डूब जायेगी ?

श्री चरण सिंह--उस पार की भूमि जहां ये लोग इस समय बसे हुये हैं बिहार राज्य में है। यह संभव है कि वह भूमि नीची हो।

*७५--श्री गौरीशंकर राय--क्या उक्त लोगों के बसने की व्यवस्था बाढ़ आने के पहले हो जायेगी ?

श्री चरण सिंह--इनके लिये जिला अधिकारियों ने भूमि हस्तगत करने की कार्यवाही की थी, परन्तु संबंधित व्यक्तियों के आपत्ति करने पर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इनके बसने के लिये भूमि की व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है।

इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये गांव ऐसे क्षेत्र में अवस्थित हैं जहां नदी बराबर कभी इधर, कभी उधर अपनी धारा बदलती रहती है। अतः अन्ततः लोगों को अपनी व्यवस्था स्वयं ही करनी पड़ेगी, जैसा कि उनके पूर्वज शताब्दियों से करते रहे हैं।

*७६-७७--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--[स्थगित किये गये।]

हरदोई जिले में हरिजन कलेक्शन अमीन तथा चपरासी

*७८--श्री बुलाकी राम वर्मा--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में कुल कितने कलेक्शन अमीन तथा चपरासी हैं और उनमें हरिजनों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री चरण सिंह-- हरदोई जिले में कलेक्शन विभाग में १५५ अमीन तथा १५५ चपरासी हैं, जिनमें से ८ अमीन तथा २७ चपरासी हरिजन हैं।

*७९--श्री गंगा प्रसाद--[स्थगित किया गया।]

*८०-८१--श्री राम शरण यादव--[हटा दिये गये।]

*८२-८३--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[तेरहवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए इटावा जिले के मछुओं के प्रार्थना-पत्र

*८४--श्री अभय राम यादव (जिला इटावा)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इटावा जिले के मछुओं ने कितने प्रार्थना-पत्र सन् ५७ में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिये दिये ? इनमें से कितनों को प्रमाण-पत्र दिया गया और कितने प्रार्थना-पत्र अभी जिलाधीश के यहां विचाराधीन हैं ?

श्री चरण सिंह--इटावा जिले के मछुओं द्वारा सन् १९५७ में कुल १७ प्रार्थना-पत्र प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हेतु जिलाधीश इटावा के कार्यालय में प्राप्त हुये। उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से एक प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया गया तथा एक व्यक्ति के लिये प्रोफ़ेशनल सर्टिफिकेट स्वीकृत किया जा चुका था। इसी बीच सरकार द्वारा प्रोफ़ेशनल फिशरमैनों को प्रमाण-पत्र दिये जाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया जिसके कारण प्रोफ़ेशनल फ़िशरमैनों के बाक़ी १५ प्रार्थना-पत्र दाखिल दफ्तर कर दिये गये। अब मछुओं को जिलाधीश, इटावा के कार्यालय से प्रोफ़ेशनल सर्टिफिकेट मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले में बाढ़-ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने के लिए टेस्टवर्क चलाने की प्रार्थना

*८५--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार अलीगढ़ के उन गांवों में जहां ७५ प्रतिशत से अधिक मकान धराशायी हो गये हैं धरातल ऊंचा कराने के लिये टेस्ट वर्क आरम्भ करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग उठता नहीं।

गोरखपुर जिले में लगान वसूली के सिलसिले में वारंट जारी होना

*८६--श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा, महराजगंज, सदर व बांसगांव तहसीलों में लगान की कितनी-कितनी वसूली १९५७-५८ की रबी व खरीफ दोनों किस्तों की हो चुकी है?

श्री चरण सिंह--आवश्यक सूचना नत्थी 'क' पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६०३पर)

*८७--श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त चारों तहसीलों में अलग-अलग लगान वसूली के सिलसिले में कितने वारन्ट काटे गये?

श्री चरण सिंह--आवश्यक सूचना नत्थी 'ख' पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६०३ पर)

*८८-८९--श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[स्थानान्तरित किये गये।]

*९०--राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--[स्थानान्तरित किया गया।]

गाजीपुर जिले में लगान अदायगी के लिये रूपधन नामक बालक को बेचने की कथित घटना

*९१--श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम रसूलपुर, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर के श्री चइतर राम हरिजन ने अपना लगान चुकाने के लिये श्री रूपधन, अपने ११ वर्षीय पुत्र को मखना गांव, हलधरपुर थाना, जिला बलिया के एक भूतपूर्व जमींदार के हाथों २०० रुपये में बेंच दिया है? यदि हां, तो सरकार क्या पूरी घटना का विवरण सदन में देने की कृपा करेगी और यह भी बतायेगी कि उसने इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*९२--श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--[स्थानान्तरित किया गया।]

पीलीभीत, सीतापुर तथा फर्रुखाबाद जिलों में वृद्धावस्था की पेन्शन

*९३--श्री राजेन्द्र सिंह--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत, सीतापुर तथा फर्रुखाबाद में इस समय तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था की पेंशन स्वीकार की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पीलीभीत, सीतापुर तथा फर्रुखाबाद जिलों में अब तक पेंशन प्राप्त व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:--

पीलीभीत	..	३२
सीतापुर	..	५७
फर्रुखाबाद	..	८५

प्रतापगढ़ जिले में परगनाधीश, कुण्डा के विचाराधीन ग्राम प्रधान बकौल का मामला

*९४--श्री गया प्रसाद--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश तथा अन्य अधिकारियों (प्रतापगढ़) के पास दिसम्बर सन् १९५७ से १९५८ तक कितनी शिकायतें ग्राम प्रधान, बकौल, परगना ढिगवस, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध इस हेतु आई हैं कि उन्होंने नियम के विरुद्ध आराजी का पट्टा कर लिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह--ग्राम प्रधान बकौल के विरुद्ध ऐसी केवल एक शिकायत आई है। यह मामला परगनाधीश कुंडा के इजलास में विचाराधीन है।

*९५-९६--श्री रामशरण यादव--[स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में घाघरा नदी के बाढपीड़ितों को सहायता

*९७--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या राजस्वमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में १०, ११ अगस्त, ५८ को घाघरा नदी में बाढ़ आई थी उससे किन किन ग्रामों को क्षति पहुंची और कितने एकड़ भूमि जलमग्न हुई ? इस संबंध में सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह--१०,११ अगस्त, १९५८ को बाराबंकी में घाघरा नदी में जो बाढ़ आई थी, उससे तहसील रामसनेही घाट के ९९ गांवों तथा तहसील फतेहपुर के ४७ गांवों को क्षति पहुंची थी। अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है। इस बाढ़ से कुल लगभग ४८,५५८ एकड़ भूमि जलमग्न हुई थी।

सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित सहायता की--

१--३१ नावों का प्रबन्ध कर के लोगों तथा पशुओं को पानी से घिरे स्थानों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।

२--लोगों को तात्कालिक सहायता के रूप में १२२ रुपये ८ आने की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं।

३--लोगों को ७३३ रुपये की नकदी सहायता दी गई।

४--पशुओं के लिये लोहटी सरैया तथा दिवैत के सुरक्षित बन मुफ्त चराई के लिये खोल दिये गये।

५--बाढ़ से क्षति ग्रस्त खातों की मालगुजारी में छूट या स्थगन भी कायदे के अनुसार दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६०४-६०५ पर)

*९८--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी, जिला बाराबंकी में माह अगस्त, १९५८ में किन तारीखों में बाढ़ आई और कब तक रही ?

श्री चरण सिंह--जिला बाराबंकी में घाघरा नदी में ७ अगस्त, १९५८ को बाढ़ आई तथा ३१ अगस्त, १९५८ तक रही।

खीरी जिले में वृद्धावस्था की पेन्शन

*९९--श्री जगदीश नारायण दत्त सिंह (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में बुढ़ापे की पेंशन प्राप्त करने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये तथा उनमें से कितनों को यह पेंशन प्राप्त हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला खीरी में बुढ़ापे की पेंशन प्राप्त करने के लिये कुल २७७ प्रार्थना-पत्र ३१-८-५८ तक प्राप्त हुये और उनमें से १२१ व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत हुई।

जालौन जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*१००--श्री गरीब दास चौधरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष जुलाई तक जिला जालौन में आग लगने की कितनी दुर्घटनायें किन किन गांवों में हुई ?

श्री चरण सिंह--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६०६ पर)

*१०१--श्री गरीब दास चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अग्नि-कांड से पीड़ित व्यक्तियों की क्षति पूर्ति के लिये क्या-क्या सुविधायें सरकार से प्राप्त हुईं ?

श्री चरणसिंह--क्षतिपूर्ति तो कभी की नहीं जाती है। क्षतिग्रस्तों को आवश्यकता-नुसार सहायता देने का जरूर प्रयत्न किया जाता है। उक्त अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को ५७५ रुपये अहेतुक सहायता के रूप में तथा ४६,२२५ रुपये तकावी के रूप में बांटा गया। इसके अलावा गृह निर्माण के लिये टीन की चद्दरें और लकड़ी दिलाने की भी व्यवस्था की गई।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत महुआतर ग्राम तथा महुला सिरौना पार बांध से संबंधित भूमि की मालगुजारी वसूली की शिकायत

*१०२--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७-६-५८ को ग्राम महुआतर, पोस्ट चैनपुर गुलौरा जिला बलिया के कुछ किसानों ने तहसीलदार घोसी, जिला आजमगढ़ के यहां इस आशय की दरख्वास्त दी है कि मूसा डोही की उनकी भूमि घाघरा नदी के कटाव से कट गई है फिर भी सैकड़ों रुपये मालगुजारी जबरदस्ती वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह--जी हां, दो किसानों ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था। जांच के बाद ज्ञात हुआ कि जिन खातों का उनके प्रार्थना-पत्रों में जिक्र था वे दरिया के कटाव में १३६६ फसली में आये थे। इसलिये उस भूमि पर १३६५ फसली की मालगुजारी की नियमा-नुसार वसूली न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*१०३--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या महुला सिरौनापार, जिला आजमगढ़ तक सिंचाई विभाग द्वारा बनने वाले बांध में ली गई भूमि की मालगुजारी तीन वर्षों से उनके विभाग द्वारा वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

लेखपालों और अदालत के चपरासियों के महंगाई भत्ते में अन्तर

*१०४--श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सही है कि लेखपालों को केवल १२॥ रु० (साढ़े बारह रुपया) प्रतिमास तथा अदालत के चपरासियों को २० रुपये महंगाई भत्ता दिया जाता है? अगर हां, तो यह विषमता क्यों है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। लेखपालों को १७ रुपया तथा अदालत के चपरासियों को २५ रुपया प्रति मास महंगाई भत्ता दिया जाता है। भूतपूर्व पटवारियों के मुकाबिले में लेखपालों की सेवाओं को काफी सुविधायें दी गयी हैं। क्योंकि इनकी संख्या चकबन्दी के लेखपालों को मिलाकर करीब-करीब २६ हजार है इसलिये अगर इनको बजाय १७ रुपये के २५ रुपया भत्ता दिया जायगा तो सरकार के बजट में २५ लाख रुपये से अधिक व्यय पड़ जायगा जिसके लिये वित्तीय स्थिति इजाजत नहीं देती।

कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई से उत्तीर्ण सर्वे अमीन्स की नियुक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

*१०५--श्री द्वारिका प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई में १९५४ से १९५५ तक ट्रेनिंग पाये हुये सर्वे अमीन्स में से कितने व्यक्तियों को ट्रेनिंग के बाद जगहें दी गईं?

श्री चरण सिंह--वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज आफिस, इटावा द्वारा परिगणित जातियों के लोगों को नौकरी

*१०६--श्री भजनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज आफिस, इटावा में सन् १९५७ व १९५८ में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सन् १९५७ में १,३२३ और जनवरी, १९५८ से जून, १९५८ तक २,४१२ व्यक्तियों के नाम दर्ज हुये।

*१०७--श्री भजन लाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से इम्प्लायमेंट एक्सचेंज इटावा में खुला है, तब से लेकर जून, १९५८ तक कितने व्यक्तियों को किस-किस विभाग में नौकरी दिलायी गई, उनमें से कितने परिगणित तथा पिछड़ी जाति के हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२५८ व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई जिनमें से ४५ परिगणित जाति के थे। पिछड़ी जाति के कोई भी नहीं थे। विभागों का विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

इटावा जिलान्तर्गत परगना हाकिमों के विचाराधीन मुकदमे

*१०८--श्री भजनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में तहसील के परगना हाकिमों की इजलास में कितने-कितने ऐसे मुकदमे हैं जो:--

(क) चार वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?

(ख) तीन वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?

(ग) दो वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?

(घ) एक वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?

श्री चरण सिंह--१ नवम्बर, सन् १९५८ को ऐसे कोई भी मुकदमे नहीं थे।

लखनऊ में मत्स्य यूनियनें रजिस्टर करने के सम्बन्ध में जानकारी

*१०९--श्री राम शरण यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में कितनी मत्स्य यूनियन ३१ जुलाई, १९५८ तक रजिस्टर्ड हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक भी नहीं।

गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क्स पर व्यय

*११०--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जुलाई, १९५७ से १५ फरवरी, १९५८ तक कुल कितना रुपया गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क पर खर्च हुआ ?

श्री चरण सिंह--गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क पर १ जुलाई, १९५७ से १५ फरवरी, १९५८ तक कुल १,०३,२५२ रुपये खर्च हुआ।

*१११--श्री अब्दुल रऊफ लारी--उक्त समय में उपर्युक्त जिले की फरेंदा तहसील में भिन्न-भिन्न टेस्ट वर्क्स पर कितना-कितना खर्च हुआ ?

श्री चरण सिंह--तहसील फरेंदा में टेस्ट वर्क पर खर्च का विवरण इस प्रकार है:--

नाम टेस्ट वर्क			खर्च रुपया
१--बरवां कलां	..	..	३८,६६९
२--मकनहा अकटहवा बांध	..	..	३४७
३--खड़खडिया सोनवरा बुजुर्ग सड़क	..	..	५,४४०
४--नगवा बांध	..	..	६२०
		योग ..	४५,०७६

*११२-११३--श्री चन्द्रजीत यादव--[स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि के कारण सहायता

*११४--श्री नन्दराम--क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ में १३६६ फसली में अतिवृष्टि व अनावृष्टि व बाढ़ के कारण खरीफ व रबी की फसलों में कुल कितनी हानि हुई तथा सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह--प्रतापगढ़ जिले में १३६६ फसली में अतिवृष्टि अनावृष्टि, व बाढ़ के कारण ३७ ग्रामों में खरीफ की फसल को रुपये में आठ आने या उससे अधिक क्षति का अनुमान है। इन क्षतिग्रस्त ग्रामों में मालगुजारी तथा लगान में सहायता दिये जाने की अनुमानित धनराशि क्रमशः २३,८८५ रुपये और ३,५१८ रुपये है। मालगुजारी और लगान में सहायता की स्वीकृति सहायता के अंतिम प्रस्ताव आने पर नियमानुसार दी जायेगी। रबी १३६६ फसली की बुवाई अभी हुई है। अतः इस फसल की क्षति तथा उसके कारण सहायता देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

इन्डस्ट्रियल टक्निकल इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के सम्बन्ध में जानकारी

*११५--श्री गोविन्द सिंह विष्ट--क्या इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित विभिन्न ट्रेड्स के लोगों को रोजगार के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

सिगड्डी, जिला गढ़वाल में पेय-जल योजना के सम्बन्ध में कार्य

*११६—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल में सिगड्डी के पास किसानों को पानी पीने की सुविधा के हेतु इस वर्ष कोई विशेष प्रयत्न सरकार ने किये थे ? यदि हां, तो क्या इस समय वह सुविधा वहां के रहने वालों को उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—सिगड्डी में पीने के पानी की पूर्ति की योजना सरकार ने अगस्त सन् १९५६ में चलाई थी। अभी २८ tank type stand posts सिगड्डी तथा झंडीचौर के इलाके में लग चुके हैं। जुलाई के माह में अधिक वर्षा के कारण जिस पाइप लाइन द्वारा पानी आ रहा था वह ३ जगह टूट गई है। स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग पाइप लाइन की मरम्मत करने में प्रयत्नशील है। जरूरी सामान के अभाव के कारण योजना की पूर्ति में देरी हो रही है परन्तु आशा की जाती है कि इस वित्तीय वर्ष में योजना पूरी हो जायगी।

एटा जिले की अलीगंज तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*११७—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा की तहसील अलीगंज के कितने ग्रामों में इस वर्ष आग लगी, आग के लगने के कारण कितना नुकसान हुआ और उपर्युक्त अग्नि पीड़ित ग्रामों को सरकार ने कितनी सहायता दी ?

श्री चरण सिंह—जिला एटा की तहसील अलीगंज के २७ ग्रामों में इस वर्ष आग लगी, लगभग ५,१०,५८५ रुपये की सम्पत्ति का आग लगने के कारण नुकसान हुआ। उपरोक्त अग्नि पीड़ित ग्रामों को आवश्यकतानुसार २,७२५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में तथा ८,००० रुपये तकावी के रूप में दिये गये।

एटा, आगरा, मैनपुरी, कानपुर आदि जिलों में भूसे की कमी की शिकायत

*११८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा, आगरा, मैनपुरी, कानपुर आदि जिलों में भूसे की कमी और महंगाई को दूर करने के लिये उसने अब तक कोई कदम उठाये हैं ?

श्री चरण सिंह—उक्त जिलों में चारे की स्थिति चिन्ताजनक कभी नहीं रही। बाढ़ तथा पानी के जमा हो जाने से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को अपने पशुओं के लिये चारा प्राप्त करने में कुछ तकलीफ का सामना अवश्य करना पड़ा, परन्तु इस समय हरी घास उपलब्ध हो गई है, तथा जहां संभव है जंगल विभाग के चरागाहों में पशुओं को मुफ्त चराने की छूट दे दी गई है। अतः अब चारे की समस्या विकट नहीं है। शासन ने आवश्यकतानुसार बाहर से भूसा मंगाने का आदेश राज्य कर्मचारियों को दे दिया है।

स्वतंत्र भारत के विरुद्ध प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के पहले छापने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—विशेषाधिकार के सम्बन्ध में २—३ प्रश्न मेरे सामने मौजूद हैं। श्री नेकराम शर्मा जी ने जो उठाया था वह उन्होंने दैनिक समाचार-पत्र "स्वतंत्रभारत" के २१ नवम्बर, १९५८ की प्रति में जो खबर छपी थी उस संबंध में उठाया था जिसमें उत्तर प्रदेश की प्राक्कलन समिति के संबंध में मुख पृष्ठ पर समाचार छपा है कि श्री नेकराम शर्मा जी का कथन है कि "उत्तर प्रदेश प्रक्रिया नियमावली के नियम १६५ के अनुसार समिति की सारी कार्यवाही गुप्त रखना चाहिये जब तक कि वह सदन में प्रस्तुत न हो जाय। समाचार के पढ़ने से स्पष्ट होता है कि प्राक्कल-

[श्री अध्यक्ष]

समिति के प्रवक्ता के अनुसार प्राक्कलन समिति ८ विभागों के लेखा-जोखा का परीक्षण प्रायः समाप्त कर चुकी है और दो विभागों की प्राक्कलन रिपोर्ट छप गई है और जिसका विवरण उक्त समाचार पत्र में छपा है, वह प्रक्रिया नियम का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि उक्त रिपोर्ट अभी तक सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः मुझे 'स्वतंत्र भारत' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुमति प्रदान की जाय।" मैंने 'स्वतन्त्र भारत' का उक्त अंक पढ़ा तो उसमें यह भी छापा गया है कि "यह भी पता चला है कि बचत समिति ने प्राक्कलन समिति के कुछ सुझावों का परीक्षण कर कम से कम ७ करोड़ रुपये की और बचत ढूंढ़ निकाली है।" तो केवल इसमें प्राक्कलन समिति का ही उल्लेख नहीं है बल्कि बचत समिति का भी इसमें जिक्र है।

दूसरी बात जिस तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया गया है कि "चुर्क सीमेंट फैक्टरी की जांच जारी है। उक्त सभी विभागों के अनावश्यक विस्तार, निरर्थक योजनाओं और अनापशनाप खर्च की अनेक मदें निकालते हुए समिति ने उनमें भारी कटौती करने के सुझाव दिये हैं"। मन्त्रियों के रहन-सहन पर व्यय-मन्त्री, उपमन्त्री और सभासचिव के फर्नीचर के संबंध में है। मैंने रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की है, उसमें फर्नीचर के संबंध में प्राक्कलन समिति की किसी रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं है। इस से यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्र भारत में जो खबर छपी है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यह है, शायद कुछ सुझाव बचत समिति के छापे गये हैं और कुछ अन्दाजा लगाया गया है या कहीं प्राक्कलन समिति के सम्बन्ध का किसी प्रवक्ता द्वारा संवाद दाता के सामने जिक्र हुआ हो। इस संबंध में जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि इस कमेटी के दो प्रतिवेदन इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किये जा चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का तथा सिंचाई विभाग का कल ही उपस्थित हुआ है। बाकी सूचना विभाग तथा सामग्री के संबंध में समिति द्वारा अभी हाल ही में कुछ सुझाव स्वीकृत हुए हैं, लेकिन वह छपवाने हैं और बाकी जो बातें उक्त अंक में दी हैं उनके विषय में उपसमिति द्वारा विचार चल रहा है। उनके विषय में रिपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता। समिति के सामने उप-समिति के सुझाव आये ही नहीं हैं। इसलिये किसी प्रवक्ता के द्वारा यह सब बातें बतलाई गई हों ऐसा दिखाई नहीं देता और अगर थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया हो तो उसका अर्थ यही लगाना कि वह कमेटी की रिपोर्ट में था इस कारण उन्होंने जिक्र किया है ऐसी बात निश्चित प्रतीत नहीं होती है। ऐसी अवस्था में मैं यह निश्चय से नहीं समझता हूं कि यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का हो सकता है। प्राइमाफेसी देखने से यानी प्राग्दर्शन में मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता नहीं है क्योंकि ऐसी कोई भी बात जिसे नियमानुसार गुप्त रखी जानी चाहिये थी इसका विस्फोट नहीं हुआ और किसी गोपनीय रिपोर्ट को देखकर उक्त अंक में उल्लेख किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अखबार वाले कई विषयों में अन्दाज लगाया करते हैं और कई दफा बहुत-सी बातें गलत छप जाया करती हैं उस अन्दाजे के भरोसे। यह बात दूसरी है।

इस विषय पर विरोधी दल के नेता भी जिक्र कर चुके हैं कि ऐसे अखबार जो अन्दाज लगाते हैं और छापते हैं उन पर अभी तक इस आदरणीय सदन ने कभी भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाकर कार्यवाही नहीं की है। अगर ऐसी चीज़ होने लगे तो विशेषाधिकार के क्षेत्र का मैं समझता हूं कि बहुत ही विस्तार हो जायगा और रोज ही हमको मुठभेड़ अखबारों से करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि जब तक यह स्पष्ट न हो कि कौन-सी बात जिसे समिति ने गुप्त रखने का आदेश दिया हो उसे जानने की कोशिश की गई और वह छाप दी गई या अखबार वालों को हिदायत देने के बाद भी कि कोई बात गुप्त रखनी चाहिये तिस पर भी किसी ने छाप दी हो ऐसी अवस्था में अखबार के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठ सकता है। हां, अगर किसी प्रवक्ता ने ऐसी कोई गुप्त बात बता दी तो उसके विरुद्ध भी ऐसा प्रश्न उठ सकता है। लेकिन यह भी निश्चित होना चाहिये कि उसने क्या बात कही थी। क्योंकि ऐसी कोई बात स्पष्ट नहीं दिखलाई देती इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं कि यह प्रश्न उठाया जाय।

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित डायरी में गलत सूचना देने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा, श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने प्रश्न उठाया है कि श्री भगवती शरण सिंह, संचालक, सूचना विभाग ने जो डायरी छापी है और जिसको आदरणीय सदन के सदस्यों को, और दूसरी जगह भी वितरित किया गया है, उसमें कहीं फर्रुखाबाद के बारे में जिक्र आता है। श्री सुल्तान आलम खां के नाम के सामने नम्बर १ लिखा हुआ है और श्री राजेन्द्र सिंह यादव के सामने नम्बर २ लिखा हुआ है। नीचे फुट नोट इस प्रकार दिया हुआ है। "नोट---१ और २ का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया है"। दोनों सदस्य यहां पर मौजूद हैं। एक तो डिप्टी मिनिस्टर हैं आप के यहां और इस डायरी के अनुसार उनका भी चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया है। उनके खिलाफ शायद कोई पेटीशन भी नहीं हुआ और राजेन्द्र सिंह जी के खिलाफ भी नहीं है। इस बुनियाद पर श्री राजेन्द्र सिंह जी ने यह प्रश्न कल उठाया था। लेकिन वह मेरे पास उसके बाद आये। उनके पास सूचना विभाग की तरफ से एक क्षमा याचना का पत्र भी आगया है, श्री सुल्तान आलम के पास भी क्षमा याचना का पत्र आया है कि यह गलती प्रिंटिंग वगैरह की है और वह लोग जांच कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसा हुआ क्योंकि उनकी तरफ से यह नाम नहीं भेजे गये थे। किसी दूसरे जिले के, किसी दूसरे नाम का अवैध घोषणा से सम्बन्ध था। कहीं छापने में इधर उधर गड़बड़ हो गयी है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब मैंने इस विशेषाधिकार प्रश्न की नोटिस दी थी उसके बाद शाम के वक्त उप-संचालक से बात हुई और उन्होंने सारी परिस्थिति बयान की। उन्होंने यही कहा कि यह गलती है और इस सम्बन्ध में वह जांच करायेंगे। आज सुबह मुझे एक पत्र भी प्राप्त हुआ है श्री भगवती शरण सिंह, संचालक के द्वारा। उसमें भी उन्होंने इसके लिये खेद प्रगट किया है और अब मैं इस प्रश्न को प्रेस नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष---तो यह प्रश्न समाप्त होता है।

"ब्लिट्ज" के मामले में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक विशेषाधिकार का प्रश्न श्री राजनारायण जी ने उठाया है। परसों एक प्रस्ताव 'ब्लिट्ज" के सम्बन्ध में यहां स्वीकृत हुआ। उसी उक्त उन्होंने नोटिस दे दिया था कि मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उसको पढ़ कर मैं सुनाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। उसमें यह है कि सरकार की तरफ से अदालत में इस सदन की अनुमति लिये बिना इस बात का आश्वासन दिया गया कि उसकी तरफ से कोई कार्यवाही "ब्लिट्ज" के एडिटर, स्थानापन्न सम्पादक, होमी दिनशा मिस्त्री के विरुद्ध जारी नहीं रहेगी यदि उक्त सम्पादक इस आदरणीय सदन से माफी मांग लें। श्री मिस्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार का आक्षेप लगाया गया था और यह सदन यह निश्चय कर चुका था कि उनके द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है, इसलिये उनको इस आदरणीय सदन में यथोचित दंड के लिये समन किया जाय। उनकी एक दफा गिरफ्तारी श्री अध्यक्ष के वारंट पर हो चुकी थी और कुछ टेक्निकल बात पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आज्ञा दी गई कि उनको रिहा किया जाय। उनकी रिहाई के बाद उनकी गैरहाजिरी में ही इस आदरणीय सदन ने यह निश्चय किया था कि सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना उनके द्वारा हुई है और उनको यहां पर बुला कर दंड देने की कार्यवाही को करना था लेकिन इस बीच में उन्होंने बम्बई में हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। पहली अदालत में मुकदमा हार चुकने पर उन्होंने अपील दायर की और उस अपील के दौरान उनके द्वारा माफी मांगने का प्रश्न सामने आया। अगर एडवोकेट जनरल यहां पर मौजूद होते तो उस परिस्थिति के बारे में

[श्री अध्यक्ष]

वह स्पष्टीकरण कर ते कि किस परिस्थिति में वहां के चीफ जस्टिस के मुंह से यह सुझाव निकला कि श्री मिस्त्री द्वारा माफी मांगने पर यह खत्म हो सकता है। मैं बराबर मुकदमें के संबंध की जानकारी हासिल करता रहा हूं क्योंकि यह इस सदन की प्रतिष्ठा का सवाल था और मुकदमे में इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नफीसुल हसन को भी पार्टी बनाया गया था। जिस समय यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठा तो खास उन्हीं के विरुद्ध अनुचित टीका करने पर उठा था। इसलिये मुझ से तथा उनसे भी सलाह करके सरकार ने यह हाई कोर्ट में वकील द्वारा आश्वासन दिया कि अगर श्री मिस्त्री की तरफ से माफी मांगी जाती है और प्रकाशित की जाती है तो हमारी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होगी। उसके अनुसार अपनी माफी मांगने की बात को होमी दिनशा मिस्त्री ने अखबार में भी छाप दिया है। यह स्पष्ट है कि अधिकार इस आदरणीय सदन को ही है कि वह उक्त माफी की स्वीकृति देता या नहीं। यह भी देख की बात है कि अदालत के सामने यह सदन जा नहीं सकता। जब मुकदमा चल रहा था और यह सुझाव आया उस समय सदन से प्रश्न पूछा भी नहीं जा सकता था। तत्काल इस इस तरह की बात सलाह करके स्वीकार करने का अधिकार वकील को रहता है यदि कोई तसफिया होना सम्भव हो और उचित हो। इस परिस्थिति में सरकारी वकील ने सलाह करके इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया।

जहां तक इस सदन के सामने इस प्रश्न को रखने का सवाल था वह प्रश्न रक्खा गया और अदालत में आश्वासन देने का अर्थ यही था कि वह आश्वासन सदन की मर्जी के अनुसार ही स्वीकृत होगा। श्री नफीसुल हसन ने भी ऐसे आश्वासन देने पर अपनी रजामन्दी दे दी थी। फिर इस सदन के सामने वह प्रश्न प्रस्ताव द्वारा लाया गया। यदि यह सदन यह समझता कि सरकार द्वारा आश्वासन को देने में सदन की प्रतिष्ठा की अवहेलना हुई है या मुख्य मन्त्री जी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है तो सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता यह अधिकार सदन को था। माननीय सदस्य यह कहते कि हम स्वीकार नहीं करते। उस समय यह कह सकते थे कि जो कार्यवाही मुख्य मंत्री जी ने की है और श्री नफीसुलहसन ने जो स्वीकृति दी इस सदन के पूछे बगैर उसको हम सदन का अवमान समझते हैं और उन्हें सदन से पूछना आवश्यक था इस कारण हम प्रस्ताव का विरोध करते हैं। उसका परिणाम चाहे जो कुछ होता लेकिन वह प्रस्ताव अस्वीकृत करने का अधिकार इस सदन को था। इस आदरणीय सदन ने जो माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव रखा उसको स्वीकार करके उनके द्वारा किये हुए काम को पुष्टि दी और उसे स्वीकार किया। उसके बाद विशेषाधिकार का प्रश्न उठ नहीं सकता और न मैं उसको उठाने की इजाजत दूंगा, लेकिन चूंकि माननीय राजनारायण जी नोटिस दे चुके थे इसलिये मैं इसका जिक्र कर दिया। इसलिये मैंने जिक्र कर दिया कि इसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उठता ही नहीं जब एक दफा सदन की स्वीकृति की मुहर प्रस्ताव द्वारा इस पर लग चुकी। सदन ने जब उनके कार्य को मंजूर कर दिया, उसके बाद कोई प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं उठता। मैं सको उठाने की इजाजत नहीं देता।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह कि आपने जो बात कही वह अपनी जगह पर है। लेकिन हमारी सारी बातें जिस तरह से हमने रखी थीं वह छिप जाती हैं। हम जो प्रश्न रख रहे हैं वह आता ही नहीं और आपने जो हमारे विशेषाधिकार के प्रश्न का भाष्य किया उसका यह अर्थ भी आ सकता है कि शायद हम उनको क्षमा प्रदान करने के विरोधी थे। ऐसा हमारा मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष---ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। न मुख्य मंत्री ने कुछ कहा। वह तो बराबर यह कहते हैं कि आप यह फैसला कर सकते थे कि आपने जो माफी दी है वह गलत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण—हमारे संशोधन को उपाध्यक्ष जी ने उस समय लिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—आपने इसकी कोई शिकायत नहीं की।

श्री राजनारायण—इसीलिये यह बात है। अगर हमारा संशोधन ले लिया गया होता और वह गिर भी जाता तो हम इस प्रस्ताव को कभी न रखते। लेकिन वह उन्होंने नहीं लिया इसलिये इस प्रश्न को हम ने उठाया।

श्री अध्यक्ष—आपने कोई शिकायत नहीं की। आपने यहां विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया और उसके संबंध में मैंने अपना निर्णय दिया। आप अन्य बातों क संबंध में बात करने के लिये मेरे कमरे में आ सकते हैं।

श्री राजनारायण—अगर आप सरकार को इतने अधिकार दे देंगे तो वह तानाशाह हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—यह अधिकार तो आप स्वयं भी देंगे और सदन ने कल स्वयं यह अधिकार दिया भी।

मानपुर, जिला बाराबंकी में सर्वश्री राम किशोर व रघुनाथ के मकान पर आक्रमण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर वर्मा जी का है। वह इस प्रकार है:—

"गत एक दिसम्बर को १२ बजे दिन में ग्राम मानपुर, थाना रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी के श्री रामकिशोर व श्री रघुनाथ के मकान को मुनेश्वर सिंह ठाकुर, भूतपूर्व जमींदार के नेतृत्व में ६० आदमियों ने घेर लिया। मकान में रहने वालों को मार डालने का प्रयत्न किया और घर वालों को पीटा। किसी प्रकार समस्त परिवार क पांचों आदमी भाग कर थाने गये और दूसरे स्थान पर पड़े हैं। थाने पर रिपोर्ट लिखाने पर व जिलाधीश से मिलन पर भी उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध न हुआ। इस प्रकार की पुलिस, भूतपूर्व जमींदार व गुन्डों की सांठ-गांठ के कारण जिले की जनता का जीवन आतंकित और अरक्षित है तथा परिस्थिति विषम है।

अतः इस आवश्यक तथा विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें मैं प्रस्तावक से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस विषय में पहली तारीख को खबर मिलने पर सरकार के पास कोई शिकायत भेजी?

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—उन्होंने पहली तारीख को कप्तान साहब को एक दरख्वास्त दी थी.....

श्री अध्यक्ष—तो सरकार से इस प्रकरण से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। इसका स्थानीय शासन से संबंध है। रिपोर्ट वहां होती है। अगर उन्होंने वहां रिपोर्ट की तो स्थानीय अधिकारियों के कोई कार्यवाही न करने पर वह सरकार को शिकायत कर सकते थे और उसमें संभवतः कुछ समय लग जाता तो ठीक था और उसके बाद भी यहां से कोई कार्यवाही न होती तो इसका सरकार से संबंध होता। लेकिन इसका स्थानीय शासन से ही संबंध है। उन्होंने वहां रिपोर्ट की और कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यहां उसके लिये कामरोको प्रस्ताव आ जाय ऐसी बात उचित नहीं कही जा सकती। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री जंगबहादुर वर्मा--बाराबंकी में नित्यप्रति इस प्रकार की घटनायें होती हैं और पुलिस वहां मनमाना करती है. . . .

श्री अध्यक्ष---आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप को भाषण देने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं इस विषय में एक जानकारी चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी को इस संबंध में कोई सूचना हो तो वह देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---सूचना देने के लिये मैं मंत्री जी को इजाजत दे सकता हूं।

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इसकी कोई सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या उसे बाद में दे देंगे?

श्री अध्यक्ष---आप उनके कमरे में जाकर मालूम कर लें।

आगरा जिले की जलमग्न भूमि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक प्रस्ताव श्री विश्वेश्वरानन्द का, आगरा जिले में अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण अभी तक हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न होने से अत्यन्त संकटापन्न स्थिति बन गयी है, आदि के बारे में है।

यह प्रश्न भी ऐसा है जो कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता क्योंकि वहां कई महीने से पानी भरा हुआ है और परसों यह प्रश्न उठाया जाना चाहिये था, इसलिये यह प्रश्न इस वक्त उठता नहीं है। इस विषय में इतनी सूचना दे देना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता ने नियम १७२ के अनुसार इस विषय पर चर्चा करने के लिये मुझसे प्रार्थना की है। वह एक प्रस्ताव उसके विषय में लाना चाहते हैं, उसका जिक्र मैं बाद को करूंगा। लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता क्योंकि देर से उठाया गया है।

श्री विश्वेश्वरानन्द स्वामी (जिला आगरा)---यह प्रस्ताव इसलिये महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो सरकार रबी आन्दोलन चला रही है. . . .

श्री अध्यक्ष---इसके महत्व के विषय में कोई विवाद इस समय नहीं है। उसके बारे में तो अभी मैं जिक्र करूंगा।

गन्ने के दामों में वृद्धि न करने के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री ब्रजनारायण तिवारी जी का एक कामरोको प्रस्ताव गन्ने के दामों को बढ़ाये जाने के संबंध में इस प्रकार है---

"प्रदेशीय सरकार की इस नीति से कि विधान सभा द्वारा गन्ने की कीमत एक रुपया बारह आना प्रति मन करने के लिये आवश्यक कदम उठाना जरूरी नहीं समझती है तथा केंद्रीय सरकार का रुख विधान सभाओं के प्रस्तावों की अवहेलना कर अपने पूर्व निश्चय पर खड़े रहना जैसा कि आज के समाचार-पत्रों से निश्चित है और वर्तमान गन्ने की कीमत परचेजिंग सेंटरों पर कहीं-कहीं एक रुपया प्रति मन तथा इस से भी कम किसानों को मिलता है और इस प्रकार एक मन चीनी के दाम में गन्ना उत्पादकों को चालीस मन से अधिक गन्ने की कीमत अदा करनी पड़ती है। उपर्युक्त कारणों से गन्ना उत्पादकों में घोर क्षोभ तथा असंतोष पैदा होने से विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। अतः लोक महत्व के आवश्यक तथा निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

प्रादेशिक सरकार की नीति के संबंध में यहां पर एक प्रस्ताव आ चुका है और वह स्वीकृत हो चुका है और केंद्रीय सरकार का जो फैसला इस संबंध में हुआ है, ऐसा अखबारों में छपा है, उसका आधार भी इस प्रस्ताव में लिया गया है, इसलिये प्रदेशीय सरकार की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है। तीसरा वाकया इसमें जो दिया है वह एक रुपया मन गन्ना बिकने का है। इस तरह से इसमें तीन-तीन, चार-चार घटनायें हैं। एक निश्चित विषय इसमें नहीं है तथा इसमें प्रादेशिक सरकार की जिम्मेदारी भी दिखायी नहीं पड़ती है, इसलिये यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता। एक तो निश्चित नहीं है और दूसरे इसमें महत्व का हिस्सा ऐसा है जो केंद्रीय सरकार से संबंध रखने वाला है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधान सभा ने जो १ रुपया १२ आना मन का प्रस्ताव पास किया था उसको सरकार ने केंद्रीय सरकार के पास भेजा या नहीं भेजा? वह उनके पास कब भेजा गया और उसका कोई उत्तर मिला या नहीं मिला?

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां विधान सभा में आया था, वह भेज दिया गया था। किस तारीख को भेजा गया यह मैं इस समय बता नहीं सकता लेकिन उनका जो उत्तर हमारे पास आया वह उस घोषणा से स्पष्ट है जो उनकी निकली है, वह यह कि वे अपने फैसले को बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। इतना मैं और बतला दूं कि १५ नवम्बर को उत्तर प्रदेश और बिहार के शुगर केन बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें गन्ने के मिल मालिकों के प्रतिनिधि थे, गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि थे और सरकार के भी प्रतिनिधि थे। उसमें यह तय हुआ था कि एक ऐसी ज्वाइंट कमेटी, जिसमें हर पक्ष के लोग हों, बने। उस कमेटी को यह काम सौंपा गया था कि अगले साल के लिये गन्ने की कीमत क्या हो, वह कमेटी सिफारिश करे। और अभी तो १५ नवम्बर को मीटिंग हुई है, मैं आशा करता हूं कि अगले साल के लिये जो कमेटी की सिफारिश होगी उस पर शायद अमल हो सकेगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। विधान सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था कि १ रुपये १२ आने मन गन्ने की कीमत निर्धारित की जाय, वह प्रस्ताव भेज दिया गया, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया, लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी सरकार ने अपनी कोई सम्मति गन्ने की कीमत के बारे में भेजी है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, दोनों सरकारों के बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसके संबंध में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव करने का विचार रखती है कि वह सोसाइटीज को छूट दे दे कि वे अपने-अपने मिलों से बारगेनिंग कर लें और जहां की मिल ज्यादा कीमत गन्ने की दे वहां वे अपना गन्ना दे सकें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तो १५ दिन पहले हमने इस संबंध में एक फैसला दिया है और फिर अलग से सब को छूट देने का सवाल हमारे सामने नहीं है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा ही कामरोको प्रस्ताव है इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे परचेजिंग सेंटर का जहां ३१ नये पैसे से अधिक किराया मिल वाले लेते हैं और इस प्रकार से १ रुपया ५ आना उनको कीमत मिलती है तो १ रुपया यों ही उसकी कीमत हो गयी, और उसमें भी जिन किसानों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, उनका भाड़ा देने में ही अधिक पैसा निकल जाता है, तो ऐसी हालत में किराये की कोई निश्चित दर तय करने का सरकार का विचार है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो बातें सामने रखी हैं, संभव है महत्वपूर्ण हों, इसलिये यदि वे इस संबंध में अपना कोई सुझाव देंगे जिससे बीच में भी हम काश्तकारों की मदद कर सकें तो अवश्य करेंगे।

मथुरा जिले में वाटर लागिंग के विषय पर विवादार्थ समय की मांग

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल इस आदरणीय सदन में मथुरा जिले के माननीय सदस्य श्री टीकाराम पुजारी के उस प्रश्न, जो गर्की के संबंध का था, के उत्तर में कहा गया था कि यह हो सकता है कि पूरे मथुरा जिले में काफी भूमि अब भी डूबी हुई हो। आज इस संबंध में आगरा जिले के माननीय सदस्य श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी ने सवाल किया था। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री की सुविधानुसार आप जब उचित समझें तो किसी दिन २ घंटे का समय इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियत करने की कृपा करें। मैं इतना और निवेदन कर दूं कि यदि यह विचार ५ दिसम्बर तक हो जाय तो मैं उसके लिये विशेष कृतज्ञ होऊंगा, वरना जिस दिन भी सुविधानुसार श्रीमन् और माननीय नेता सदन चाहें, २ घंटे का समय इसके लिये नियत करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--नियम १७२ के अनुसार मुझे यह अधिकार है कि जब इस तरह का कोई महत्व का प्रस्ताव आवे तो वह मेरी अनुमति से उपस्थित किया जा सकता है। नियमानुसार मैंने विरोधी दल के नेता को यह प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद उक्त नियम में यह भी है कि २ घंटे का समय या कोई दिन बाद विवाद करने के लिए लीडर आफ दि हाउस के साथ विचार विनिमय करके मैं नियत करूं। तो इस विषय में यदि लीडर आफ दि हाउस यानी नेता सदन इस वक्त अपनी कोई राय देना चाहते हों और किसी से विचार विनिमय करने की आवश्यकता न समझते हों तो, इसी वक्त दे दें। नहीं तो नेता विरोधी दल उनसे बातचीत कर लें, उसके बाद मैं बात करके किसी दिन समय निश्चित कर दूंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, अगर अनुचित न हो तो मैं आपकी इजाजत से चाहता हूं कि इसको दूसरे समय के लिये छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--तो आप बातचीत कर लेंगे, उसके बाद समय नियत हो जायगा।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--अपने प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहना है कि इस समय रबी आन्दोलन चल रहा है जिसका कि प्रस्ताव में भी जिक्र आया है, लिहाजा एक एक दिन किसान के लिये भारी पड़ रहा है....

श्री अध्यक्ष--शीघ्र ही उस पर विचार होगा। वे यही चाहते हैं।

विभिन्न विधेयकों पर विवाद के लिए कार्य परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्श समिति के नियम ५ के अन्तर्गत मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य परामर्श समिति ने ३ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के सामान्य विवाद, खंडशः विवाद तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :

१--उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८।	४ दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल, ५ बजे तक।
२--इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८।	८ दिसम्बर, १९५८ को २ घंटे।

३--उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।	८ दिसम्बर, १९५८ को आध घंटा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :

१--उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८,

२--इंटरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८,

३--उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह जो कार्यक्रम रखा गया है यह पुनः बिजनेस कमेटी को भेजा जाय। इसमें इंटरटेनमेंट एंड बेटिंग टैक्स के बारे में सिर्फ २ घंटे का समय दिया गया है और इसके अलावा निरसन और संशोधन विधेयक के लिये आध घंटा ही रखा गया है। यह ऐक्ट फार्मल अवश्य है लेकिन कम्पलीट स्टडी करने में काफी समय लग सकता है और इसमें बहुत-सी बातें विचार करने लायक भी हैं। यह आध घंटे का समय एक मखौल की बात है। अभी हाल ही में हमारी हाईकोर्ट ने २ दिसम्बर को एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने खास तौर से स्ट्रिक्चर पास किया है। हेडिंग उसका है :

"U. P. Rent Control Act held to be ill-drafted.

The court cannot permit any part of this Act to be interpreted as vesting the Government with power to impose unreasonable restrictions on fundamental rights."

जज ने कहा है कि ये जितने भी हेस्टी लेजिस्लेशन होते हैं वे इतने इल वर्डेड होते हैं कि कांस्टिट्यूशन के विरुद्ध जा सकते हैं। ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम फिर भी ऐसी गलतियां करने के लिये तैयार हैं जैसा कि इस बिजनेस कमेटी के प्रस्तावित प्रोग्राम से मालूम होता है। फिर ये कानून ऐसे हैं जो बिना रिफरेंस के समझे नहीं जा सकते। रेंट कंट्रोल ऐक्ट पर हाईकोर्ट का जो स्ट्रिक्चर पास हुआ वह इसी कारण से, कि वह बहुत जल्दबाजी में पास किया गया और हमारी इन जल्दबाजियों के कारण हम हमेशा उपहास और अपमान के कारण बन जाते हैं। कानून छोटा कितना ही क्यों न हो लेकिन जब उसका पुनरीक्षण करें तो सम्पूर्ण रूप से करें। कभी-कभी ऐसी प्रस्तावनायें आती हैं कि परिधि बढ़ाने का अधिकार दिया जाय या किसी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द अमुक विधेयक किया जाय, उन हालतों में इस बात की जरूरत पड़ जाती है कि उस विधेयक को विस्तार से देखा जाय। मैं इस प्रस्ताव का इसलिये विरोध करता हूं कि हेस्टी लेजिस्लेशन के कई बुरे परिणाम हमारे सामने मौजूद हैं, हाईकोर्ट से स्ट्रिक्चर्स तक पास हुए हैं। सेशन का समय तो और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोई कानून जल्दबाजी से पास करने का प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है। इसलिये मैं संशोधन करता हूं कि इसको पुनः परामर्श समिति के पास भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिये उस समिति के पास भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--अब प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है:--

१--उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८

२--इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८; और

३--उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब चूंकि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो पहले जो नोटिस दिया था कि ३-४ तारीख को संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५७ पर विचार होगा, वह अब नहीं होगा क्योंकि आज ३ तारीख को कृषि विश्वविद्यालय विधेयक पर वादविवाद चल ही रहा है और अभी प्रस्ताव जो पारित हुआ उसमें संकेत हो गया है कि आज और कल तो कुमायूं वाला नहीं ले रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५८ को लेंगे और ५ तारीख तो असरकारी दिन है। ६ और ७ को छुट्टी है। ८ तारीख को उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक लिया जायगा २ घंटे तक और उसके बाद ८ दिसम्बर को ही आधा घंटा उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक लिया जायगा। यह सूचना है। इसके बाद यदि आज कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में कोई प्रवर समिति बैठ जाती है और उसकी रिपोर्ट आ गई तो वह लिया जायगा नहीं तो कुमायूं वाला बिल ८ तारीख को लिया जायगा। तो यह सूचना देता हूं।

*उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--कल जगन्नाथ लहरी जी कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक के सम्बन्ध में भाषण दे रहे थे। उनका भाषण जारी रहेगा।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि-विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ पर कल सदन के सम्मुख में अपने विचार प्रकट कर रहा था। लेकिन कामरोको प्रस्ताव के कारण मैं अपने पूरे विचार प्रकट नहीं कर सका था। आज पुनः अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं।

कल अपने विचार प्रकट करते समय मैं सदन के सामने ३-४ अक्टूबर को जो असिस्टेंट डेवलपमेंट आफिसर आफ एग्रीकल्चर के सेलेक्शन के सम्बन्ध में इंटरव्यू हुआ था उसके कुछ अनुभव रख रहा था। मैंने कल सदन के सम्मुख बतलाया था कि इंटरव्यू में जितने भी अभ्यर्थी आये वे सब के सब कृषि के ग्रेजुएट थे। लेकिन उनमें एक भी अभ्यर्थी यह न बता सका कि वह अपने घर पर देशी हल की जगह पर दूसरा हल क्यों इस्तेमाल नहीं करता है। मैं यह भी.....

श्री अध्यक्ष--मैं जरा जानना चाहूंगा कि आप किस संशोधन का समर्थन कर रहे हैं?

श्री जगन्नाथ लहरी--मैं श्री जरगाम हैदर के संशोधन के समर्थन में बोल रहा था। एक बार मैंने यह भी कहा था कि जितने भी लड़के इन्टरव्यू में आये उनमें से एक भी यह नहीं बता सका कि खरीफ आन्दोलन किस चिड़िया का नाम है। इस तरह से सदन को मैं एक कृषि ग्रेजुएट के साधारण ज्ञान का परिचय दे रहा हूं कि शिक्षा प्राप्ति के बाद उनको कृषि से कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती और वे केवल नौकरियां चाहते हैं। वह देश के उत्थान के लिये शिक्षा द्वारा प्राप्त अनुभवों का उपयोग करना नहीं चाहते और न वह यह ही जानते हैं कि खरीफ आन्दोलन क्या

---

* १ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

† २ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

चीज है। जब कि मुझे मालूम है कि कृषि कालेजों के प्रधानाध्यापकों द्वारा रिपोर्ट आई कि सभी कालेजों के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में खरीफ आन्दोलन में भाग लिया, लेकिन दुःख है कि एक भी विद्यार्थी खरीफ आन्दोलन के बारे में कुछ भी न बता सका और तथ्य यह है कि उनको प्रदेश की कृषि में कोई दिलचस्पी भी नहीं है और न वह ग्रामों में रह कर कृषि करना चाहते हैं। तो जो वर्तमान कालेजों द्वारा शिक्षित ग्रेजुएट हैं, जिन की शिक्षा और ज्ञान भी अधिक नहीं है, वह सब नौकरियां चाहते हैं और कृषि और उसकी उन्नति की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। और जब यह कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो जायगा तो उससे बेकार ग्रेजुएट्स की संख्या और भी बढ़ जायगी इसका सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है।

अब प्रश्न और अनुमान लगाने की बात यह है कि जब कि देश के दूसरे प्रदेश भारत सरकार की सहायता से कल-कारखाने लगा कर बेकारी को दूर कर रहे हैं तो हमारे लिये एक कृषि विश्वविद्यालय और खोल कर बेकारी को सेना और बढ़ाना कहां तक उचित है ? आज यह प्रदेश अपनी ८ यूनिवर्सिटियों के द्वारा हर साल हजारों ग्रेजुएट्स को बेकारी के शिकञ्जे में जकड़ता जाता है और हम यह नई यूनिवर्सिटी खोल कर बेकारों की पल्टन में और वृद्धि ही करेंगे। अभी फीरोजाबाद में आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर श्री भटनागर आये थे और उन्होंने जिला प्रधानाध्यापकों की एक सभा का उद्घाटन किया था और उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि प्रादेशिक सरकार और भारत सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाती और उनके पास कोई निश्चित योजना नहीं है और यही कारण है कि आज विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा पाये हुये ग्रेजुएट्स के लिये, उनके भरणपोषण के लिये, उनके रोजगार के लिये कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। अभी हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने २१ तारीख को विधान परिषद् में एक भाषण दिया और पिछले अधिवेशन में माननीय मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी ने इस सदन में भी भाषण दिया और बताया कि हमारे यहां सिंचाई की जो बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं चाहे वह बांधों की हों, नहरों की हों या नलकूपों की हों, उनसे सूबे को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा और हमें किसानों के वास्तविक लाभ के लिये छोटी-छोटी योजनायें अपनानी होंगी। भारत सरकार ने और उसके विकास आयोग ने भी अपना यही मत प्रकट किया है कि छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं से ही देश का कल्याण हो सकता है। बड़ी-बड़ी नहरों और बांधों से खेती की उपज में कोई उन्नति नहीं हुई है। कुछ इंजीनियर्स और शिक्षा प्राप्त ग्रेजुएट्स आदि को कुछ काम भले ही मिला हो लेकिन लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी यह योजनायें देश के लिये लाभ-दायक सिद्ध नहीं हुईं।

इसलिये यह ठीक है कि कृषि और उपज को बढ़ाने के लिये हमें छोटी-छोटी योजनाओं का ही सहारा लेना होगा और जब हम कुयें खुदवायेंगे तो इन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की आवश्यकता न होगी। साधारण किसान और मजदूर ही मेसोनरी वेल्स के लिए काम आयेगा।

२१ तारीख को राजस्व मंत्री ने कहा था कि जो वर्तमान योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को पूरा किया जायगा, अन्य बड़ी-बड़ी योजनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। जब आप कुओं की तरफ बढ़ेंगे तो वह ओवरसियर तथा इंजीनियर्स क्या करेंगे, वह लोग भी बेकारी के मुंह में चले जायेंगे जिन्होंने टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की है। छोटे-छोटे खेती के टुकड़े होते चले जा रहे हैं। लैंड ग्रांट्स कालेज, अमरीका की पद्धति से शिक्षा पाये हुए लोगों के लिए सरकार एक नया विभाग खोले और उनको प्रचार हेतु अपने यहां नौकर रख ले, इसके सिवा उनकी उदरपूर्ति का कोई साधन नहीं हो सकता, इस प्रदेश की जनता को उनके शिक्षण से कोई लाभ नहीं मिलेगा।

उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि हमारे प्रदेश में कृषि कालेजों का अभाव है। एक कृषि महाविद्यालय खोला जायगा। क्या बुलन्दशहर में लखावटी कालेज, आगरे में बलवंत राजपूत कालेज और कानपुर में कृषि कालेज, इस प्रकार हमारे प्रदेश में ३-३ कालेज आज नहीं हैं ? लिखा है पशुपालन महाविद्यालय खोला जाय जो पहले से ही मथुरा में चल रहा है। कृषि औद्योगिक व विज्ञान महाविद्यालय का जहां तक सम्बन्ध है, तो वे आगरा और कानपुर में हैं और बड़े-बड़े विज्ञान महाविद्यालय बहुत दिन से आगरा यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में पहले

[श्री जगन्नाथ लहरी]

ही से विद्यमान हैं। मैं कहता हूं कि अगर इतिहास उठाकर पलटा जाय कि क्या-क्या अन्वेषण किये गये तो विश्व में आगरा विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम गेहूं की रिसर्च करके इस बात का पता लगाया गया कि पई और दूसरे प्रकार के कीड़े जो गेहूं में लग जाते हैं वह किस तरह से दूर किये जा सकते हैं। गेहूं की रिसर्च की गयी और दुनिया को नया वरदान दिया गया। बोटैनी की तो यहां पर एम० एस-सी० तक शिक्षा दी जाती है।

श्री अध्यक्ष---क्या आप यूनिवर्सिटी का विरोध कर रहे हैं?

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं अभी अपने मकसद पर आ रहा हूं। आगरे में बलवन्त राजपूत कालेज है और भारत सरकार द्वारा लाखों रुपया अनुदान प्राप्त करने के बाद बलवन्त राजपूत कालेज ने बिचपुरी में कृषि यूनिवर्सिटी का भवन इत्यादि सब तैयार करा दिया है, सिर्फ वहां यूनिवर्सिटी चालू होने की देर है। लेकिन उद्देश्य में देखते हैं कि यूनिवर्सिटी नैनीताल में खोली जायगी जहां एक भी कालेज ऐसा नहीं है। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश में कृषि की उन्नति हो, और हमारे दिल में उसके लिये टीस है, तो वह यूनिवर्सिटी ऐसी जगह खुलनी चाहिए जहां सब प्रकार की सुविधाएं पहले ही से मौजूद हों। इसलिए उचित यही होगा कि तराई के इलाके से हटा कर वह यूनिवर्सिटी आगरे के क्षेत्र में स्थापित की जाय जहां पहले से ही सब प्रकार के कालेज मौजूद हैं।

३ दिन का समय जो दिया गया है उसमें सेलेक्ट कमेटी कोई रिपोर्ट नहीं कर सकती है। अगर १५ दिन का समय दिया जायगा तो सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों को उस जगह के निरीक्षण करने का मौका भी मिल जायगा। वह नैनीताल इत्यादि और आगरे के उस क्षेत्र में जाकर इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कौन-सा स्थान उपयुक्त है। यदि आप कृषि की उन्नति के लिए प्रेरित होकर यह यूनिवर्सिटी चालू करने जा रहे हैं तो उसे जल्द से जल्द चालू करने के लिये स्थान में भी परिवर्तन करें।

दूसरा कारण सेलेक्ट कमेटी में भेजने का एक और है। इसमें लिखा हुआ है कि यह विश्वविद्यालय अमरीका के लैंड ग्रांट कालेज के सदृश्य होगा। मैंने कल भी कहा था, सेंटर के मिनिस्टर, श्री पंजाबराव देशमुख अभी चीन का दौरा करके आये हैं और हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा है (नवम्बर के तीसरे सप्ताह के अखबारों को आप देखें) कि चीन ने कृषि के सम्बन्ध में बहुत आशातीत सफलता प्राप्त की है। हम वहां अपना एक विशेषज्ञ मंडल भेजेंगे और यह देखेंगे कि किस तरह से चीन के अनुभव से लाभ उठाया जा सकता है। देशमुख जी ने भी चीन के किसानों के खेती के तरीके की तारीफों के पुल बांध दिये। हमारे देश की आबादी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। कनाडा के प्रधान मंत्री जब यहां आये थे तो दिल्ली में भाषण करते हुये कहा गया कि भारत कुछ ही दिनों में एक दूसरे देश की आबादी तैयार कर देगा। चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आज मानवों के लिये जमीन की आवश्यकता है। तो हम अमरीकी पद्धति क्यों अपनायें, क्यों न चीन की पद्धति अपनायें? इसलिये इस पर विचार करने के लिये तथा श्री पंजाबराव देशमुख, जो कि भारत सरकार के एक मंत्री हैं, उनसे तथा दूसरे लोगों से उनके अनुभवों को मालूम करने के लिये प्रवर समिति के सदस्यों को समय मिलना चाहिये। लेकिन अगर तीन दिन का समय रख दिया गया तो उनके अनुभवों से हम वंचित रह जायंगे।

श्री अध्यक्ष---चूंकि इसे आज ही समाप्त होना है इसलिये संक्षेप में आप कहें।

श्री जगन्नाथ लहरी---बहुत अच्छा। लेकिन आज १ करोड़ ८५ लाख रुपये का लालच दिखा कर कृषि मंत्री जी जल्द से जल्द इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं। यह इस प्रदेश के लिये हितकर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की १९वीं धारा का जो पहला खंड है उसमें लिखा है:

"विश्वविद्यालय में एक कृषि तथा गृह-विज्ञान प्रसार सेवा स्थापित की जायगी और वह, इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुए कृषकों तथा गृहणियों को उनकी समस्याएं सुलझाने में सहायता देने के निमित्त उपयोगी सूचना उपलब्ध करायेगी तथा नवयुवकों में कृषि के प्रति अभिरुचि का विकास करने के लिये उपाय करेगी, जैसे तरुण संघों की स्थापना।"

मैं सरकार की इस भावना की कद्र करता हूं। आज तक जहां केवल ग्रेजुएट्स ही यूनिवर्सिटी से शिक्षा पा सकते थे वहां अब कृषक परिवार के युवक और युवतियां भी उससे लाभ उठा सकेंगे। लेकिन यह विश्वविद्यालय कहां होगा? प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में। अगर वह प्रदेश के बीचों बीच में होता जहां आसानी से कृषक परिवार पहुंच सकते तो क्या यह अच्छा न होता। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां खेती अधिक होती है वहां कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहिये या जहां चाय के बागान और फलों के वृक्ष लग रहे हों उस जगह उसको स्थापित करना चाहिये जैसा कि तराई के इलाके में है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि १९ वीं धारा में जो कृषकों के परिवारों के लिये आकर्षण रखा गया है उसका लाभ उसे कैसे मिलेगा इसको मंत्री महोदय समझाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, २७वीं धारा में एक अजीब बात लिखी हुई है कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से कोई विवाद उठने की दशा में, सम्बद्ध पदाधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर, वह विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा जिसमें बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, सम्बद्ध पदाधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे। इस न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। अब श्रीमन्, कोई झगड़ा उठा पदाधिकारी या अध्यापक के बीच में तो एक ट्रिब्यूनल बन जायगा और उचित या अनुचित कोई भी कार्यवाही करे, उसकी अपील के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का न्याय है? कम से कम उसको अपील करने का अधिकार तो दिया गया होता।

आज हमारे भारत के अध्यापक वैसे ही उपेक्षित वर्ग में हैं और हमारे यहां सब से ज्यादा उपेक्षा उनकी ही की जाती है। हमने जो इंटरमीडियेट ऐण्ड हाई स्कूल एजूकेशन बोर्ड में संशोधन किया है उसमें तो हमने उन्हें अपील करने का अधिकार दिया है, तो फिर हम जो नया कृषि विश्वविद्यालय कायम करने जा रहे हैं उसमें उन्हें अपील का अधिकार न देना कहां का न्याय है? इसके बारे में मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्रीमन्, २९वीं धारा यह है कि "धारा २८ के खंड (क) से (ठ) में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जायंगे और उनकी एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष १४ दिन तक रखी जायगी।" लेकिन इसके दूसरे खंड में अजीब-सी बात है कि "इस धारा में आगे दी हुई रीति से बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकता है।"

अध्यक्ष महोदय, कल ही सदन के सम्मुख गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियमों के सम्बन्ध में श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी के संशोधन आये थे तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियमों में कुछ संशोधन विधान परिषद् ने भी अभी पास किये हैं। उसके सम्बन्ध में आपने यह कहा था कि मंत्री जी उन्हें स्वीकार करते हैं या नहीं, इस पर विवाद चला था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कृषि यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद सदन के सामने एक बार ही नियम रखे जायंगे फिर कभी नहीं रखे जायेंगे। सदन नियमों को पास कर दे तो भी बोर्ड को अधिकार है कि जब चाहे तब उनको खत्म कर सकता है, उनमें संशोधन कर सकता है परन्तु वह दुबारा सदन के सामने नहीं आयेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सदन की इतनी ही प्रतिष्ठा है कि एक बोर्ड

[श्री जगन्नाथ लहरी]

सदन द्वारा पास किये नियमों को ठुकरा दे, या उनमें संशोधन कर दे। इसमें सदन का अपमान होगा या सम्मान? मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह से नियमों को ठुकराने का अधिकार आप बोर्ड को क्यों दे रहे हैं? इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जिस उद्देश्य के लिये यह यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है उसमें लिखा हुआ है कि, "उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को विभिन्न विषयों, विशेषकर कृषि, ग्रामोद्योग तथा व्यवसाय और अन्य सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने के लिये व्यवस्था करना"। शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि धारा १० के मुताबिक जो आप बोर्ड बना रहे हैं उसमें उप-कुलपति, कृषि संचालक, शिक्षा संचालक, पशु-पालन संचालक को तो रखा है, लेकिन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसका व्यवसाय से सम्बन्ध है, उसका कोई भी प्रतिनिधि लेने की व्यवस्था आपने नहीं की। कृषि संचालक, शिक्षा संचालक और पशु-पालन संचालक का उद्योगों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। पता नहीं उद्योग विभाग से कृषि मंत्री को ऐसी क्या नाराजगी है कि जहां उन्होंने तीन-तीन संचालकों को रखा है, ग्रामोद्योग को विकसित करने के लिए, उसका प्रबन्ध करने के लिए जिस बोर्ड को अधिकार दे रहे हैं उसमें उद्योग संचालक को लेने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तो मैं बड़े विनम्र शब्दों में कृषि मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सचमुच उनका ध्येय इस प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कायम करने का है? क्या इस प्रदेश के किसानों को सचमुच वह लाभ पहुंचाना चाहते हैं? वह १ करोड़ ८५ लाख की तरफ मत देखें, वह यह देखें कि किस तरह से इस प्रदेश के किसानों को वह लाभ पहुंचा सकते हैं। यह देखें कि हमारा यह विश्वविद्यालय अमेरिका के लैण्ड ग्रान्ट्स कालेज के आधार पर बन सकता है या चीन और दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर बन सकता है। अगर जल्दबाजी में इस विधेयक को पारित कर दिया जायगा तो करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो स्नातक निकलेंगे उनकी शिक्षा से हम लाभ नहीं उठा सकेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यकता है कि हम कृषि विश्वविद्यालय ऐसे रूप में कायम करें जो वास्तव में प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचा सके। इसलिए मैं कृषि मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि आइये इस पर पुनः विचार कीजिये। जल्दबाजी में विधेयक पास करा कर सदन की मुहर मत लगवाइये। १ करोड़ ८५ लाख का लोभ करके, एक छोटे से लालच के कारण इस प्रदेश का करोड़ों रुपया बरबाद करने के लिए जल्दी में योजना न बनाइये और देश के युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करिये कि उन्हें सिवा सरकारी नौकरी के और कोई भी सम्बल न मिले। सेलेक्ट कमेटी में यदि ज्यादा समय न दे सकें तो १५ दिन ही बढ़ा दीजिये। अच्छी तरह से विचार करने के बाद, विधेयक में आमूल परिवर्तन करने के बाद सदन में लाइये। तभी देश का, प्रदेश का और ग्रामीण जनता का लाभ हो सकता है। मुझे आशा है कि कृषि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करने की कृपा करेंगे।

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ को जो कृषि मंत्री द्वारा एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है उसमें निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :

"प्रस्ताव की पंक्ति २ में शब्द 'विधान सभा की एक प्रवर समिति' के स्थान पर शब्द 'दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति' रख दिये जायं।"

अध्यक्ष महोदय, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसको बहुत जल्दी पास करना है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इसको शीघ्रातिशीघ्र पास कर देना है। इसलिए समय बचाने के लिए, बजाय इसके कि एक दफा सेलेक्ट कमेटी यहां बैठे और फिर एक दफा काउंसिल में बैठे, संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि जो संशोधन श्री जरगाम हैदर ने रखा है उसमें भी संयुक्त प्रवर समिति का संशोधन मान लिया जाय। उसे १५ दिन मान लिया जाय और वह संयुक्त प्रवर समिति के लिये भी मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन उपस्थित कर दीजिये कि आप भी संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये १५ दिन का समय चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इसी तरह से हमारा प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का मान लिया जाय और हम ३ दिन के स्थान पर उसको १५ दिन का ही चाहते हैं।

श्रीमन्, भारतीय शिक्षा जगत में एक उदीयमान नक्षत्र का उदय हो तो कौन ऐसा मनुष्य होगा जो ऐसे सुन्दर प्रस्ताव का स्वागत न करे। इसके उद्देश्य और कारण यह स्पष्ट करते हैं कि इस प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय की महती आवश्यकता थी जिसको यह विधेयक पूरा कर रहा है।

जहां तक इस विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है और जो सिद्धान्त इसमें निहित हैं, मैं समझता हूं, इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य इसका स्वागत करेगा। मैं यहां पर यह भी याद दिला दूं कि इस विश्वविद्यालय को बनाने का सिद्धान्त सदन बहुत पहले स्वीकार कर चुका है। आज बहुत से माननीय सदस्यों को इसके स्थान के सम्बन्ध में, इसके प्रकार के सम्बन्ध में और इसके आकार के सम्बन्ध में आपत्ति है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी सन् १९५८ में जब अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत था तो उस समय रुद्रपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में यह सदन एक अनुदान मंजूर कर चुका है। यह अनुदान सन् १९५७-५८ में १० लाख का था और २५ लाख रुपया इस साल के बजट में रखा हुआ है जो कि वहां पर खर्च होना है। वहां पर पी० डब्लू० डी० का एक डिवीजन भी खुल गया है जिसका हेडक्वार्टर लालकुआं में खुल चुका है और कई महीने हुये कुछ निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो मुझे कुछ शंका हुई कि जब मैं कल मंत्री जी को सुन रहा था। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि जब फरवरी सन् १९५८ में इस सदन ने १० लाख रुपया मंजूर कर लिया है और इस साल के बजट में २५ लाख रुपया स्वीकार किया गया है और जो हमको स्मृति-पत्र दिया गया है उसके अनुसार प्लानिंग कमीशन भी उसकी स्वीकृति दे चुका है, पी० डब्लू० डी० का डिवीजन खुल चुका है और खर्च हो रहा है और ठेके दिये जा चुके हैं तो फिर यह हमारी आशंका है कि मंत्री जी जो यह जल्दी पास करने की बात कहते हैं कि रुपया नहीं मिलेगा यह कुछ जंची नहीं। क्या दिक्कत आयेगी बाद में, यह कृपया वह हमको बतला दें। योजना स्वीकार हो जाने पर यह प्रश्न अब नहीं उठना चाहिये। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि फरवरी सन् १९५८ में जब बजट रखा गया और योजना हमारे सामने उपस्थित कर दी गई तो यह विधेयक बनाने में देर हुई। मैं यह समझता था कि इस विधेयक में कोई नई बात होगी जो और विधेयकों में देखने में नहीं आई। हम यह समझते थे कि इसमें कोई खास लेखनकला की विशेष प्रकांडता दिखाई गई होगी लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। वही सैडलर कमीशन की बातें इसमें बतलाई गई हैं और हमारी धारायें जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में हैं और आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में हैं वही इस विधेयक में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब यह फरवरी सन् १९५८ में योजना आ चुकी थी तो फिर इसके बनाने में इतनी देर क्यों हुई यह बात स्पष्ट नहीं हुई...

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--मेरा प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन यह है कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई विशेष बात इस बिल के अन्दर नहीं है। वह विशेष बात जिसकी रूप-रेखा उनके दिमाग में है और उस रूप-रेखा को वह इस बिल में नहीं पाते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह विशेष बात क्या है जो उनके दिमाग में है और इस बिल में नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं तो अभी निवेदन कर ही रहा था। माननीय रावत जी यदि यहां पर लंच टाइम के बाद बैठने की कृपा करेंगे तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें अधिकतर बातें तो ऐसी हैं कि जो अभीतक बतायी ही नहीं गयी हैं। वाइस-चांसलर किस प्रकार चुना जायगा, दिया हुआ है टु बि प्रेस्क्राइब्ड। यह परिनियमों में बतलाया जायगा। एकेडेमिक काउन्सिल कैसे बनायी जायेगी, यह भी परिनियमों में बताया जायगा। कमेटीज कैसे बनेंगी, हेड आफ दि डिपार्टमेंट, बोर्ड आफ फैकल्टी, फैकल्टीज कौन-कौन होंगी, आदि सब बातें परिनियमों में बतायी जायेंगी। तो इस विधेयक का आधे से अधिक अंश परिनियमों में होने वाला है और उनको सरकार बनाने वाली है। जो सब से ज्यादा विवादास्पद क्लाजेज हैं उन सब को सरकार बनाने वाली है। अगर सरकार का यही इरादा था तो मार्च, १९५८ में ही यह विधेयक सरकार ला सकती थी कि यह विधेयक आप पास कर दीजिये।

फिर राधाकृष्णन्, कमीशन का भी इसमें जिक्र किया गया है। उनकी सिफारिशें क्या थीं? संक्षेप में, उनकी पहली सिफारिश यह थी कि कृषि विश्वविद्यालय नहीं वरन् ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। एग्रीकल्चर नहीं रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो और उसी आधार पर उसकी जांच करने के लिये डाक्टर श्रीमाली की अध्यक्षता में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक दूसरी कमेटी बनायी। उस कमेटी ने रूरल हायर इंस्टीट्यूशन बनाने की सिफारिश की और कहा कि ७, ८ इंस्टीट्यूशन्स सारे देश में खोले जाने चाहिये। बिचपुरी इंस्टीट्यूशन के बारे में हमारे लहरी जी ने कहा। वहां इंस्टीट्यूशन खुल चुका है और केन्द्रीय सरकार उसके लिये रुपया दे चुकी है। तो रूरल हायर इंस्टीट्यूशन का कंसेप्शन और इस यूनिवर्सिटी के कंसेप्शन में अन्तर है। तो, राधाकृष्णन् कमीशन ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाया जाय न कि कृषि विश्वविद्यालय। ग्रामीण विश्वविद्यालय होगा तो ग्राम की जितनी आवश्यकतायें होंगी उनको ध्यान में रखते हुये उन्हीं विषयों पर वहां की शिक्षा-दीक्षा होगी। किन्तु यह ग्रामीण विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है। इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय है किन्तु इसमें होम साइन्स आदि के भी इंस्टीट्यूशन्स हैं। तो इसका नामकरण ही कुछ गलत प्रतीत होता है।

दूसरी बात यह कि राधाकृष्णन् कमीशन ने कहा था, सिपारिश की थी कि कमेटी और सिनेट आदि जो होते हैं उनको इसमें कम किया जाना चाहिये। यह खुशी की बात है कि एक अथारिटी तो कम की गयी है। इस यूनिवर्सिटी के संगठन में कोर्ट या सिनेट को कम कर दिया गया है। कहीं यह कोर्ट कहलाता है और कहीं सिनेट। इस सुझाव को कम से कम अनुभव के लिये स्वीकार किया गया है और इस यूनिवर्सिटी में न कोई कोर्ट है न कोई सिनेट। मैं, अगर यह अनुभव के लिये किया जा रहा है तो, इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन साथ-साथ उन्होंने यह भी सिपारिश की थी कि जहां पर और दूसरी बाडीज भी न हों, उन्होंने गवर्निंग बाडी बनाने की सिपारिश नहीं की। आपने इसमें गवर्निंग बाडी रखी है। राधाकृष्णन् कमीशन की सिपारिश थी कि एक्जीक्यूटिव काउंसिल बनायी जाय। मैं जानना चाहूंगा कि एग्जीक्यूटिव काउन्सिल को इसमें क्यों स्थान नहीं दिया जा रहा है और एकेडेमिक काउन्सिल बनाने की जो बात है उसमें राधाकृष्णन् कमीशन ने बिलकुल नया सुझाव दिया कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की एकेडेमिक काउन्सिल में विद्यार्थियों तक को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। फिर उन्होंने यह भी सिपारिश की थी कि इसको चलाने के लिये रूरल हायर एजूकेशन काउन्सिल बनायी जाय पहले प्रदेश में। यह सिपारिश केवल उनकी ही नहीं है बल्कि श्रीमाली रिपोर्ट की भी है। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण विश्वविद्यालय का और दूसरे सेकेन्डरी कालेजेज जो कि माध्यमिक विद्यालय हों, उनसे तारतम्य होना चाहिये।

अमेरीका के लैंड ग्रान्ट्स कालेज की बात कही जाती है। हमको याद रखना चाहिये कि वे कालेज हैं, यूनिवर्सिटी नहीं हैं। वे एक ही विषय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि

१८६२ में इनमें मिलीटरी टैक्टिक्स की शिक्षा का भी इन्तजाम किया गया । और भी विषय इन कालेजों में पढ़ाये जाते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे । अब हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अमेरिका के लैंड ग्रान्ट्स् कालेज किस प्रकार के होते हैं । इस नाम से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल भूमि से ही सम्बन्ध रखते हैं लेकिन वास्तव में यह नाम इसलिये पड़ा कि राज्य ने कुछ भूमि नागरिकों को बेच दी । करीब लाखों एकड़ जमीन यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने नागरिकों को बेच दी और उससे प्रत्येक राज्य में एक कालेज चलाने के लिये एक परमानेन्ट एन्डाउमेन्ट कायम किया गया । इसलिये वह नाम हो गया । तो वे कालेज न केवल कृषि और इंडस्ट्रीज की शिक्षा देते हैं बल्कि वे मिलीटरी ट्रेनिंग और मनोविज्ञान आदि की शिक्षा भी देते हैं । इसलिये राधाकृष्णन् कमीशन ने न केवल पोस्ट-ग्रेजुएट कालेजों का जिक्र किया है बल्कि अन्डरग्रेजुएट कालेजों का भी जिक्र किया है । पेज ५७५ में रूरल यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने कहा है:

"Rural University should be a ring of small residential under-graduate Colleges with specialised University facilities in the Centre."

यानी परिधि में अन्डरग्रेजुएट, छोटे कालेज हों और सेंटर में स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी हो । सिद्धांततः यह बिलकुल सही है कि इस प्रकार की एक रूरल यूनिवर्सिटी बनाई जाय जिसका सेंटर तराई स्टेट फार्म हो जो एशिया का सबसे बड़ा फार्म है और १६,००० एकड़ का है । वह फार्म सेंटर हो जाय और हायर इंस्टीट्यूट्स, जिन्हें राधाकृष्णन् कमीशन के अनुसार कन्स्टीट्यूएंट कालेज कहा जाय, राज्य में कहीं पर भी हो सकते हैं । इसलिये हमें इस दृष्टिकोण से इस विधेयक पर विचार करना चाहिये और ऐसा इसमें प्राविधान करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में जैसी परिभाषा गवर्निंग बाडी की दी गई है उसमें अध्यापकों का या इन्सट्रक्टर्स का कोई स्थान नहीं है । उनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं । जहां डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर हैं और सभी हैं वहां पढ़ानेवाले अध्यापकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जैसा कि इलाहाबाद, लखनऊ और दूसरे विश्वविद्यालयों में है । इन्टर्नल यानी आन्तरिक प्रतिनिधित्व इस विधेयक में है ही नहीं । तो यह भी एक बहुत बड़ी कमजोर करने वाली चीज इस विधेयक में है, इस पर हमें विचार करना है ।

साथ ही साथ इस विधेयक में जो अधिकार राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं, वह बहुत ज्यादा हैं, मैं समझता हूं कि वह विधान की मर्यादा के बाहर भी है । अन्तिम परिच्छेद में सरकार ने जो पावर ली है उसमें उन्होंने इस अधिनियम, नियमों तथा परिनियमों को बदलने की पावर ले ली है और उसको विधान सभा के सामने रखे बिना वह ऐसा कर सकती है । इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ऐक्ट में, रूल्स में और स्टेट्यूट में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह विधान सभा के सामने रखे जाने वाले नहीं हैं । इस तरह के अधिकार सरकार को लेना मेरे खयाल से बहुत अधिक हैं । इसका जिक्र खंड ३६ में किया गया है जो इस प्रकार से है :

"The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, direct that this Act, and any Statutes made thereunder shall during such period as may be specified in the order take effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary or expedient ; or"

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ऐक्ट को माडीफाई करने का अधिकार राज्य सरकार इसमें ले रही है। अब तक तो रूल्स और स्टेट्यूट्स बनाने का अधिकार सरकार लेती थी लेकिन अब ऐक्ट के ओमिशन और एडीशन की पावर वह ले रही है।

इसके अतिरिक्त इसमें कम्पट्रोलर और रजिस्ट्रार के पदों को अलग-अलग रखा जा रहा है। आज तक जो भी अधिनियम विश्वविद्यालय के बने उनमें रजिस्ट्रार और कम्पट्रोलर दोनों पदों को अलग-अलग नहीं रखा गया था। रजिस्ट्रार ही एकाउन्ट्स का भी काम करता आया है, उन्हीं के अधीन काम होता आया है। इन दोनों का अलाहिदा-अलाहिदा होना उचित नहीं है। ये दोनों पद एक ही होने चाहिये, या आडीटर की व्यवस्था आपको अलाहिदा से करनी चाहिये थी। इस प्रकार की जो नयी व्यवस्था की जा रही है, मैं समझता हूं कि वह कहीं भी नहीं है। मैं समझता हूं कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं है, न शायद लैंड ग्रान्ट्स कालेजेज में ही ऐसी बात है कि रजिस्ट्रार के अलावा कम्पट्रोलर अलाहिदा हो। श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कम्पट्रोलर की व्यवस्था की गयी है लेकिन उसमें रजिस्ट्रार की व्यवस्थार नहीं है। वहां कम्पट्रोलर ही रजिस्ट्रार का काम करता है। इसलिये इसमें जो रजिस्ट्रा और कम्पट्रोलर की व्यवस्था की गयी है, वह भी मर्यादापूर्ण नहीं है।

राधाकृष्णन् कमीशन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि ग्राम विश्वविद्यालयों में कोई चांसलर नहीं होना चाहिये। चान्सलर विहीन विश्वविद्यालयों की परिकल्पना उन्होंने की थी। लेकिन इसमें पहले ही चान्सलर की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त उसके जो अधिकार रखे गये हैं वे करीब-करीब वही हैं जो और विधेयकों में रखे गये हैं। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि अगर हमें राधाकृष्णन् कमीशन के सुझावों को मानना है तो जो बहुधंधी प्रक्रियायें चांसलर की इसमें बतायी गयी हैं उनको अगर आप समाप्त कर सकें तो बहुत ही उपयोगी होगा।

तीसरी बात यह है कि इस विधेयक की परिभाषा में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह यूनिवर्सिटी कैसी होगी, यूनिटरी होगी, रेजीडेन्शियल होगी, या फेडरेटिव होगी। किसी अधिनियम का जो भी प्रिएम्बिल होता है उसमें यह स्पष्ट लिखा रहना चाहिये। इसमें यह नहीं लिखा है कि यह फेडरेटिव यूनिवर्सिटी होगी, यूनिटरी होगी या रेजिडेंशियल होगी। यह बात गोल रखी गयी है। मैं समझता हूं कि हमारे इस विधान मंडल के लिये यह शोभनीय नहीं है कि इस प्रकार से कोई विधेयक अस्पष्ट हो। राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि फेडरेटिव टाइप की यूनिवर्सिटी होगी और रेजिडेंशियल भी होगी और यही आज के युग की पुकार भी है कि फेडरेटिव और रेजिडेंशियल टाइप की यूनिवर्सिटी होनी चाहिये जिसके अन्दर कांस्टीटुएंट कालेजेज होने चाहिये। तराई स्टेट फार्म तीन जगहों पर बंटा हुआ है, हेमपुर फार्म काशीपुर में है जो साढ़े पांच हजार एकड़ का है, इसी तरह से हल्दवानी में एक फार्म है, यानी तीन हिस्से में तराई स्टेट फार्म बंटा हुआ है जिसे आप यूनिवर्सिटी को देने जा रहे हैं। इस राज्य के और कालेजों के लिये रास्ता खुला रहना चाहिये कि वे इस यूनिवर्सिटी के कांस्टीटुएंट कालेज बन सकें, जैसे लैंड ग्रान्ट कालेज अमेरिका में है, जैसे मुक्तेश्वर का वेटेरिनरी इंस्टीट्यूट है, उसे एनीमल हस्बैंडरी से लिन्क कर के इसका कांस्टीटुएंट कालेज बना सकते हैं, या और जो डिग्री कालेज हैं उनको भी कांस्टीटुएंट कालेज बना सकते हैं। इसी तरह से बिचपुरी में जो रूरल इंस्टीट्यूट है उसको भी इस यूनिवर्सिटी का एक अंग मानकर कांस्टीटुएंट कालेज बनाया जा सके, या और डिग्री कालेज को कांस्टीटुएंट कालेज बनाया जा सके, इसके लिये रास्ता खुला रहना चाहिये, अगर आज धन की कमी से ऐसा न हो सके तो आगे के लिये रास्ता खुला रहना चाहिये कि शनैः-शनैः फेडरेटिव यूनिवर्सिटी के जरिये रीजनल यूनिवर्सिटी और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का काम लिया जा सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसी सदन में आज से दो साल पहले मैंने कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था जिसे इस सदन ने और सभी दल के लोगों ने एक मत से यूनिवर्सिटी कायम

करने के सिद्धांत को स्वीकार किया था । सरकार ने भी स्वीकार किया और सदन ने भी एक मत से जनहित में इसको प्रसारित करना स्वीकार किया । इस के सिद्धांत को विधान सभा ने एक मत से स्वीकार किया क्योंकि एक तो यह है कि वहां पर इम्तिहान की जो प्रणाली है वह दोषपूर्ण है । सारे मैदानी इलाके में गर्मी की छुट्टी होती है तो पर्वतीय इलाके में जाड़े में छुट्टी होती है । जब एक्जामिनेशन नजदीक रहता है और जिस समय प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को नजदीक रहना चाहिये उस वक्त वे उनसे दूर हो जाते हैं । नतीजा यह होता है कि जब वे जाड़े की छुट्टी के बाद लौटते हैं तो फिर प्रिपरेशन लीव हो जाती है जिससे वे दिसम्बर तक ही पढ़ पाते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ पाते । पहाड़ी क्षेत्र के विद्यार्थी जो बी० ए०, एम० ए० या हाई स्कूल में पढ़ते हैं वे जुलाई से दिसम्बर तक ही केवल पढ़ पाते हैं जब कि मैदानी इलाके के विद्यार्थी जुलाई से फरवरी तक पढ़ते हैं । तो एक व्यावहारिक दिक्कत भी है जिसकी वजह से कुमायूं में ऐसी यूनिवर्सिटी का होना आवश्यक है जो फेडरेटिव भी हो और रेजिडेंशियल भी हो जिसके अन्तर्गत दूसरे कालेज भी एफिलियेट हो सकें । इस तरह से कुमायूं में यूनिवर्सिटी बनाने की जो हमारी मंशा है वह भी काफी हद तक पूरी हो जायगी, यदि इसके अन्दर इस तरह का विधान कर दिया जाय कि रुहेलखंड, कुमायूं आदि के जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं वे सब इसके अन्दर एफिलियेट हो सकें । अगर ऐसा हो गया तो पर्वतीय क्षेत्र में एक्जामिनेशन सिस्टम की जो दिक्कत है वह भी हल हो सकती है । इस दृष्टिकोण से मैं यह सुझाव देता हूं कि सरकार इसको फेडरेटिव टाइप की यूनिवर्सिटी घोषित कर दे जो रेजिडेंशियल टाइप की युनिवर्सिटी भी हो । राधाकृष्णन् कमीशन का भी सुझाव इसी तरह की यूनिवर्सिटी के लिये है ।

साथ ही साथ प्राइवेट एन्डाउमेन्ट का प्रबन्ध भी होना चाहिये । जब आप १६,००० एकड़ का तराई स्टेट फार्म इसे देने जा रहे हैं तो जिस उद्देश्य के लिये यह फार्म बना था उस उद्देश्य को भी यह विश्वविद्यालय ही पूरा करेगा । तो उसके लिये एक एन्डाउमेन्ट क्रिएट करना चाहिये । तराई स्टेट फार्म तथा उसकी एक्सेसरीज का लैंड ग्रान्ट कालेज की तरह एंडाउमेन्ट ट्रस्ट के रूप में कायम करना चाहिये । यह गवर्नमेंन्ट की यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जायगी, बल्कि यह एक आटोनामस बाडी होगी । जब यह आटोनामस युनिवर्सिटी होगी और तराई स्टेट फार्म इसको ट्रान्सफर किया जायगा तो एन्डाउमेन्ट उसका क्रियेट किया जाना चाहिये । उसका आश्वासन किसी प्रकार से हमको मिलना चाहिये ।

सिद्धान्ततः हम सभी लोग इस प्रस्ताव से पूर्णतया सहमत हैं और जब हम फरवरी, १९५९ में ही इस विश्वविद्यालय को कायम करने की कामना कर चुके हैं तो मुझे आशा है कि आप इसे ग्रामीण विश्वविद्यालय का स्वरूप देंगे, केवल महाविद्यालय का स्वरूप नहीं देंगे । यह ग्रामीण विश्वविद्यालय एक ऐसी शिक्षा पद्धति को समुन्नत करेगा और एक ऐसी शिक्षा पद्धति को जन्म देगा जो इस प्रदेश व देश की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा । आज शिक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल क्रान्ति और परिवर्तन की आवश्यकता है और उस क्रान्ति की शुरुआत, उसका प्रथम दर्शन अगर यह विश्वविद्यालय करा सके तो हम सबके लिये यह परम सौभाग्य की बात होगी ।

लैंड ग्रान्ट कालेज की शुरुआत एक महान व्यक्ति के द्वारा ही हुई जिसको अब्राहम लिंकन के नाम से पुकारते हैं और जिसने संसार में प्रजातंत्र का सूत्रपात किया । अमेरीका में शैक्षिक क्रान्ति उसी के द्वारा हुई । प्रेसीडेंट बुचानन ने तो लैंड ग्रान्ट कालेज स्थापित करने के आइडिया को खत्म ही कर दिया था, लेकिन अब्राहम लिंकन ने उसे स्वीकार किया । हमें भी शिक्षा पद्धति को बदलना है और हमको ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्रकार की शिक्षा स्थापित करना है । अगर इस दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे तो शायद इस विश्वविद्यालय के विधान को बदल सकें और राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार कर सकें । लेकिन अगर हमने खिचड़ी बनाई कि कुछ सिफारिशें लैंड ग्रान्ट कालेज से लीं, कुछ राधाकृष्णन् कमीशन से लीं और कुछ-कुछ मुथम कमेटी से लीं तो नतीजा कुछ नहीं होगा । मुझे आशा है कि प्रवर समिति में हम लोग गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करेंगे और कुछ निर्णय तक इस सम्बन्ध में पहुंच सकेंगे ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं और जहां तक सरकार द्वारा ईमानदारी के साथ इस सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत करने का सवाल है उस पर मुझे कोई सन्देह नहीं है, परन्तु इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान गत वर्षों के अध्ययन व अनुभव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने मुल्क के अन्दर शैक्षिक उन्नति के लिये नये-नये कालेजेज व डिग्री कालेजेज को इस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। सदन में सरकार की तरफ से जो वक्तव्य और आश्वासन दिये गये, मुझे खेद है यह कहते हुये कि सरकार के वे आश्वासन व्यर्थ सिद्ध हुये। हमें बतलाया गया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो उत्तर प्रदेश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी। लेकिन जो हमको उसकी शिक्षा पद्धति देखने को मिलती है तो उससे यही ज्ञात होगा, जो हमने पहले कहा था, कि अगर इलाहाबाद, आगरा व लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरह वहां भी वही फिलासफी, वही हिस्ट्री और जागरफी पढ़ाई जाय तो आपका क्या मतलब है, क्या आपकी बुद्धिमत्ता है कि अपनी इस उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, उसके खजाने के ऊपर, उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, उसकी जेब पर इस बोझ को डाला जाय? जो अव्यवस्था पहले थी उसको और आगे तरजीह दी है। आपने जो एक नयी व्यवस्था पैदा की है उसे उस अव्यवस्था को एक बढ़ावा मिला।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय चन्द्रसिंह जी आप जानते हैं कि "आप" शब्द चेयर के लिये होता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं चेयर से ही बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन चेयर ने कोई अव्यवस्था तो नहीं की है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं यह बताना चाहता हूं कि जो कोई भी कार्य हमारे सदन में सम्पादित होते हैं, जो व्यवस्था मुल्क के उत्थान के लिये बनाते हैं उसको बड़े सोच-समझ कर सम्पादित करना चाहिये। इतना ही जोर मैं इस बात पर दूंगा।

जहां तक कृषि विश्वविद्यालय का प्रश्न है मैं इसलिये इसका स्वागत करता हूं कि हमारा प्रदेश एग्रीकल्चरिस्ट स्टेट है, इसमें ८५ फीसदी किसान रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं और उसका हमें बड़ा भारी भय है और आगे हमारी आने वाली सन्तान बतायेगी, बल्कि सन् १९६२ में जो असेम्बली यहां आयेगी, वह इस बात की साक्षी होगी कि जहां हमारे इरादे साफ थे, स्वच्छ थे, उन पर बहुत अव्यवस्था की इमारतें खड़ी होंगी। हम एक नई शिक्षा प्रणाली अपने देश के अन्दर चलाना चाहते हैं इसलिये कि यहां साइंस और विज्ञान से खेती की जाय जिससे प्रदेश तथा देश की पैदावार बढ़े। लेकिन होगा क्या? इसके लिये भय है।

आज किसानों के लड़कों के लिये कृषि-विश्वविद्यालय में प्रावीजन किया जा रहा है और हम कानून के विद्यार्थी उन छिद्रों को ढूंढ़ने में माहिर होते हैं कि जहां से हम अव्यवस्था की बात करना चाहते हैं, हम छिद्र ढूंढ़ कर निकालते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर सत्यता है, ईमानदारी है हमारे रादे में, तो शहर के रहने वालों के लिये जिन्होंने कभी कृषि को ेखा नहीं, कृषि में रुचि नहीं, कृषि के काम को पतित काम समझते हैं, उनके लिये इस विश्वविद्यालय में दाखिला के लिये कोई प्रावीजन नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि उनको डिबार करने का इसमें प्रावीजन होना चाहिये। इसमें प्रश्न उठ सकता है कि मुल्क के अन्दर बड़े-बड़े जीनियस हुआ करते हैं यह मुमकिन हो सकता है कि शहर के रहने वालों में कोई कृषि से अधिक रुचि रखने वाला पैदा हो जाय तो उसको डिबार करना पाप है। पाप है जरूर। लेकिन हम उस बड़े भारी अनहित को दूर करना चाहते हैं उस प्रावीजन के लिये जिसके लिये मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि उनको डिबार करने के लिये क्लाज होना चाहिये जो केवल नई शिक्षा-दीक्षा के लिये विश्वविद्यालय से बड़े-बड़े टाइटिल या डिग्रियां लेने के लिये और सरकारी नौकरियों में घुसने के लिये एक रास्ता निकालना चाहते हैं, अपने लिये। हमें उसको बन्द करना है। यह मेरा नम्र निवेदन

है क्योंकि अभी तक ऐग्रीकल्चरल कालेज के डिग्री धारियों ने, प्रोफेसरों नें जो प्रदेश में हैं, उनका कोई कांट्रीब्यूशन इस मुल्क के डेवलपमेंट में नहीं रहा है, बिलकुल निल रहा है । उसको मैं सदन में कहना चाहता हूं । मैंने एस्टीमेट कमेटी के सदस्य की हैसियत से जितने ऐग्रीकल्चरल फार्म्स का निरीक्षण किया उससे बड़े कटु अनुभव हुये हैं । हर फार्म के साथ एक रिसर्च की भी दुम जोड़ रखी है कि जितना नुकसान सरकार का हो उसको रिसर्च के नाम पर छुपाया जाता है । सन् १९१२ में जो फार्म सरकार की तरफ से चालू किया जाता है अफसोस है, मैं कहता हूं लानत है उन लोगों को, जो १९१२ में स्थापित हुमे फार्म को १९५८ तक सेल्फ सफीशियेंट नहीं बना पाये । उस पर ४,५०,००० पया सालाना सरकार का खर्च होता है । बड़े खेद की बात है । यही अगर हमारी शिक्षा ऐग्रीकल्चर की होने जा रही है तो मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा को उत्तर प्रदेश से हटा दीजिये । जो रिसर्च का शब्द जोड़ा गया है वह केवल बेईमानी को छिपाने के लिये जोड़ा गया है, हम जानते हैं कि अगर वहां के खर्च और आय का चिट्ठा देखा जाय और उनके वहां के कन्ट्रीब्यूशन को देखा जाय कि उन्होंने क्या नई चीजें वहां पैदा की हैं और क्या डेवलपमेंट किया है तो मालूम होगा कि वह निल के बराबर है । क्या वह कभी खेत में जाते हैं, क्या वह किसी तरह से भी कोई काम करने के काबिल हैं या वह केवल अपने को बुद्धिजीवी लोग ही समझते हैं । बड़े अफसोस की बात है और बड़े खेद की बात है कि काटेज इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर जब हमारे यहां पौड़ी में गये तो हमने देखा कि उनके अन्दर इस मुल्क हिन्दुस्तान की बू भी नहीं थी और जो देश के उत्पादन में और उत्थान में विश्वास तक नहीं करते और जिनका विश्वास नहीं है कि देश की निर्मित चीजों से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है । ऐसे लोगों के द्वारा इस देश की कृषि का या उद्योग का भला नहीं होने वाला है, ऐसे लोगों से जिस को देश के तौर-तरीके, शिक्षा-दीक्षा. से घृणा है, जिस को देश से घृणा है, जिस को देश की अपनी संस्कृति से घृणा है, जो समझता है कि अपनी जरूरत की चीजें यह देश पैदा नहीं कर सकता, ऐसे लोगों के हाथ में हमारी उन्नति सुरक्षित नहीं रह सकती । एक दिन में कोई पारंगत नहीं हुआ करता । आज हम ए, बी, सी, डी, सीखते हैं कल ही काबिल नहीं बन सकते, आज की जागृत परिस्थितियों से ही कल की परिस्थितियां निकल सकती हैं, आज की असफलता से ही कल की सफलता पैदा होगी और जो इस में विश्वास नहीं रखता उसको किसी भी रेस्पान्सिबिल पोस्ट पर रखना मुल्क के लिये हानिकारक है । हमारा आज के एडमिनिस्ट्रेशन पर साफ तौर से यह लांछन है । इस तरह के लोगों को जब किसी विभाग का इंचार्ज बना दिया जाता है तो उनके द्वारा हम एक कदम आगे नहीं जा सकते ।

जरूरत इस बात की है कि हमें अपने यहां के कैरेक्टर को देखना होगा, हमारे जो कालेज या विश्वविद्यालय खुलें उन में हम अपने यहां की समस्याओं को स्टडी करें, मुल्क की जरूरत के साथ चलें । हमें अपने यहां अमेरिका का या शिकागो का स्वायल सर्वे पढ़ाने से कोई लाभ नहीं हो सकता, उससे हमें महान् खेद ही होगा, जब तक हम अपने यहां यू० पी० की स्वायल की स्टडी न करायें और शिकागो विश्वविद्यालय की पुस्तकें और वहां का स्वायल सर्वे पढ़ें तो उस से क्या लाभ? अगर आज भी उसी तरह की शिक्षा हमारे विश्वविद्यालयों में चलाई गई तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां बुद्धिजीवी लोग अब नहीं रह गये । इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि सरकार इस चीज का ध्यान रखें और मैं इस चीज पर बार-बार जोर इसलिये दे रहा हूं क्योंकि मैंने बार-बार सरकार के आश्वासनों को मिटते देखा है और उनको हमने कभी भी पूरा होते नहीं देखा है । कहा गया था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक रूरल यूनिवर्सिटी होगी, यह सबको मालूम है लेकिन वह स्वप्न हमारे न जाने कहां एवेपोरेट हो गये । मैं जानना चाहता हूं कि अगर वह बात पूरी नहीं होनी थी तो क्यों हमें आश्वासन दिया गया ? क्या यहां पर लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं ? क्या यहां किसी के अक्ल नहीं है, क्या यहां कोई तजुर्बा नहीं रखता ? तमाम बातों को जानते हुये भी कोई आश्वासन पूरा नहीं होता, हम ने भी जमाना देखा है, दुनिया देखी है । वह आज बतायें कि क्या वह स्वप्न गायब नहीं हुये ? इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर इस मुल्क हिन्दुस्तान को उठाना है, देश को उन्नत करना है तो यहां के गरीब मेहनत करने वाले को साथ लेकर चलना होगा, जब किसी टाउन के रहने वाले की बलखाती हुई कमर खेत में दिखाई देती है तो प्रकृति भी उससे घृणा करती है । मैं समझता हूं कि जो लहलहाती हुई खेती अपने मालिक का स्वागत

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

नहीं करती उस व्यक्ति को उस खेती में स्थान नहीं मिलना चाहिये । जो फूलों की खेती करते हैं केवल कमरों और घरों के सजाने के लिये, उसको खेती नहीं कहा जा सकता । जो मुल्क को शक्तिशाली बनाने में एक बड़ा फैक्टर है उसको इग्नोर किया जाय उनके लिये जो ४२० हैं जो कि केवल प्रोफेसर्स बनने के लिये और डायरेक्टर बनने के लिये ऊंचे-ऊंचे पद लेने के लिये वह शिक्षा प्राप्त करते हैं । (विघ्न) मैं बिलकुल विषय के अन्दर बोल रहा हूं । अगर माननीय सदस्य के खयाले शरीफ में वह प्रकाश की रश्मि नहीं पड़ी तो मुझे अफसोस है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस बिल में यह प्रावीजन है कि वहां स्टडीज क्या होंगी, उसमें शिक्षा-दीक्षा क्या दी जायगी । यह बहुत रेलेवेंट है, और इसको इर्रिलेवेंट कहा जाता है तो बड़ा अफसोस है, फिर रेलेवेंट की क्या परिभाषा होगी ?

तो वह पिछड़े लोग जो इस देश की इकोनामी की बैकबोन हैं, अगर उस जनता का आपको, खयाल है तो इसमें अंग्रेजी शिक्षा का बार रहना अनुचित है । अगर आपने रखा कि हाई स्कूल अंग्रेजी में पास होना चाहिये तो क्या गेहूं पैदा करने के लिये ए, बी, सी, डी, की जरूरत है ? हर्गिज नहीं । मैं जानता हूं कि कैमिकल्स की बात होगी तो कैमिकल्स के नाम हिन्दुस्तानी में हो सकते हैं । अगर हम कैमिकल्स के नाम हिन्दुस्तानी में न रख सके तो यह देश इस काबिल नहीं है जिसका कि वह घमंड करते हैं, जिसकी वह ऊंची आवाज लगाकर बड़े-बड़े दावे पेश करते हैं । क्यों नहीं हो सकता है हिन्दी में ? क्या बात है ? सी०, ओ०, ए० टी०, कोट न जानने वाला भी कोट को समझता है, सर्वे को समझता है । लेकिन आज जो गरीब का लड़का है उसको अंग्रेजी पढ़ने का मौका नहीं है । गजट को उठाकर देखिये, हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में कितने लड़के अंग्रेजी में फेल होते हैं वह सब गरीबों के लड़के हैं जिनके लिये ट्यूशन की व्यवस्था नहीं, किताबों की व्यवस्था नहीं । यह विश्वास करना कि देहात के गरीब लड़के अंग्रेजी में पारंगत होंगे और उन टेक्निकल शब्दों को आसानी से समझ सकेंगे यह बुद्धि से परे की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं भूमिका काफी हो चुकी, अकलमन्द के लिये इशारा काफी होता है । माननीय मंत्री जी ने समझ लिया होगा । अब आप बिल के पक्ष में कहें । माननीय नारायण दत्त को शिकायत हो सकती है कि उनका कोई जवाब नहीं दिया गया ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका इशारा और सारगर्भित शब्दों को भी पूरी तरह से समझ गया हूं और पहले भी समझता था और जो आप चाहते हैं मैं उस पर आ रहा हूं ।

हमारे माननीय नारायण दत्त जी ने एक क्रिटिसिज्म इसके मुताल्लिक किया था, एक प्वाइंट उठाया कि टीचिंग स्टाफ को प्रतिनिधित्व फलां-फलां कमेटी में नहीं दिया गया, यह इसके अन्दर एक लैकुना, एक बड़ी भारी कमी है । जिसको आप लैकुना कहते हैं वह कमी नहीं है बल्कि वह अकलमन्दी है । वह लोग जो कि एक्जीक्यूशन में हैं, टीचिंग स्टाफ में हैं उनको पालिसी मैटर्स में स्थान देना उस संस्था को बरबाद करना है । उन्होंने तजुर्बे से नहीं सीखा, गत वर्षों के हाउस के डिबेट और लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा, इलाहाबाद या बनारस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो डिबेट्स हुये जिनका माननीय नारायण दत्त जी जिक्र कर रहे थे अभी भी उस तजुर्बे से उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि टीचिंग स्टाफ को पालिसी फ्रेम करने वाली कमेटियों में स्थान देना उस यूनिवर्सिटी को झगड़े का कैम्प बनाना है ।

अगर यूनिवर्सिटी से झगड़ों को मिटाना है तो पालिसी फ्रेम करने वाली कमेटियों में वहां के स्टाफ को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये, वह दूसरे हाथों में होनी चाहिये । जहां तक कार्य संचालन की बात है, डिसिप्लिन की बात है, शिक्षा-दीक्षा की बात है वह तो जो एकेडेमिक आसपेक्ट आफ दि इंस्टीट्यूशन है उसके अधीन होना चाहिये । इन दो चीजों में डिस्टिंगुइश करना पड़ेगा और अगर आप नहीं करेंगे तो खतरा है । जैसा लखनऊ यूनिवर्सिटी में

रोजाना हुआ करता है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमेशा होता आया है उसी का फिर बीजारोपण आप उस यूनिवर्सिटी में करेंगे ।

पहले इसके कि इस बिल की रूपरेखा बनायी गयी होती हमारी सरकार के लिये यह सोच लेना उचित होता कि इस प्रदेश में एग्रीकल्चर और वैटिरिनरी कालेजेज हैं उनकी शिक्षा-दीक्षा का उस वक्त क्या होगा जब यह यूनिवर्सिटी तराई भावर में चालू हो जायगी ? क्या सरकारी नौकरियों के लिये मान्यता जिस प्रकार पुरानी संस्थाओं के ग्रेजुएट्स को दी गयी है उसी प्रकार की यहां के ग्रेजुएट्स को होगी, वही टर्म्स आफ सर्विस होंगे या डिस्टिंक्शन किया जायगा ?

दूसरी बात यह कि जितनी सुन्दर शिक्षा की व्यवस्था इस कृषि यूनिवर्सिटी में होगी क्या उसी के पैरेलेल व्यवस्था इन ऐग्रीकल्चरल और वैटिरिनरी कालेजों में भी की जायगी या इनके आइसोलेशन की व्यवस्था होगी ? इसके अलावा जो उनकी कमियां हैं उनको पूरा किया जायगा या नहीं ? क्या इन कालेजों को लिक्विडेट किया जायगा क्योंकि वहां की पढ़ाई इन-एफिशियेन्ट है और प्रैक्टिकल नहीं पायी गयी ? अगर प्रदेश के इन कालेजों ने ठीक तरह के ग्रेजुएट पैदा किये होते तो आज इस कृषि यूनिवर्सिटी की आवश्यकता हमको न दिखायी देती ।

हमारी देहात की नीड्स को कैटर करने के लिये यह कृषि विद्यालय खोला जा रहा है । इसके साथ ही साथ हम एक इस तरह का क्लाज भी चाहते हैं कि जिन्हें इस साइन्स के डेवलपमेंन्ट में भाग नहीं लेना है, जिन्हें इसको अपना लाइफ प्रोफेशन नहीं बनाना है और केवल उपाधियों के लिये ही जिन्हें दाखिला लेना है ऐसे लोगों के ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश का रुपया जाया न किया जाय । क्या इसमें ऐसा प्रावीजन होगा ?

मैं पूछना चाहता हूं कि उनके लिये इस यूनिवर्सिटी में क्या स्थान होगा ? अगर यह बात हुई तो याद रखिये कि आपकी इस यूनिवर्सिटी का भी वही हुआ होगा जो आज तक होता चला आया है । इसलिये हमें बड़ी सतर्कता के साथ काम करना होगा । अगर हम ईमानदारी से भविष्य को देखते हुये, फ्यूचर के विजन को ध्यान में रखते हुये, अपने नौजवानों की परसीवियरेंस को ध्यान में रखते हुये काम करेंगे तब तो ठीक है अन्यथा यदि हमारे नौजवानों का विजन हमारी आंखों के सामने नहीं होगा तो हम दूरदर्शिता से खाली होंगे । हमें देखना होगा कि किस तरह से हम अपने भविष्य को बना सकते हैं, किस तरह से हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है । बुद्धजीवी लोग फ्यूचर के विजन को ध्यान में रखकर ही काम करते हैं ।

इसलिये इसके साथ ही साथ मैं यह भी सदन को बता देना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी बिल को पारित करने से पहले हम यह भी समझ लेना चाहते हैं कि इसके इस्टैब्लिश करने में क्या कास्ट लगेगी, अमेरिका का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, केन्द्रीय सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या होगा और आपके पास बजट में क्या प्रावीजन है और भविष्य में क्या हो सकता है और उसकी बढ़ती हुई गति को देखते हुये क्या उस खर्चे की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार आसानी से कर सकती है या नहीं ? हमें अपनी आर्थिक दशा को भी देखना होगा और जांचना होगा और सरकार की ओर से हमें यह एश्योरेंस दिया जाय कि इस यूनिवर्सिटी के फुल फ्लेज्ड चलाने में फायनेंसेज की कमी नहीं होगी । जिस प्रकार कि आजकल यूनिवर्सिटी चालू कर दी गई है जैसे इल स्टाफ्ड, इल कंसीव्ड, इल ईक्विप्ड आदि । अगर यही नक्शा है तो बेहतर है कि हम इसको चालू ही न करें । चाहे अमेरीका का कंट्रीब्यूशन आये या न आये । हम इसको महत्व नहीं देते हैं । हम मुल्क के पैसे को ब बाद होते देख बरदाश्त नहीं कर सकते हैं । हम अधूरे काम में विश्वास नहीं करते हैं । जो हमारी सम्पत्ति बर्बाद होती है उसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं । हमने सैकड़ों स्कीमें बनते-बिगड़ते देखी हैं । अगर कल इसका भी यही नक्शा हुआ तो बेहतर है कि हम इस स्वप्न को ही न देखें ।

हमें तो एक बात, एक तस्वीर, एक स्वप्न अपने उज्ज्वल भविष्य की देखनी है । उसके लिये दृढ़ता होनी चाहिये । हमें उसे बनाना है । लेकिन हममें दूसरी चीज यह है कि हम चारों तरफ अपनी ऐक्टीविटीज को फैलाने की कोशिश करते हैं । हमने कहीं भी अपने कदमों को

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कंसालिडेट नहीं किया, यह बड़ा भारी चीज जनता का हमारे ऊपर है। हम परेशान हैं और हमें दुःख है कि हम अधूरे काम क्यों करते हैं? हमारे अधूरे कामों से मुल्क को क्या लाभ होता है? जहां हमारे प्रोजेक्टों से करोड़ों की दौलत पैदा हो सकती थी आज हमें उनको अधूरा छोड़ना पड़ा है। हमें इससे महान् खेद होता है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ और संजीदगी के साथ दरख्वास्त करता हूं कि उनकी तरफ से यह आश्वासन सदन को दिया जाना चाहिये कि यह यूनिवर्सिटी इल प्लान्ड न हो, इल कंसीव्ड न हो इस ईक्विप्ड न हो और इल स्टापड भी न हो, अगर इस बात का ठीक ध्यान रखा गया इसके लिए आपके पास बजट है इसके लिए आपके पास आर्थिक शक्ति है तो इस कदम को अवश्य बढ़ाइये। हम स्वागत करते हैं आपके इस कदम का और हम आशा करते हैं कि आपकी यह स्कीम फलीभूत हो। इससे हमारे उत्तर प्रदेश का दुःख-दर्द दूर हो और भविष्य उज्ज्वल हो।

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक इसका लिखित और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे यहां गांवों की, किसानों की और कृषि की दंडनीय उपेक्षा की गयी है। हमारा प्रदेश और देश गांवों का देश है, कृषि प्रधान है। होना यह चाहिए था कि यहां सबसे पहले ग्राम विश्वविद्यालय खोला जाता, ग्राम गुरुकुल खोला जाता और वह गुरुकुल अपने प्रदेश में कम से कम प्रारम्भ करने के लिए हर कमिश्नरी के क्षेत्र में एक ग्राम गुरुकुल होता। उसकी शाखाएं हर जिले में होतीं और आगे चल कर हर तहसील तक कम से कम पहुंचतीं। तब प्रदेश की आवश्यकता के अनुकूल हमारी शिक्षा हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहां विश्वविद्यालयों का सृजन आम तौर पर अंग्रेजी राज्य के जमाने में हुआ। हमारे अंग्रेज शासकों की नीति देश की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं थी, अपना शासन चलाने के लिए क्लर्क पैदा करने की थी। इसीलिए राष्ट्रीय आन्दोलन के समय महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यह विश्वविद्यालय गुलाम पैदा करते हैं। यह मांग भी हमेशा से रही और आज भी है क्योंकि उस शिक्षा पद्धति में विशेष अन्तर अभी तक नहीं किया गया है। हमारे देश और प्रदेश की शिक्षा पद्धति हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नहीं है। जब अंग्रेजी राज्य चला गया या उससे भी पहले जब १९३७ में कांग्रेस ने पद ग्रहण किये तभी यह होना चाहिए था कि हमारे प्रदेश में सब से पहले उसी समय एक ग्राम गुरुकुल या ग्राम विद्यालय जो भी नाम रखा जाए—मैं ग्राम गुरुकुल पसन्द करूंगा स्थापित कर दिया जाय, बाद में जैसा मैंने कहा हर कमिश्नरी से बढ़ कर हर जिले और हर तहसील में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक यह नहीं हुआ है। इस समय भी जो कृषि विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया है यह ग्राम विश्वविद्यालय विधेयक नहीं है। यह केवल कृषि विश्वविद्यालय विधेयक है। मानता हूं कि कृषि के क्षेत्र में पहली बार एक कदम उठाया गया है। उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जहां तक इस सरकार से सम्बन्ध है यह कदम भी सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। वह कदम भी अमेरिका की मेहरबानी की वजह से उठाया गया है और माननीय मंत्री महोदय को इस बात में जो आपत्ति हो सकती है कि १५ दिन का जो प्रस्ताव है प्रवर समिति में विचार करने के लिए या ७ दिन का जो प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि वह यही मुख्य आपत्ति समझते हैं कि जिन दाताओं ने रुपया देने का वादा किया है उन्होंने यह अवधि रख दी है कि ३१ दिसम्बर तक अगर विधेयक पास नहीं हुआ तो रुपया खटाई में पड़ जायगा। विधेयक हमारे प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल की तरफ से आ रहा है लेकिन यह जबान किसी की हो भाषा किसी दूसरे की है। इसीलिए यह प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है। जो समस्याएं हमारे गांवों और किसानों की हैं उन समस्याओं की सीमा को भी यह नहीं छूता।

इस तरह जो कृषि विश्वविद्यालय यहां स्थापित हो रहा है अभी तो वह कृषि विश्वविद्यालय स्थापित भी नहीं होगा, मंत्री जी कहते हैं कि जुलाई १९६० में इसका कार्य प्रारम्भ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकेगा। इससे पहले नहीं हो सकेगा। यह आशा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय और सरकार दोनों सचाई के साथ इस आशा को पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा अनुभव यह रहा है कि जब माननीय मंत्री महोदय सचाई से भी किसी बात को पूरा करना चाहते हैं तब भी कई कारण ऐसे हैं जिसमें नौकरशाही की शासन प्रणाली ऐसी है जिसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके बारे में यहां मंत्री जी ने स्वयं यह कहा है कि हमारे अधिकारीगण हमारी नीति का पालन नहीं करते, उनके कारण मंत्री महोदय सचाई के साथ जो आशा दिलाते हैं उसको पूरा करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। इसका उदाहरण कार्पोरेशन का बिल है। माननीय कृषि मंत्री स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने कई वर्ष पूर्व यह कहा था कि साल भर के अन्दर हम कार्पोरेशन कायम कर देंगे और एडमिनिस्ट्रेटर केवल साल भर के लिये रखे गये हैं। वह पूरा नहीं कर पाये। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ कर ऐसा किया। इसलिये यह शंका अपने आप होती है कि सन् १९६० में यह प्रारम्भ हो सकेगा या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक लाया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि एक सही दिशा में यह एक कदम है लेकिन यह अत्यल्प कदम है। अगर सरकार अब भी अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहती है और किसानों की और खेती की भलाई का सरकार को खयाल है तो इन सारी योजनाओं को छोड़ कर ग्राम विश्व-विद्यालय की स्थापना करने की योजना उसको कार्यान्वित करना चाहिये और उसके लिये एक विधेयक लाना चाहिये। बस मैं इससे अधिक और निवेदन नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि बहुत समय हो गया है और बहुत से माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं यह भी समझता हूं कि यह विधेयक बहुत देर के बाद आया। हिन्दुस्तान जो एक कृषि प्रधान देश है उसमें एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कृषि शिक्षा के लिये जरूरी थी। यह बहुत पहले हो जाना चाहिये था लेकिन तब भी देर आयद दुरुस्त आयद। अगर कोई चीज देर से आये और अच्छी हो तो उसका स्वागत करना चाहिये। एक बात मैं यह जरूर कहूंगा कि यह जो कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है यह कुछ सिफारिशों के द्वारा खोला जा रहा है। हमको सिर्फ देखना यह है कि जो सिफारिश थीं उनकी पूर्ति इस विश्वविद्यालय से हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? इतना तो हम मानते हैं कि कृषि शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है। कृषि प्रधान देश में एक लाख किसानों के ऊपर अगर एक बालक को कृषि शिक्षा की सुविधा मिले तो वास्तव में यह बुरी अवस्था है। उनमें भी अगर १०० स्नातक पास हों और उनमें से १० स्नातक अपनी खेती पर लौट जांय तो जैसा कि रिपोर्ट कहती है यह और भी बहुत बुरी दशा है। इस दशा को दूर करने के लिये इस विश्वविद्यालय का जो प्रयत्न किया गया है वह सफल होगा या नहीं, इसको हमें देखना है।

पहली बात कंट्रोल बोर्ड की देखनी है। हम यह जानते हैं कि सरकार की यह नीति रही है कि विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र धीरे-धीरे कम कर दिया जाय और सरकार उसको अपने हाथ में ले ले। यह विश्वविद्यालय की जो रूपरेखा हमारे सामने रखी गई है यह पूर्णतः मालूम होती है कि इस सिद्धान्त पर विश्वास करती है क्योंकि यह कंट्रोल बोर्ड १४ आदमियों का रहेगा। इनमें से चार तो सदस्य पदेन हैं और सात राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किये जायंगे और जो तीन बचे हुये हैं वह इस हाउस और विधान परिषद् से चुने जायंगे जिसका अर्थ यह हुआ कि उसमें कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो किसानों से आया हो और जनता की तरफ से आया हो जब कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपो' यह थी कि चूंकि यह कृषि विश्वविद्यालय है, चूंकि इसका किसान से वास्ता है इसलिये इसमें कृषि से सम्बन्ध रखने वाले किसानों का सहयोग होना चाहिये। लेकिन जब हम विधेयक को देखते हैं तो यह मालूम होता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के पीछे जो यह पहली सिफारिश थी उसको एकदम भुला दिया गया है। इस बात को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवीप्रसाद मिश्र]

हम मानने के लिए तैयार हैं, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा, कि मास्टरों को इस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिये। ठीक है, मास्टर गुटबन्दी करते हैं, गड़बड़घोटाला करते हैं, उनका स्थान नहीं होना चाहिये। लेकिन हमारे साथी को यह भी याद रखना चाहिये था कि इस सदन का नेता भी एक मास्टर है, आपकी सरकार का मुख्य मंत्री भी एक मास्टर है गड़बड़ घोटाला करने वालों का स्थान अगर कहीं न हो तो वहां भी नहीं होना चाहिये। लेकिन यह बुरी बात होगी कि अध्यापकों को उसकी पालिसी तय करने में, उसका नियंत्रण करने में जैसी कि अब तक प्रथा रही है, न लिया जाय। क्यों लिया नहीं जायगा? इसका कारण केवल एक ही समझ में आता है कि सरकार एक नया एक्सपेरीमेंट करना चाहती है और इसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है।

दूसरी बात, जो हमारे साथी तिवारी जी ने अभी कही, कि मुख्य चीज किसी विश्वविद्यालय में उसकी एकेडेमिक काउन्सिल हुआ करती है। क्या शिक्षा दी जायगी, कैसे दी जायगी, यह असली चीज है। इसकी रूपरेखा हम इस विधेयक में देखना चाहते थे। बिना एकेडेमिक काउन्सिल की रूपरेखा देखे हुए विश्वविद्यालय क्या करेगा, कैसी शिक्षा देगा, हम इसका अनुमान नहीं कर सकते। लेकिन इस विधेयक में एक ही शब्द से वह हटा दी गयी है कि वह बनायी जायगी और उसका संगठन, अधिकार और उसके समय की सीमा बाद में निश्चित की जायगी। यूं तो जल्दी में यह विधेयक बनाया गया है और इसको जल्दी में पास कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कमी को इस विधेयक से दूर करना चाहिये। एकेडेमिक काउन्सिल की रूपरेखा हमारे सामने अवश्य आ जानी चाहिये। अगर वह नहीं होता तो पूरा का पूरा सिद्धान्त गायब हो जायगा और केवल कंट्रोल बोर्ड सभी कुछ कर लेगा। यह एकेडेमिक काउन्सिल यदि ऐसी बनायी जाय कि जिसमें किसानों का और ग्रामीण स्थानों से आने वाले लोगों का कोई स्थान न हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार कर सकेगी।

अभी हमारे एक साथी ने शिकायत की थी और वह जायज है कि ऐसे लड़के जो एग्रीकल्चर कालेजेज में पढ़ रहे हैं वह वापस अपने खेतों पर नहीं लौट रहे हैं और इसका नतीजा यह हुआ है कि कृषि विद्यालयों का फायदा समाज को नहीं मिल रहा है। आपने यह सुझाव दिया कि ऐसे लड़के जो कृषि से सम्बन्ध न रखते हों उनको विद्यालयों में स्थान न दिया जाय। उनका अर्थ शायद यह रहा हो कि जो लड़के शहर में रहते हों उनको कानूनन मना कर दिया जाय कि उनका इस विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं हो सकेगा। मैं नहीं समझता कि यह कैसे किया जा सकता है लेकिन मैं इतना मानने के लिये तैयार हूं कि जब तक विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों की संख्या कम रहे तब तक सुविधा प्रवेश के उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिये कि जो देहातों से आ रहे हैं या जो किसान हैं या जिनके लिये संभावना की जा सकती है कि वे पढ़ने के बाद अपने घरों पर जाकर खेती कर सकेंगे। शहर के लड़कों को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़े दिनों के लिये, जब तक साधनों की कमी है तब तक, उनके लिये इस क्षेत्र में थोड़ा बन्धन लगाया जाय, दूसरे क्षेत्र उनके लिये खुले हुए हैं। इस क्षेत्र को ग्रामीण जनता के लिये खुला रहना चाहिये।

एक शिकायत जो मूल है इस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में वह यह कि इसकी रूपरेखा क्या है? यह फेडरल है या यूनिटरी, या यह किस टाइप की होगी? इसका बताना इसलिये जरूरी है कि आज हम देख रहे हैं कि कृषि के विद्यालय आगरा यूनिवर्सिटी के साथ भी जोड़ दिये गये हैं। बनारस यूनिवर्सिटी भी एक कृषि विद्यालय रखती है। इलाहाबाद के साथ भी एक लगा हुआ है और गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी कोशिश कर रही है कि दो, चार डिग्री कालेजेज उसके साथ जोड़ दिये जायं। यह सभी विश्वविद्यालय, जो साहित्य, विज्ञान और कला के केन्द्र हैं, कृषि विद्यालय अपने साथ लगाये हुए हैं। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि इस नये विश्वविद्यालय की जो आप स्थापना करना चाहते हैं यह कृषि महाविद्यालय आदि जैसों को लेकर बनेगा

अथवा इसके अधिकार में वे सब नहीं होंगे और यह जो सारे विद्यालय कृषि की शिक्षा के लिये खोले गये थे और जिनका उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और जो प्रयत्न कर रहे हैं उनका क्या स्थान इस विश्वविद्यालय में होगा ? आपने इस पर कोई गौर नहीं किया है। जो बनाये गये नियम हैं उनको पढ़ने से पता नहीं चलता कि आपका विचार क्या है। आगरा, नैनी के कालेज या बनारस में जो कालेज हैं, या देवरिया में जो कालेज अभी खुला है यह सब कहां रहेंगे ? ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े रहेंगे जिनके साथ उनका गठबन्धन कर दिया गया, इसलिये कि उपयुक्त वर उनको प्राप्त नहीं हुआ था। आपको इसमें यह स्पष्ट बता देना चाहिये था कि अभी वे वहीं रहेंगे जहां उनको रख दिया गया था। हमारे विचार से यह विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिये जिसमें आप शिक्षा हो, क्योंकि इसमें पर्याप्त जमीन है लेकिन उसके साथ ही साथ जो बिखरे हुए कालेजेज हैं और जिनका उद्देश्य भी कृषि की शिक्षा देना है, वे भी इसके साथ ही मिला देने चाहिये। अगर ऐसा कर दिया जायगा तो कोई कठिनाई हमें न होगी। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो रेजीडेंशल होने के साथ-साथ फेडरल भी हैं। और जब औरों के साथ ऐसा किया जा सकता है, इस यूनिवर्सिटी के साथ क्यों नहीं किया जा सकता है ?

इसके उद्देश्य और कारण भी गोल हैं। उनमें कहा गया है इस यूनिवर्सिटी में उन सब विषयों की शिक्षा होगी, विशेषकर कृषि से सम्बन्धित विषयों की। मैं समझता हूं आपका दिमाग इस बारे में साफ होना चाहिये। इस सूबे में ऐसी यूनिवर्सिटियों की कमी नहीं है जो दूसरे विषयों की शिक्षा देती हैं। इसलिये इस विश्वविद्यालय में अन्य विषयों को जोड़ देना हमारी समझ में नहीं आता। यह विश्वविद्यालय सिर्फ एक काम के लिये होना चाहिये, कृषि के लिये और उससे सम्बन्धित विषयों के लिये। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि अमेरिका में लैंड स्कूलों में दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन वह दूसरी बात है। लेकिन यहां के लिये मेरा विचार है कि अगर उसके उद्देश्य को कुछ संकुचित कर दिया जायगा तो हमारी समझ से विश्वविद्यालय की रूपरेखा कुछ अधिक स्पष्ट हो जायगी।

जैसी कि शिकायत की गयी, एक चीज बिल्कुल वाजिब है। आपने इसमें अपने अधिकारों को बहुत बढ़ा लिया है। ऐक्ट में परिवर्तन करने का एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। अगर आप ऐक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं और उसका अधिकार लेना चाहते हैं तो फिर उसको हमारे सामने क्यों पेश करते हैं। यह तो बहुत ही अनुचित है कि शुरुआत में एक ऐक्ट आप हमसे बनवा लें, लेकिन उसके बाद जैसे ही जरूरत महसूस हो परिवर्तन और परिवर्धन उसमें करते रहें और हमसे पूछें भी नहीं। अगर केवल उपनियमों की बात होती तब तो ज्यादा खटकने वाली चीज न होती लेकिन इस अधिनियम में साफ-साफ दिया हुआ है कि आप पूरे विधेयक को बदल सकते हैं।

एक बात और कहनी है। वह यह है कि इसमें जो नामों की लिस्ट दी है जो सरकार और राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट होंगे इन १४ स्थानों में बहुत से स्थान ऐसे हैं, जो कालेजेज खुले हुए हैं, उनके आदमी वहां नहीं पहुंच पायेंगे। होम साइंस कालेज वहां खोला जायगा। उसका प्रतिनिधि उसमें नहीं रखा गया है। शिक्षा संचालक को ही होम साइंस का प्रतिनिधि अगर मान लिया जाय तो जब तक कोई औरत शिक्षा संचालक न हो जाय, उस दशा में तो ठीक हो जायगा, लेकिन जब तक यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम समझते हैं होम साइंस विद्यालय का प्रतिनिधि कंट्रोल बोर्ड में होना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विश्वविद्यालय विधेयक का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यह जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय।

श्री कैलाशकुमार सिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, जो इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, उसके लिये माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं कि उसको एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय। उसका कारण भी है। अभी उसको उपस्थित करते समय बहुत-सी बातों पर प्रकाश डाला गया। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन बहुत थोड़ा-सा है और वह यह है कि

[श्री कैलाश कुमार सिंह]

इस ऐग्रीकल्चरल विश्वविद्यालय की जो रूपरेखा तैयार की गयी है वह इस बिल के रूप में हमारे सामने रखी गयी है और वह लैंड ग्रान्ट्स कालेज के सदृश होगी। उद्देश्य और कारण में बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि "प्रस्तावित विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के 'लैंड ग्रांट कालेज' के सदृश्य होगा"। तो यह एक ऐसी चीज है जो काफी महत्व की है कि आया जिस प्रकार लैंड ग्रांट कालेज की स्थापना हुई, जिन हालात में हुई और उसके बाद जैसा वह डेवलप (develop) हुआ, अगर उसके पिछले इतिहास को छोड़ कर हम मौजूदा स्थिति को ही देखें तो क्या हम भी जिस प्रकार लैंड ग्रांट कालेज में एजूकेशन दी जाती है उसी प्रकार की एजूकेशन इस प्रस्तावित एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में भी देने जा रहे हैं? अगर वह रूपरेखा देखी जाय जो लैंड ग्रांट कालेज की है तो उस समय जमीन को बेच-बेच कर एक ट्रस्ट बनाकर उसके द्वारा उसकी स्थापना की गयी थी। अमेरिका में वह सिविल वार का जमाना था। आप तो कोई जमीन बेच नहीं रहे हैं बल्कि आप तो एक ऐसा फार्म जो एशिया का सब से बड़ा फार्म है और जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का लगभग ३,००,००,००० रुपया व्यय हो चुका है, उस फार्म को इस यूनिवर्सिटी के साथ एटैच (attach) कर रहे हैं। इतनी बड़ी सम्पत्ति को आपने इस यूनिवर्सिटी की निधि में रखा है तथा इस विश्वविद्यालय में और भी बहुत काफी रुपया व्यय होने वाला है। इन सब चीजों की अहमियत को देखते हुए हमको संयुक्त प्रवर समिति में और इस सदन में भी काफी विचार करने की आवश्यकता है कि आया हम जिन विचारों को लेकर, जिन भावनाओं को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, हम उन भावनाओं को कार्यान्वित करने में कहाँ तक सफल हो सकेंगे और किस प्रकार सफल हो सकेंगे। यह विधेयक सिर्फ एक बार हमारे सामने आया है और जो हम पास कर देंगे उसके बाद दोबारा अपने अधिकारों की कोई भी रक्षा नहीं रह जायगी, क्योंकि इसका जो स्टेटयूट आयगा, नियम, उपनियम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उसका संचालन करने के लिये बनेगा, उसके बाद बोर्ड उसका मालिक होगा। तो ऐसी दशा में यही एक अवसर है इस सदन को कि वह इस पर अच्छी तरह से विचार करे और जिन भावनाओं के साथ इतनी बड़ी रकम को लगाया जा रहा है और जिन भावनाओं से प्रेरित होकर जो हमारी पिछली शिक्षा प्रणाली रखी गयी है उसको मद्देनजर रखते हुए जो उसमें परिवर्त्तन करने की इच्छा जाग्रत हुई है और उसके अनुसार यह कृषि विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया है, तो इसका तो हर शख्स स्वागत करता है और मैं भी हृदय से स्वागत करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम एक बड़ा कदम उठाना चाहते हैं।

इसके सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि इसका कोई विरोध करे। लेकिन इसका नाम तो ग्रामीण विश्वविद्यालय होना चाहिये क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय नाम रख देने से लैंड ग्रांट कालेज की सदृश्यता समाप्त हो जाती है। लैंड ग्रांट कालेज में मिलिटरी एजूकेशन से लेकर होम साइंस एजूकेशन तथा और भी बहुत तरह की एजूकेशन दी जाती है और कृषि विश्वविद्यालय नाम रखने से जो उसकी सदृश्यता इसमें रखी है वह समाप्त हो जाती हैं और इस तरह से हम उसके क्षेत्र को सीमित कर रहे हैं। इसका जो उद्देश्य और कारण रखा गया है उससे यह प्रतीत होता है कि जो स्वप्न हमने देखा है वह राधा कृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देखा है और उसकी सिफारिशों को लेकर या उसके मन्तव्यों को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना करें तो इसका बहुत ज्यादा स्वागत होगा बजाय इसके कि हम लैंड ग्रांट कालेज की सदृश्यता का नाम लें। यह तो हो सकता है कि हम उनमें से कुछ ऐसी चीजों को ले लें जो हमारे मन्तव्यों के अनुकूल हों और उनको इसमें शामिल कर लें, वहां तक तो यह बात सही है, लेकिन उद्देश्य और कारणों में यह चीज स्पष्ट कर देना कि यह विश्वविद्यालय लैंड ग्रांट कालेज के सदृश्य होगा, यह बिल्कुल व्यर्थ-सा प्रतीत होता है। इसके साथ-साथ होमसाइंस और अन्य विषय जो हमारे ग्रामों से सम्बन्धित विषय होंगे उनका समाधान इसमें होगा। ऐसी हालत में सिर्फ कृषि से सम्बन्धित यूनीवर्सिटी यह नहीं रह जायगी। यह विश्वविद्यालय तो ग्रामीण व्यक्तियों की प्रत्येक समस्या का समाधान करने का ऐसा केन्द्र बनेगा जिसमें ग्रामीण समस्याओं का अनुसन्धान किया जा सके।

इस कारणवश इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय रख कर इस विधेयक के द्वारा स्थापित जो संस्था हो रही है उसके क्षेत्र को आप सीमित कर रहे हैं। इसलिये मेरा सुझाव प्रवर समिति के लिये यह होगा कि कृषि विश्वविद्यालय के स्थान पर इसका नाम ग्रामीण विश्वविद्यालय रहे।

तीसरी चीज जो मुझसे पूर्व वक्ता ने कही कि इस कालेज की स्थापना के बाद एक समस्या जो सामने आयेगी वह यह कि इससे निकले हुए स्नातक और दूसरे कालेजों से निकले हुए स्नातक में क्या अन्तर होगा? क्या इससे निकले स्नातकों को गवर्नमेंट सर्विसेज में प्राथमिकता रहेगी? इसका भी आश्वासन हमको मंत्री जी से मिलना चाहिये कि इस नये ढंग से शिक्षा पाने के पश्चात् हमारे जो पिछले ग्रेजुएट्स होंगे उनकी क्या स्थिति होगी? क्या हीनता की दशा में वे हो जायंगे? ऐसी बहुत-सी सम्भावनायें पैदा होती हैं उनको साफ कर दिया जाना चाहिये।

चौथी चीज रावत जी ने कही कि जो लोग कृषि से सम्बन्धित न हों उनको इस विश्वविद्यालय में कोई अवसर न मिलना चाहिये। मैं नम्रतापूर्वक उनके इस सुझाव का विरोध करता हूं क्योंकि शिक्षा का विषय किसी के लिये बाधित नहीं होना चाहिये। हमारे संविधान के अनुसार हमको अधिकार है कि हम हर जगह हर तरह की शिक्षा पा सकें, हर जगह जा सकें और अगर हम किन्हीं विशेष परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों को इसमें आने से रोकते हैं तो हम अपनी प्रतिष्ठा को कम करते हैं और उनके अधिकारों का हनन करते हैं। इसलिये किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा। जो भी व्यक्ति कृषि सम्बन्धी शिक्षा पाना चाहे या कृषि में जो रुचि रखता है वह कृषि की शिक्षा पा सके। गांवों में जो लोग रहते हैं या शहरों में भी टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको क्या आप एक्सक्लूड (exclude) कर देंगे? कृषि से लगे हुए जो और रोजगार हैं जैसे लोहार या बढ़ई इनके बच्चों के लिये भी अगर इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिये आप कोई प्रतिबन्ध लगाते हैं तो वह गलत चीज होगी।

देवी प्रसाद मिश्र जी ने एक बात बड़े महत्व की रखी कि बोर्ड में, जो इस विश्वविद्यालय के कार्यों का सम्पादन करेगा, संचालन करेगा, उसमें अध्यापकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, यह चीज अवश्य खटकती है। जो विश्वविद्यालय इतनी ऊंची शिक्षा देने जा रहा है उसमें वहां के अध्यापकों या शिक्षकों का कोई प्रतिनिधित्व न हो यह अनुचित-सा प्रतीत होता है। इसलिये उस बोर्ड में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये। एकेडेमिक कौंसिल में मेरा विचार है कि छात्रों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये क्योंकि इसमें दूसरी यूनिवर्सिटियों की तरह छात्रों का प्रतिनिधित्व सीनेट वगैरह में कहीं नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तरह से हम छात्रों की बहुत-सी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। हमने देखा कि अभी बनारस यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी घटना हो गई जिस पर कल यहां वादविवाद हुआ और संसद में भी हुआ और हालत इतनी खराब हुई जिससे और बहुत-सी समस्यायें पैदा हो गईं। इसलिये एकेडेमिक कौंसिल में विद्यार्थी समुदाय का प्रतिनिधित्व हो जाय तो बहुत-सी समस्यायें आसानी से हल हो सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय।

*श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री जरगाम हैदर के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मैंने अभी देखा, सभी लोगों ने निर्विवाद रूप से यह बात मानी है कि कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता इस प्रदेश को ही नहीं वरन् इस देश को है। हमने देखा कि कृषि सम्बन्धी जितनी भी योजनायें हैं उनके बारे में योजनाओं को प्रस्तुत करते समय चाहे वह भले ही न मानते हों लेकिन बाद में वह धीरे-धीरे मान जाते हैं कि योजना ठीक नहीं थी, कमी रह गई, गल्ला नहीं पैदा हुआ, भुखमरी हो गई और अमरीका से मंगा कर दे रहे हैं। तो जब बार-बार अमरीका से गल्ला मंगाने का सवाल आता है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

तो यह भी सवाल पैदा होता है कि इसी देश में पैदा करेंगे, हमने सोचा कि कोई ऐसी चीजें होंगी जो देश में बन जायंगी, कोई बड़ी हेवी मैशीनरी होती तो समझ भी लेते कि बाहर से आ जायगी, कोई फैक्ट्री हो या बड़ा भारी कारखाना हो तो वह बाहर से आ जायगा, लेकिन जब हमने देखा कि किसी विश्वविद्यालय का कारखाना भी आयेगा और हमने सुना यह भी है कि जापानी ढंग की खेती अमरीकन विश्वविद्यालय में कैसे होगी। जब कि हम देखते हैं कि हमारे यहां गल्ले की यह हालत है और दूसरी तरफ अमरीका में प्राइस पैरिटी के लिये न मालूम कितना गेहूं फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की यूनिवर्सिटी के दरवाजे से ही यहां का साढे १२ एकड़ भूमि रखने वाला कृषक घूम आयेगा और उसके अन्दर न जायगा। यह बहुत बड़ी यूनीवर्सिटी बनेगी १ करोड़ ८० लाख रुपया सेन्टर से आयेगा, यहां से भी कुछ रुपया मिलेगा, ३ करोड़ का पुराना फार्म है।

हमारे सामने समस्या यह है कि किस प्रकार से हमारा कृषक वहां की शिक्षा से अच्छा कृषक बन सकता है और किस प्रकार से हमारा कृषि मजदूर अपनी मजदूरी की क्षमता और योग्यता को बढ़ा सकता है? हमारे सामने समस्या यह नहीं है कि कोई १ लाख रुपया पैदा करता है या डेढ़ लाख रुपया पैदा करता है? आज की समस्याओं में फंसे हुये कृषक को वहां पहुंचने में इतनी ही दिक्कत होगी जितनी हमने यहां अमरीकन टीम रिपोर्ट को देखने की कोशिश करने में उठाई और वह फिर भी उपलब्ध न हो सकी। हमने देखा कि बिल के आखीर में लिखा है कि वह किस आधार पर बनेगा। तो उसमें तीन आधार थे, एक तो इंडियन अमेरिकन रिपोर्ट, दूसरे लैंड ग्रांट कालेजेज और उसके बाद राधाकृष्णन् रिपोर्ट, वह जब मैं ढूंढ़ने निकला तो एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में आधा कालम मिला जिसके आधार पर वह था, फिर जब मैं वह रिपोर्ट ढूंढ़ने निकला तो वह विधान सभा पुस्तकालय में नहीं निकली, फिर मंत्री जी के सहायक से पता चला कि वह कृषि बी० में मिलेगी, वहां टेलीफोन किया तो मालूम हुआ कि वह है तो जरूर लेकिन मुझको किस कानून से मिल सकती है? फिर थोड़ी देर में पता लगा कि पुस्तक वहां से भी जा चुकी है, फिर पता लगा कि मंत्री जी के कार्यालय में आ गई है जिस पर पूरा दारमदार है। उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि वह श्री कैलाशप्रकाश जी के लिये सुरक्षित है। उसके बाद मैंने उनसे पर्चा लिखवाया और जब फिर वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसको चपरासी लेकर जा चुका है। मैं समझता हूं कि शायद यह ऐसी चीजें हैं कि जिनका माननीय सदस्यों को पता नहीं चलना चाहिये। खैर, इस शिक्षा में और हायर सेकेंडरी या प्राइमरी शिक्षा में एक निकट का सम्बन्ध था और नीचे से विद्यार्थी पढ़ते हुये आते थे और विश्वविद्यालय में आकर पढ़ने लगते थे, एक निकट का सम्बन्ध था। इसलिये हमारे इस तरह के विश्वविद्यालय प्राइमरी स्टेज से होने चाहिये, अभी तो आरम्भ ही है और यह कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं हो गया है। अभी हमारे लहरी जी ने बताया था कि हमारे कृषि के विद्यार्थियों को यह भी नहीं आता कि खरीफ आन्दोलन क्या है। हो सकता है कि कोई कहे कि गेहूं का सीड रेट क्या है, यानी गेहूं का बीज किस हिसाब से पड़ता है इसका ज्ञान विद्यार्थियों को न हो? लेकिन जब उस विश्वविद्यालय को हम देखते हैं कि वहां कृषि की शिक्षा गौड़ रूप से है, और वह कोई रेजीडेंशियल यूनीवर्सिटी नहीं है तो कैसे काम चल सकता है? आप देखें कि आगरा यूनिवर्सिटी में ही तीन-चार एग्रीकल्चर कालेजेज हैं लेकिन बनारस विश्वविद्यालय या प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर अगर हम देखें तो वहां तमाम विषय हैं, कोई कृषि का विषय नहीं पढ़ाया जाता लेकिन हर साल एम० एस-सी० एग्रीकल्चर, एम० एस-सी० बाटनी, केमिस्ट्री, स्वायल्स, फर्टिलाइजर्स की डिग्री दी जाती हैं और कहीं भी कृषि की पढ़ाई नहीं होती। वहां कृषि को छोड़ कर अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं और कृषि नहीं पढ़ाई जाती। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि यहां कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है लेकिन जब हम अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं और जब हम अपने तमाम ढांचे को देखते हैं तो हमें सतर्क होना पड़ता है। जब लखनऊ विश्वविद्यालय बना उस वक्त शिक्षा की आवश्यकता थी, कालेजेज बढ़ाये गये, ६-७ हजार लोगों के पढ़ने की जरूरत समझी गई, यहां की जनता ने उसको कंट्रोल किया और

इस तरह से यहां का विश्वविद्यालय बढ़ता गया। इसी तरह से मालवीय जी ने बनारस विश्वविद्यालय की नींव डाली।

परन्तु जिस चीज की हम आज नींव डालने जा रहे हैं वह एक दूसरा विषय है जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं वह फिर न हो जाय और वह यह कि खयाल यह होता है कि वह संस्था कहीं फिर हमारे कंट्रोल से न निकल जाय। इसलिए बोर्ड आफ मैनेजमेंट में पहले तो सरकारी अधिकारी नामिनेट होंगे और दो-एक आदमी सरकार के प्रतिनिधि होंगे। नतीजा यह होगा कि कोई भी सरकार की जो इच्छा होगी उसकी मुखालफत न कर सकेगा। इस तरह का बोर्ड वहां की व्यवस्था करेगा।

जहां तक कृषि स्नातकों की बात है, मैंने कई बार सदन में कहा है कि आज की हमारी तमाम योजनायें बड़े-बड़े अधिकारियों के हाथ में हैं और उन अधिकारियों ने काफी मेहनत के बाद आई० सी० एस० और आई० ए० एस० की डिग्रियां प्राप्त की हैं, उनके हाथ में आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके हाथ में आज इतनी अधिक फाइल रहती हैं कि बाज वक्त मंत्री जी भी अनुभव करते हैं और कहते हैं कि फाइल क्यों नहीं आई। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में वहां का मैनेजमेंट दिया जा रहा है जिनको कृषि के विषय का, विश्वविद्यालय के प्रबन्ध का या स्टेट के फार्म्स का कोई अनुभव नहीं है। गड़बड़ी तो वहां भी चलती है जहां सरकार के फार्म हैं और वहां की किसी बात का पता ही नहीं चलता कि वहां लाभ हो रहा है या नुक्सान। जब इस प्रबन्ध में हमारा यह विश्वविद्यालय चलेगा तो मुझे शंका है कि वह किस प्रकार से चलेगा। हमने देखा कि वहां पर शिक्षा के प्रबन्ध के विषय में होंगे होम-साइन्स, ग्राम-उद्योग और कृषि भी होगा। यह सब मिल कर जैसा हमारे अन्य बन्धु कहते हैं—नाम कुछ भी हो चाहे वह ग्राम विश्वविद्यालय हो या नगर विश्वविद्यालय हो, नाम कुछ भी हो इसमें कोई झगड़ा नहीं है लेकिन यह निश्चय हो जाना चाहिये कि उसका केरिकुलम क्या होगा और क्या वह रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी होगी? मेरा खयाल है कि प्रातःकाल से ही कृषि विद्यालय में लड़कों को फील्ड पर जाना होता है इसलिये निर्विवाद रूप से वह रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी हो सकती है, जहां कि विद्यार्थियों को रहना चाहिए।

अब जो दूर-दूर के कालेज इसमें अफिलिएटेड हैं, यह तो सम्भव नहीं है कि वहां एकदम से तोड़ दिये जायं, लेकिन फिर भी पूर्ण विकास हो जाने के बाद उन विद्यार्थियों का क्या होगा? सरकार उनको एम्प्लायमेंट देगी या नहीं। उनकी समझ में एक बात आती है कि आज हर एक पढ़ा हुआ नवयुवक सरकारी गुलामी करेगा। अगर कोई एम्प्लायमेंट का आर्डर उनके पास जायगा तो मानों भगवान का भेजा हुआ वरदान जायगा और वह अपने को धन्य समझ कर उसको स्वीकार करें और डिपार्टमेंट में सर दे देंगे और इस प्रकार कोई भी विकास यहां की कृषि का कभी भी नहीं हो सकता, न हुआ है, न होगा। जब तक कि कृषि पढ़ने के बाद विद्यार्थी गांव में नहीं जायंगे और स्वयं उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये उसकी व्यवस्था भी पहले से होनी चाहिए और माननीय कृषि मंत्री जी को देखना चाहिए कि जिस समय वह कारखाना चलाया जाय जिसमें वह स्नातक भेजे गये हैं तो वहां उनको यह न दिखाई पड़े कि वह कहां जायंगे। उनके ऐडमिशंस में यह तो व्यवस्था नहीं हो सकती कि सब को रख दिया जाय लेकिन ऐसा देख लिया जाय कि उसका लाभ किनको होने वाला है। सरकारी नौकरियों में भी वह आ सकते हैं, दूसरा कौन आवेगा। उसके साथ-साथ उनको पर्याप्त प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया है या नहीं जिसमें कि उनको शिक्षा दी गयी है यह भी देखना चाहिए।

आज विशेष शिक्षा का तो अभाव है। जब कृषि का विद्यार्थी पढ़ता है तो एम० एस-सी० तक पढ़ता चला जाता है, ११–१२ सब्जेक्ट्स एकदम से लगा दिये जाते हैं साइन्स के नाम पर। रोज हल्ला होता है, आयुर्वेदिक और एलोपैथी को मिला कर जो शिक्षा दी जाती है उसमें आयुर्वेदिक कहां समाप्त होती है और एलोपैथी कहां शुरू होती है इसका रोज झगड़ा होता है। तो कोई ऐसी बात भविष्य में अनिश्चित न रह जाय बाद में कि वह क्या करने वाले हैं। कह दिया जाय कि साढ़े १२ एकड़ तुम्हारे लिए है और उसमें फिर जैसा आप चाहते हैं कि १८-या कुछ प्रतिशत सिंचाई की व्यवस्था हो, इससे ज्यादा न हो तो फिर वह सरकारी नौकरी की ओर दौड़ेगा। उसकी दौड़ से आपको घबराना नहीं चाहिए, जैसा कि आप घबराने लगते हैं। स्वाभाविक

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाये कि कृषि के स्नातक अधिक से अधिक कृषि करें। आज इस बात का माप दंड है कि व्यक्ति की जहां आय अधिक होती है वह उसी ओर जाता है। आज देश में, विदेश में, अपने देश में आप देख लीजिये कि जो शिक्षित समाज है वह इस बात की कोशिश करता है कि वह सरकारी नौकरियों में आ जाय। जहां तक मुझे ज्ञान है जितने पढ़-लिखे लोग होते हैं वह सब शिक्षा की ओर जाते हैं। तो इस बात को यहां पर क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहिये कि वहां के स्नातकों का स्तर अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में क्या होगा और इस प्रकार वे अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से भिन्न स्तर के होंगे। इस स्थान पर तीन ऐसी बातें लिख दी गयी हैं जिसको ढूंढने में मैं समर्थ न हो सका। वह कहां से आ,यें कैसे आयें?

मैं तो भारतवर्ष में ही रहता हूं। अगर अमरीका के बारे में नालेज में कमी हो तो माननीय मंत्री जी क्षमा करेंगे। उन्होंने एक प्रश्न किया था, लेकिन वह भी अमरीका के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि नारायणदत्त जी ने बताया। अमरीका से जहां से आपने लिया है वहां में आपको बताऊं कि ४,३०,३८४ विद्यार्थी उन कुल लैंड ग्रांट्स कालेजों में शिक्षा पाते हैं। जिनमें करीब ३२–३३ हजार स्नातक केवल कृषि के होते हैं और उस प्रदेश में, आपको बता दूं, कृषकों की भी संख्या ५ प्रतिशत से ऊपर नहीं होगी। एक बार एक अमेरिकन प्रोफेसर हमारे कालेज में आया। उसके सामने यह समस्या थी कि आखिर यहां लोग कृषि में रुपया क्यों नहीं लगाते। हम लोगों ने बहुत समझाया कि साहब, यहां उतना फायदा कृषि में नहीं होता, उनकी समस्या यह नहीं है। आज उनका उद्योग इतना समुन्नत हो चुका है कि उनको बहुत काफी पैसा प्राप्त है, आपको ग्रांट देते हैं। तो उनके यहां कृषि में रुपया लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारे यहां आप किसी बिजनेस को लीजिये, आपके पास १ हजार रुपया हो तो आप कोई भी दूकान कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कृषक के पास १ लाख रुपया का भी गन्ना खड़ा हो और वह उसको बन्धक के रूप में रखकर ५० हजार रुपये चाहता हो तो पांच हजार रुपये भी कोई नहीं देगा। यह कृषि की पूंजी का मूल्यांकन है इस प्रदेश और देश में। जब हम विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं तो इस ओर भी कृषि मंत्री को ध्यान देना चाहिये कि किस प्रकार वे इसको चलायेंगे। मैं उस कालेज के खर्चे की भी एक बात आपके सामने रख देना चाहता हूं। वहां जो लैंड ग्रांट्स कालेजेज चलते हैं उनमें बहुत अधिक व्यय होता है और उनकी सामान्य फीस ३५ डालर है और जो और एलाइड फीसें हैं उन सबको मिला कर काफी बढ़ जाती है। हमारे यहां जो कृषि विद्यालय पहले था, जब यह सरकार नहीं थी तो उस समय पांच रुपये में बी० एस-सी० क्लास तक शिक्षा दी जाती थी। वह युद्ध का समय था, कोई बड़ा सस्ता जमाना नहीं था। तो इस विश्वविद्यालय में सस्ती शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये भले ही वहां पर बनने वाले आवास या लेक्चर रूम्स हों उनको बहुत सुन्दर न बनायें ताकि साढ़े बारह एकड़ में से दस एकड़ तो एक किसान खाने-पीने के लिये रख ले और ढाई एकड़ की आमदनी से अपने बच्चों को पढ़ा सके।

इन सब बातों पर विचार करके इनका समावेश होने के लिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति को अधिक समय ही मिलना चाहिये। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि १०–१५ रोज में एकदम पैसा खतम हो जायगा। देना होगा तो देंगे ही और नहीं देना होगा तो तीन दिन ही में कह ेंगे कि अब तो पैसा खतम हो गया। मैं आशा करता हूं कि १५ रोज का समय मान लिया जायगा ताकि इन बातों का समावेश हो सके और उस ओर बैठने वालों की शंकाओं का समाधान हो सके और इस ओर बैठने वालों की शंकायें भी निर्मूल हो सकें तो और अच्छा हो।

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो कृषि विश्वविद्यालय विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी तक पूर्व वक्ताओं के भाषणों से मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह समझते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के बजट से ही इस विश्वविद्यालय का यहां निर्माण करने जा रहे हैं और जो भी रूपरेखा होगी, जो भी कार्य चलेगा उसमें हमारा ही हाथ होगा। मगर जितनी मुझे जानकारी है उससे यह मालूम होता है कि यह जो विश्वविद्यालय हमारे यहां बनने जा रहा है उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट की कृपा है और उसने दया करके दान के रूप में एक बड़ी भारी जो १,८०,००,००० रुपये देकर साइंटिफिक.....

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--यह बिल्कुल गलत बात है जिसके ऊपर आप स्पीच दे रहे हैं कि यह अमेरिका के दान पर विश्वविद्यालय चलेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--अमेरिकनों की मदद से बन रहा है यह तो सही है।

श्री मोहनलाल गौतम--यह गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया की मदद से बन रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--मुझे तो यह जानकारी है कि अमेरिकन गवर्नमेंट का बजट सेशन है जो बहुत जल्दी खत्म होने जा रहा है और अगर ३१ दिसम्बर तक रुपया न ले लिया गया तो वह लैप्स हो जायगा और फिर हमारे यहां यह यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती है। इसका मैं यही अर्थ समझ सका कि जल्दी से जल्दी बिल पास करने का यही अभिप्राय हो सकता है कि इसको जल्दी से पास करके अमरीकन गवर्नमेंट को केबिल भेजा जाय कि हमारे यहां ऐक्ट पास हो गया है इसलिये रुपया दे दिया जाय जिससे यूनिवर्सिटी हमारे यहां बन जाय। मेरी तो ऐसी ही जानकारी थी और मैंने यह भी सुना है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फर्स्ट प्लान में दो एग्रीकल्चरल यनिवर्सिटी बनाने के लिये मंजूर की थी और जिसमें प्राथमिकता स्टेट तराई फार्म को दी गई थी। दूसरी बंगाल को दी गई थी और बंगाल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम लोग यूनिवर्सिटी को कामयाबी से न बना सकें और वह लोग कामयाब हो जायं। अगर हम लोग फेल हो गये तो बंगाल गवर्नमेंट को यह यूनिवर्सिटी मिल जायगी। इस विचारधारा को लेकर यह यूनिवर्सिटी यहां बनाई जा रही है। ऐसी मुझे जानकारी थी। हो सकता है, मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं गलत होऊं तो वह इसको अपने भाषण में साफ करें।

मैं जहां तक इसको देख सका तो यह तो एक स्केल्टन बिल है और यही हो सकता था क्योंकि अगर हमारी मर्जी से यह बनता तो हम देखते कि कैसी इसकी एकेडेमिक कौंसिल होगी और इस यूनिवर्सिटी की क्या नेचर होगी और दूसरे हमारे प्रान्त के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन्स का क्या सम्बन्ध होगा, इन सब बातों की इसमें चर्चा होती। मगर ऐसा नहीं हो सकता था कि जैसी चाहे हम इसकी रूपरेखा तय कर दें। यह तो यूनिवर्सिटी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन की नकल से बन रही है। हां, यह जरूर है कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की भारतवर्ष को जरूरत थी। हमारा देश एक एग्रीकल्चरल कंट्री है इस नाते यह जरूरी था कि हमारे यहां कृषि उत्पादन में तरक्की हो।

हमारे यहां बहुत पुराने जमाने से खेती की जो व्यवस्था चली आ रही है उसी ढंग पर हम आज भी उसको चला रहे हैं जिसमें बहुत-सी त्रुटियां हैं। अगर अमेरिका के साइंटिफिक रिसर्च को देखा जाय, रूस की साइंटिफिक रिसर्च को देखा जाय, तो हम बहुत पिछड़े हुये हैं। इसलिये साइंटिफिक रिसर्च के लिये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमारे देश के लिये अत्यन्त आवश्यकता थी और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश को प्राथमिकता दी गई और यह मौका मिला कि हमारे भारतवर्ष के लिये जो एक ही यूनिवर्सिटी होगी वह हमारे यहां स्थापित होने जा रही है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन सब बातों को बताने की कृपा करेंगे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें क्या हमारा हाथ रहेगा और क्या इसकी रूपरेखा बनाई जायगी जिससे हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें और ऐसा न हो कि अगर हम लोग अभी जल्दी से न पास करें तो रुपया लैप्स हो जाय और संस्था ही न बन सके। वह एक बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। इसलिए मैं अपने पूर्व वक्ताओं और विरोधी दल के अन्य साथियों से यही निवेदन करूंगा कि

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]

सको जल्द से जल्द पास करें ताकि हमारी गलती से कहीं यह न हो जाय कि जो बड़ी भारी धनराशि मिलने जा रही है जो विशाल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है उसमें बजाय हम मदद देने के रोड़ा अटका दें। इस विचारधारा के फलस्वरूप हमें इसे जल्दी से जल्दी पास करने की कोशिश करनी चाहिए और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव दिया गया था उसकी भी यही मंशा थी कि हम एक दफा सेलेक्ट कमेटी में यहां पास करें। तीन दिन उसमें लगाएं। फिर काउंसिल में बिल जाय। वहां एक सेलेक्ट कमेटी बने। फिर उसमें समय लगे। ऐसे बहुत दिन लग जाते। दिसम्बर का बहुत-सा हिस्सा इस बिल के पास होने में लग जाय और बाद में क्रिसमस आ जाय और अमेरिका में छुट्टी हो गयी तो यह वहां से पास भी न हो पाये। ऐसी दशा में हमें चाहिए इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कर दें ताकि यह धनराशि हमें प्राप्त हो सके और इस यूनिवर्सिटी को अपने प्रान्त में खोलने में सफल हो सकें जिससे हमारे देश में कृषि की उन्नति हो, साइंटिफिक रिसर्च हो सके और हमारी भावी सन्तानें इस देश को अन्न से पूर्ण करने में परमुखापेक्षी न बनें। इसलिए इस सदन को यह बिल शीघ्रातिशीघ्र पास कर देना चाहिए।

(इस समय ४ बज कर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करती हूं। मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों के सम्मुख अपने कुछ सुझाव और कुछ संदेह रखने से पूर्व इस विधेयक की धारा ४--क की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं---"उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को विभिन्न विषयों, विशेषकर कृषि, ग्रामोद्योग तथा व्यवसाय और अन्य सम्बन्धित विषयों में शिक्षा देने के लिए व्यवस्था करना" विधेयक का उद्देश्य है। तो मान्यवर, विधेयक के उद्देश्यों को पढ़ने से यह बहुत ही स्पष्ट है कि वास्तव में हमारे भारतीय कृषक और विशेषतया इस उत्तर प्रदेश के कृषक बालकों का भविष्य और खेतिहर मजदूरों के बालकों का भविष्य बड़ा उज्ज्वल प्रतीत हो रहा है। मान्यवर, हमारे भारतवर्ष की ७५ फीसदी आबादी खेती पर आश्रित है परन्तु कृषि से राष्ट्रीय आय प्रत्येक व्यक्ति के पीछे सबसे कम है। शिक्षा की नीति, सामाजिक आवश्यकतायें, हित व कल्याण की निर्देशिका और पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। अतः राष्ट्रीय शिक्षा का आधार कृषि शिक्षा-मूलक होना ही चाहिए। अर्थात् हमारे प्रत्येक नागरिक को सामान्य कृषि विज्ञान, उससे सम्बन्धित पशुपालन, कुटीर उद्योग और कृषि इकोनामी का भी ज्ञान उसको होना चाहिए।

परन्तु अध्यक्ष महोदय, इसके विवरण में जाने से पूर्व मैं यहां की पृष्ठभूमि को देखने की जब चेष्टा करती हूं तब ध्यान आता है ब्रिटिश शासन काल में और ब्रिटिश शासन काल से पूर्व हमारे यहां का कृषक कृषि-कला में बहुत ही निपुण था। सन् १८७९ में जे० ए० वाल्कर, "ब्रिटिश रायल ऐग्रीकल्चर सोसाइटी" ने अपने सुन्दरतम विचार अशिक्षित कृषकों के विषय में प्रकट किये हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने संसार के अनेक देशों में पर्यटन किया है और वहां के अशिक्षित कृषकों से भी मिला, लेकिन मैंने जो भारत के अशिक्षित कृषकों में कृषि-कला में निपुणता और कठोर परिश्रमशीलता और तल्लीनता देखी वह कहीं भी नहीं देखी।

अब मेरे सामने एक प्रश्न उठता है कि ब्रिटिश शासन काल से ही हमारे देश में कृषि विभाग मौजूद है और कृषि सम्बन्धी शिक्षा देने के विद्यालय भी मौजूद हैं। तो क्या इन वर्षों में इस विभाग ने और इन विद्यालयों ने हमारे प्रदेश और देश में आने वाले विपत्ति काल में कितनी हमारी इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग में सहायता दी है? दूसरा यह प्रश्न उठता है कि कितना इसके ऊपर आज तक खर्चा हमारे प्रदेश की और देश की सरकार का हुआ है? तो अब सन्देह यह होता है कि यह विश्वविद्यालय भी क्या उसी दिशा में जायगा या मैं यह पूर्ण आशा करूं माननीय मन्त्री जी से---मैं तो इस विधेयक को पढ़ने से स्पष्ट नहीं समझ पाई---कि इस विश्व-

विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलेंगे वह हमारे अशिक्षित किसानों में जाकर नवीनतम वैज्ञानिक ढंग से खेती की शिक्षा देंगे और हमारे यहां के कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे ? उसके लिये इस विधेयक में कौन-सी धारा है ? मेरे समझने में कमी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसी धारा दिखाई नहीं दी, तो फिर मैं कैसे विश्वास करूं । लखनऊ विश्वविद्यालय में या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या और प्रदेश और देश की यूनिवर्सिटियों में गांव से विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते हैं । मैं स्वयं ग्रामीण हूं और ग्रामीण-जनता का प्रतिनिधित्व करती हूं इस नाते यह कहती हूं कि वह विद्यार्थी लौटकर कभी अपने घर को नहीं जाते । तब कौन-सा ऐसा नियम है जिसके आधार पर यहां से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी स्नातक ग्रामीण जनता में जाकर कुछ विशेष क्रान्ति लायेंगे जिससे हमारे देश की जनता का भविष्य उज्ज्वल होगा और हमारे अन्नदाता कृषक के लिये एक नवीनतम प्रकाश मिलेगा जैसा कि इस विधेयक का और इस कृषि विश्वविद्यालय का उद्देश्य है ।

मेरे मस्तिष्क में अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि इस विश्वविद्यालय के अन्दर, जिसका लक्ष्य बारबार ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना है, उसमें ग्रामीण विद्यार्थी कितने आ पायेंगे ? कितना इसके अन्दर खेतिहर मजदूरों के लिये स्थान होगा ?

दूसरा मेरा एक संदेह और है, चाहे माननीय मंत्री जी इसको मेरा सुझाव ही समझ लें । हमारे जो गरीब विद्यार्थी होंगे, जैसा कि अक्सर हरिजन भाइयों के प्रश्न में आया करता है कि सब-इंस्पेक्टरों में कमी, यहां कमी, वहां कमी, तो कृषकों और खेतिहर मजदूरों के गरीब विद्यार्थियों के लिये क्या यहां कोई उद्योगशाला होगी जिसमें वह अपनी शिक्षा का व्यय वहीं काम करके निकाल सकें ? इसमें दिया गया है "कृषि प्रौद्योगिक महाविद्यालय", इससे मुझे आशा होती है कि अवश्य ही ऐसा कोई विद्यालय होगा जिसमें कि उद्योग की शिक्षा दी जायगी । यह बड़ा अच्छा होगा और एक आदर्श हमारे सामने रहेगा । आज तक मुझे कोई विश्वविद्यालय नहीं दिखलायी पड़ा कि जहां विद्यार्थी स्वतः कोई उद्योग-धंधा करके, उससे उत्पादन करके अपनी शिक्षा चला सके । यदि ऐसा हुआ तो विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी पढ़ कर निकलेंगे वह गांवों में जाकर एक नवीन प्रणाली का प्रचार करेंगे । अतएव कृषि मंत्री जी इसे मेरे सुझाव के रूप में ही मान लें ।

आखिर में मेरा एक निवेदन और है । वैज्ञानिक अनुसन्धानशालायें इसके साथ होंगी । होम साइन्स भी होगी और बहुत सी चीजें हैं, हो सकता है कि कुछ कमी हो, लेकिन देखने से कुछ आशा बंधती है । तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जो छात्र-कल्याण के डीन होंगे उनके कार्यों में एक मुख्य कार्य यह होना चाहिये कि यहां से जो स्नातक निकलें वह इसकी व्यवस्था रखें कि वह छात्र बाहर जाकर सरकारी नियोजन के आधार पर कहां-कहां और कैसे-कैसे काम करेंगे ।

अंत में मेरा एक निवेदन है कि भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ हमको सदा ही दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और इसी कारण हमारा कृषि उत्पादन पूर्णतया नहीं हो पाया । लेकिन मेरा खयाल है कि कहीं न कहीं हमारा दोष अवश्य है । ११ सालों के अन्दर जापान में दुगनी, तिगुनी तरक्की हो जाय और हमारे देश में न हो । मैंने प्लानिंग के सम्बन्ध में बोलते समय भी सुझाव दिया था और आज भी मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोगों को कुछ जिले दे दिये जांय जहां अधिकारी न हों । इससे फायदा यह होगा कि हमको सारी सुविधायें मिलेंगी और हम अपने ढंग से काम करेंगे और दूसरी चीज यह होगी कि अधिकारी वर्ग सतर्क रहेगा कि कहीं दूसरे जिलों में अशिक्षित लोग हमसे ज्यादा काम न कर ले जांय । इस प्रतियोगिता से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी । तो कोई भी ऐसा रूप इसके अन्तर्गत आ जाना चाहिये । मैं यह इसलिये कह रही हूं और सम्मानित सदन के सम्मुख मंत्री जी से निवेदन कर रही हूं कि जब और देशों में ११ वर्ष में दुगनी और तिगुनी उन्नति हो सकती है तो हमारे देश में कुछ गुनी तो होनी चाहिये थी । मुझे पूर्णतया आंकड़े याद नहीं हैं और मुझे पुस्तकें भी इतनी जल्दी में उपलब्ध नहीं हो सकीं । परन्तु

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

मान्यवर, मैं जापान के दो, तीन आंकड़े देना चाहती हूं। ये वहां के गेहूं और चावल के और भारत के गेहूं और चावल के हैं। सन् १९५६ में भारत में गेहूं ७·८ टन और जापान में ३०·२ टन है, चावल सन् १९५६ में भारत में १३·६ टन और जापान में ४२·२ टन है। अतएव, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कोई भी स्वरूप ऐसा रखें जिससे हमारे इस विश्वविद्यालय से शिक्षित, दीक्षित उद्योगी विद्यार्थी और कृषि के स्नातक निकलें और वे अधिकारी न बनें बल्कि कुशल और कर्मयोगी बनें, वास्तव में सच्चे कर्मयोगी गीता के अनुसार बनें। हमारे अन्नदाता और प्राणदाता बनें। मैं नहीं, भारत जननी, कृषि मंत्री जी को इस विधेयक के लाने के लिये धन्यवाद देगी। अगर इस पिछड़े हुये देश में हम कृषि में आगे बढ़ गये तो माननीय मंत्री जी के लिये इससे बढ़कर कोई भी चीज सम्मान की हो नहीं सकेगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, जिन भावनाओं से प्रेरित होकर इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है कोई भी प्रदेश का निवासी उससे असहमत नहीं हो सकता। मैं भी उससे अपनी सहमति प्रकट करता हूं। हमारे देश और प्रदेश कृषि प्रधान हैं और यहां की जनता का बहुमत कृषि पर ही निर्भर करता है। लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश होते हुये भी हमको आये दिन जो अन्न संकट का सामना करना पड़ता है उसे देखते हुये इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि हमको कृषि के क्षेत्र में कुछ ऐसे अनुसंधान करने चाहियें, ऐसी योजनायें निकालनी चाहियें, जिनसे हमारी कृषि की पैदावार बढ़े और हम आत्म-निर्भर बनें। राधाकृष्णन् कमेटी ने ठीक ही सिफारिश की थी कि हमारे देश में और प्रदेश में कृषि विद्यालय खुलने चाहियें। उसी कमेटी की सिफारिश पर भारत और अमेरिका की एक संयुक्त मंडली बनाई गई जिसने देश में दौरा करके, विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करके, सिफारिश की कि नैनीताल में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उस मंडल की सिफारिशों पर हमारा प्रदेश नैनीताल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों करने जा रहा है? मैं नहीं समझता कि हमारे प्रदेश की कृषि व्यवस्था और इसके ढंग अमेरिका से किस प्रकार मिलते हैं जो हम उनके साथ मिला-जुला शिष्ट मंडल बनाकर या किसी कमेटी को बैठाकर कृषि के बारे में अध्ययन करें और उनकी सिफारिशों पर कार्य करें। जरूरत इस बात की है कि हमारे प्रदेश में कृषि व्यवस्था जिन देशों में मिली जुली है वहां के लोगों के साथ मिलाजुला मंडल बनाया जाता और उसकी सिफारिशों से अपने यहां कृषि की स्थापना होती। हमारे देश से मिला हुआ चीन का देश है जहां की आबादी, भूमि व्यवस्था और कृषि व्यवस्था हमारे ही देश के समान है। अगर चीन और हिन्दोस्तान की मिली जुली कमेटी बनायी जाती और उसकी सिफारिशों पर कार्य किया जाता तो अधिक उपयुक्त होता। चीन ने अपने आठ साल के शासन में छः गुना उत्पादन बढ़ा लिया है, लेकिन हमें ११ साल स्वतंत्र हुये हो गये लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाये हैं। जो देश अपने नजदीक हैं और जिसकी व्यवस्था हमसे मिलती जुलती है अगर वहां के साधनों को देखते कि वहां कौन से साधन अपनाये जाते हैं, वे किस तरह की योजनायें बनाते हैं, किस किस्म की शिक्षा और दीक्षा वे दे रहे हैं, अपने कृषि विश्वविद्यालयों में वे किस प्रकार के स्नातक पैदा कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तब तो बात कुछ समझ में आती थी। लेकिन समझ में नहीं आता कि हमारा देश क्यों अमेरिका के पीछे लगा हुआ है? अमेरिका के कृषि विद्यालय पूंजीवादी व्यवस्था पर कायम हैं लेकिन हम अपने देश में पूंजीवादी व्यवस्था कायम नहीं करना चाहते। हमारी सरकार ने तो एलान किया है कि वह समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रही है। इन दोनों बातों को देखते हुये अमेरिका का पिछलग्गू बनने की बात हमारी समझ में नहीं आती, और एक आश्चर्य की बात मालूम होती है। अमेरीका में कृषि विश्वविद्यालय जिस पृष्ठभूमि में और जिस व्यवस्था को लेकर कायम किये गये हैं वह हमारे यहां की व्यवस्था से बिलकुल भिन्न हैं। वहां पर बड़े बड़े फार्म्स और लार्ज होल्डिंग्स हैं। वहां की व्यवस्था दूसरी है। हमारे यहां छोटे छोटे फार्म्स हैं, छोटी छोटी जोतों के काश्तकार हैं। वहां की शिक्षा दीक्षा हमारे यहां की शिक्षा दीक्षा से बिलकुल ही उल्टी है। अगर हम अपने

यहां अमेरिका की शिक्षा दीक्षा चलाने हैं और जिस तरीके से अमेरीका में यंत्रों के जरिये से खेती होती है, मैं यह नहीं कहता कि आजकल यंत्रों के जमाने में उनको इस्तेमाल न किया जाय, लेकिन इसके साथ ही साथ देखना यह भी है कि क्या हमारे यहां की स्थिति यंत्रों के जरिये से खेती करने के अनुकूल भी होगी या नहीं ? हमारे देश में बेकारी की समस्या बहुत बढ़ी हुई है ऐसी हालत में अगर हम कृषि के क्षेत्र में यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो बेकारी और भी ज्यादा बढ़ जायगी। अमेरिका जैसे देश में तो औद्योगिक विकास भी हो गया और दूसरे क्षेत्रों में आदमियों की खपत हो गयी है। लेकिन उनके कृषि क्षेत्र में फिर भी बेकारी बढ़ी हुई है। जब इस क्षेत्र में अमेरिका अपनी बेकारी को दूर नहीं कर सका है तो फिर हम कैसे यंत्रों के जरिये से अपने यहां की बेकारी को दूर कर सकते हैं ? इसलिये वहां की शिक्षा दीक्षा हमारे अनुकूल नहीं हो सकती ।

दूसरी बात यह है कि यंत्रों के जरिये से कृषि करने में बड़े बड़े फार्मों की जरूरत होगी, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स की जरूरत होगी । और बड़े बड़े फार्मों के कायम कराने का मतलब यह होता है कि हम पूंजीवादियों की इजारेदारी कायम करना चाहते हैं, जिनका ध्येय यह नहीं होता कि वे किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करें बल्कि उनका ध्येय तो केवल मुनाफा कमाना होता है। अमेरिका में बड़े बड़े फार्म कायम करने से छोटे छोटे फार्म लोप होते जा रहे हैं। हजार दो डालर से नीचे के फार्म लोप हो गये और होते जा रहे हैं । अब ढाई तीन हजार के फार्मों के लोप होने की बारी आ गई है । हमारे यहां तो छोटे छोटे फार्म ही हैं। अगर यहां पर हम इस तरह की प्रणाली इस्तेमाल करेंगे तो छोटे छोटे किसानों की जोतों का ह्रास हो जायगा और पूंजीवादी तरीके की इजारेदारी कायम हो जायगी । अगर उस प्रकार की पद्धति को अपनाया जाता है तो हमें या तो सहकारी खेती की पद्धति को अपनाना होगा या सहयोगी खेती के तरीके को अपनाना होगा नहीं तो इस अमेरिकन पद्धति से हम किसी भी प्रकार से काम नहीं कर सकते हैं । तीसरी बात यह है कि जहां हमारी सरकार अमेरिका की नकल करती है वहां हमें उससे कुछ नसीहत भी लेनी चाहिये । जैसा कि मैं बतला चुका हूं कि पहले अमेरीका से छोटे छोटे फार्मों का लोप हो चुका है और जो व्यवस्था वे वहां पर कायम कर रहे हैं उसका नतीजा व उसका असर हमारे देश पर भी आकर पड़ेगा । सिंचाई के क्षेत्र में ही हमने अपने प्रदेश में और अपने देश में भी देखा कि अमेरिका कि नकल करके बड़ी बड़ी योजनाओं, बड़े बड़े डैम और बांधों का प्रयोग किया गया और हम इस हद तक आगे बढ़े कि अगर पूरी दुनिया को हम मात नहीं कर सके तो कम से कम हम ऐसा बांध बनाये जो एशिया में पहले नम्बर का हो। लेकिन आज सरकार भी इस बात को मानती है कि वह योजनायें हिन्दोस्तान के मुआफिक नहीं हैं और सरकार को मजबूर होकर छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं को लेना पड़ रहा है । तो हमने बड़ी बड़ी योजनायें बनाने में जो उनकी नकल की उसका नतीजा आज हमारे प्रदेश के सामने भी है और हमको उससे भी कुछ नसीहत लेनी चाहिये ।

इसके अलावा हमारे प्रदेश में कृषि कालेज है जहां कि कृषि के विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं और वहां से स्नातक बन कर निकलते हैं । लेकिन बहुधा देखा यह जाता है कि वहां की शिक्षा दीक्षा पाने के बाद वे इसी ख्वाहिश को लेकर निकलते हैं कि वे बड़ी बड़ी नौकरियों में जाकर स्थान पावें । वे इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षा नहीं पाते हैं कि वे अपने गांवों में अपने खेतों में जाकर काम कर सकें । क्योंकि उसमें ज्यादातर खेतिहर लोग नहीं होते, उनका खेती से कोई लगाव नहीं होता और न कोई अनुभव ही होता है । मुझे याद है कि इटावा में जब कम्युनिटी पाइलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई तो वहां पर गन्ना बोने के लिये उसका बीज मंगाया गया, लेकिन चूंकि नहर में पानी नहीं था और किसानों के खेत तैयार नहीं थे इसलिये यह समस्या पैदा हुई कि गन्ने के बीज को कैसे और कहां रक्खा जाय जब तक कि नहर में पानी आ जाय और किसानों के खेत भी तैयार हो जाँय। वहां पर एग्रीकल्चर कालेज के निकले हुये जो स्नातक या विशेषज्ञ थे उन्होंने यह सलाह दी कि जमीन खोद कर बीज को गाड़ दिया जाय और ऊपर से पानी भर दिया जाय । ऐसा ही किया गया और जब १५ दिन बाद बीज को निकाला गया तो वे सब सड़े हुये निकले। यह उनकी योग्यता का परिणाम हुआ क्योंकि उनको खेती का कोई तजुर्बा नहीं

[श्री भीखालाल]

हैं और न उनको खेती से कोई लगाव है, वे खेतिहर वर्ग से नहीं आते हैं और न खुदकाश्त ही करते हैं। तो इस विश्वविद्यालय को कायम करके इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वहां से विशेषज्ञों को निकाल करके, स्नातकों को निकाल करके, नौकरशाही की एक नई फौज न तैयार कर दें जो हमारी सरकार के लिये सरदर्द हो जाय, बल्कि हम वहां ऐसे लोगों को तैयार करें जो खुद खेतों में जाकर काम करने वाले हों, और इसके लिये हमको इस प्रकार का कुछ प्रतिबन्ध जरूर लगाना पड़ेगा कि वे ही लोग जो खेती करने वाले हों, जिनका खेती से लगाव हो, जो किसान हों, जो देहातों से आते हों या ऐसे क्षेत्र से आते हों जहां खेती हो, उनको ही इस कृषि विश्वविद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि दूसरे लोगों को इसमें पढ़ने ही नहीं दिया जाय, लेकिन प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाय जिनका खेती से लगाव हो। अगर इस तरह से नहीं किया गया तो हमारे सामने बेकारी की समस्या आ जायगी और बेकारों का एक बोझ सरकार के सर पर हो जायगा। इन सब बातों के साथ मैं माननीय मंत्री से और इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि जो यह संशोधन रखा गया है कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर पेश करे, उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको मंजूर करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का हृदय से स्वागत किया है और जो नयी चीज इस देश में हम बनाने जा रहे हैं और जिस तरह से इस मामले में हम अगुवा बन रहे हैं उस पर हमें गर्व है। उसका हमें गर्व है, क्योंकि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को जा रहा है इसलिये सब बातों का जवाब देने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। सेलेक्ट कमेटी में उन पर वाद विवाद होगा और जो सलेक्ट कमेटी की राय होगी वह सदन के सामने आ जायगी। दो चार जो गलतफहमियां हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ कहे देता हूं।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि अमेरिका की नकल क्यों कर रहे हो, चीन से क्यों नहीं सीखते। मैं इतना निवेदन कर दूं कि हम दुनिया के हर कोने से चाहे वह चीन हो, रूस हो या अमेरिका हो, जहां से भी हमको अच्छा लगेगा, जो बात हमारे हित की होगी उसको सीखने के लिये हमेशा तैयार हैं। हमने अपने दिमाग को बन्द नहीं कर लिया। हम कैपिटलिस्ट कंट्रीज से उनका जो आर्थिक ढांचा है उसको नहीं सीखेंगे, उस पर हम नहीं चलना चाहते, लेकिन वहां साइंस की जो तरक्की हुई है उसको उनसे सीख कर हम उस साइंस को अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं हम साइंस विध्वंस करने के लिये नहीं बल्कि मनुष्य की सेवा करने के लिये, उसे सुखी बनाने के लिये, सीखना चाहते हैं।

अभी चीन का जिक्र किया गया। कोई चीन से हमें चिढ़ नहीं है। जापान, रूस या किसी से भी हमको चिढ़ नहीं है। अभी खरीफ आन्दोलन चला तो हमने जापानी मेथड का इतना प्रचार किया जितना कि किसी मुल्क ने नहीं किया होगा। अब चायनीज मेथड का बड़ा प्रचार हुआ है। उस मेथड से इतनी दूरी पर पौधों को ट्रान्सप्लान्ट करो, उसके मुताबिक पहले काफी गहरा गड्ढा खोदो, फिर उस पर खाद लगाओ, फिर मिट्टी डालो और फिर खाद दो और फिर बीज कार्पेट की तरह सटा हुआ बिछा दो तो बड़ी पैदावार बढ़ेगी। उसे देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज महसूस होती है कि अगर रोज तरीका बदला गया और नया तरीका रोज किसान के पास पहुंचाया गया तो इसी गड़बड़ी में ऐसा न हो कि वह कुछ न कर पाये। लेकिन जहां तक चायना से नई चीज सीखने का ताल्लुक है, उसमें हमको कोई घबराहट नहीं है।

एक बात यह भी कही गयी कि इसका नाम एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी न दे कर रूरल यूनिवर्सिटी दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका नाम रूरल यूनिवर्सिटी ही था। इस पर बात चली लेकिन अन्त में यही तय हुआ कि इसको एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहा जाय। उसका कारण यह है कि रूरल के साथ बहुत-सी शिक्षा संस्थाओं का नाम है और उसमें काफी

कनफ्यूजन है । दूसरे एग्रीकल्चरल यनिवर्सिटी के नाम से कुछ साफ चीज समझ में आती है कि जोर किसी चीज पर पड़ता है । हम बस इस पर जोर ना चाहते हैं कि वह एग्रिकल्चर के सम्बन्ध में पैदावार बढ़ाने में, उसकी रिसर्च में ज्यादा मदद करें और उस पर जोर ने के लिये, और एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा ध्यान देन के लिये हम यह नाम रखना चाहते हैं । लेकिन एग्रिकल्चर की परिभाषा काफी विस्तृत हमने रखी है जो कि विधयक की डफीनीशन में दिया हुआ है । देहात के लोगों के सुधार के लिये जो-जो चीजें आवश्यक हैं वे सभी एग्रिकल्चर की परिभाषा में इसीलिये रख दी गयी हैं, ताकि उस एग्रिकल्चर के माने इस सम्बन्ध में जो हमारा एग्रीकल्चरल बिल है उससे साफ हो जाय ।

यह दलील दी गयी कि लैंड ग्रांट्स कालेजेज की यह रूप-रेखा है तो क्यों नहीं वहां की नकल कर दी । वहां मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, साइकालाजी की पढ़ाई होती है । हमारी मुश्किल यह है कि हमारे साधन बहुत सीमित हैं और अगर हम सारी चीजें रख दें तो यह ठीक है कि माननीय तिवारी जी का कहना, जब भी वह पूरी हो जायगी तो वहां एक रीजनल यूनिवर्सिटी हो जायगी, लेकिन कहीं यह खो न जाय और जिस तरह से कि और एग्रीकल्चरल कालेजेज हैं उसी तरह से यह भी न रह जाय । इसलिए हम इसका स्कोप लिमिटेड रखेंगे ताकि उस पर कंसेंट्रेशन हो सके ।

समें खास चीज जो देखेंगे वह यह कि एग्रीकल्चर का डाइरेक्टर होगा, रिसर्च का डाइरेक्टर होगा और एक्सटेंशन का डाइरेक्टर होगा। जितना जोर इस पर दिया जा रहा है उतना दूसरी चीज पर नहीं कि ऐग्रीकल्चर की रिसर्च हो और वह रिसर्च खेत तक पहुंचे । एक बात मैं आपकी आज्ञा से कह दूं कि जितनी अब तक रिसर्च हुई है उसको खेती तक जितनी मैं पहुंचाना चाहता हूं मेरी राय में अभी वह नहीं पहुंची है, यह ठीक है । हालांकि एक माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा कह डाला था, मुमकिन है कि वह कुछ गुस्से में हों । उनके दो एक लफ्ज तो ऐसे हैं कि जिनको प्रोसीडिंग्स से निकलवा दें तो ज्यादा अच्छा हो । एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था "बेईमानी" और दूसरा कहा था "४२०" । इस तरह के लफ्ज अगर प्रोसीडिंग्स में न हों तो मेरे खयाल में ज्यादा अच्छा है । रावत जी की स्पीच में ये दो एक लफ्ज आये थे, वह बदल दिये जायं । ये जो रिसर्च हैं इनकी बात हम चाहते हैं कि खेतों तक पहुंचे ताकि हमारी पैदावार बढ़े और हमारी दिक्कतें दूर हों । यह हमारा बहुत बड़ा काम है । और जिसकी ओर हम ज्यादा ध्यान ना चाहते हैं और इसलिये आर्ट्स, कामर्स, इंडियन कल्चर इस तरह की चीजें जो हैं उनके सम्बन्ध में विचार है कि उसमें न रखी जांय । एक सवाल यह पैदा हुआ कि क्या हम नौकर ही दा करेंगे । यह सही है और कभी-कभी मुझे यह खयाल और भी जगह होता है । मैं बुलन्द-शहर के स्कूल में गया था और वहां मैंने खा तो मैंने पूछा कि क्यो भाई, यहां किसान आस-पास के अगर आयें और उन तक आपकी जानकारी पहुंचे तो कितना फायदा होगा । अभी मैं कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन किसानों के लिए कोई रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए कि जब खाली हों तो हफ्ते दो हफ्ते के लिए बुलायें जायं तो अच्छी बात है । इस पर जितने माननीय सदस्यों ने जोर दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और उसका मैं ध्यान रखूंगा। एक चीज कही गयी है कि टीचर्स का इसमें क्या स्थान है । यह जो स्कीम आफ थिंग्स है उसमें साफ चीज है कि एक तो है एकेडेमिक कौंसिल; उसमें टीचर्स ही हैं और शायद कोई नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह टु बी प्रेस्क्राइब्ड है अभी तो ।

श्री मोहनलाल गौतम--ठीक है । तो शिक्षा के सम्बन्ध में जो वे तय करेंगे वह मान्य होगा । बाहर का उसमें शायद कोई नहीं होगा । इसलिये जहां तक टीचर्स का सम्बन्ध है उनको पूरा वहां अधिकार है । कई माननीय सदस्यों ने कहा कि टीचर्स का क्या होगा, गो सुनने वाले नहीं हैं, फिर भी जवाब तो दे ही दूं । टीचर्स का तो इम्पार्टेंट रोल होगा शिक्षा के सम्बन्ध में तय करने का । लेकिन जो मैनेजमेंट है वह एक छोटी सी कमेटी

[श्री मोहन लाल गौतम]

है। इसमें जैसे एक बड़ा भारी सीनेट होता है कई सौ आदमियों का और उसका एलेक्शन होता है, उस तरह का ढांचा इसमें नहीं है। एक छोटी सी कमेटी है जो एकेडेमिक मैटर्स में कम दखल दे। यह उसका सीधा-सादा ढांचा है। इसमें गवर्नमेंट के तीन अफसर हैं जो एक्स-आफिशियो मेम्बर होंगे, इंजीनियर्स एसोसियेशन से सरकारी आदमी भी आ सकता है और गैरसरकारी भी आ सकता है, दोनों हो सकते हैं। बाकी और कोई सरकारी आदमी इसमें नहीं है। अगर कोई और रास्ता हो सकता हो जिससे किसानों का प्रतिनिधित्व हो सके तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हमारे विधान सभा से दो सदस्य जायेंगे। तो यह क्यों मान लिया जाय कि वे गैर-किसान ही जायंगे? हम क्यों न यह करें कि असेम्बली से जो दो आदमी चुन कर जायें वे किसानों के ही प्रतिनिधि हों और जो किसानों के प्रतिनिधि न हों वे न भेज जांय? किसानों के प्रतिनिधि अगर कहीं से आ सकते हैं तो इस सदन से अच्छा कोई और स्थान नहीं है।

बलवन्त राजपूत कालेज के लिये लहरी साहब ने बहुत कहा और कहा कि बिछपुरी में जगह खरीदी गयी थी। वह जगह यूनिवर्सिटी के लिये नहीं थी। वह तो बलवन्त राजपूत कालेज के एग्रीकल्चर सेक्शन को वहां ले जाने के लिये है और एक इंस्टीट्यूट वहां गवर्नमेंट आफ इंडिया ने खोल दिया है। वहां कोई यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी, इसकी कम से कम मुझे तो कोई इत्तला नहीं है।

एक चीज नारायणदत्तजी ने कही कि जब हमने बजट में प्राविजन कर दिया तो फिर दिक्कत कैसे होगी। मैं अर्ज करूं कि जब दिक्कत होगी तभी मैंने यह अर्ज किया। सदन के सामने गलतबयानी करने का इरादा तो मेरा है नहीं। इसलिये मैं यही चाहता हूं कि इसको जल्दी मन्जूर कर लिया जाय। बजट में इसलिये रखा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमारा तय हुआ है कि यह बिल जल्दी पास हो जायगा और बाकी चीजें पूरी हो जायंगी। इसलिये बजट में होते हुये भी दिक्कत आ सकती है और मेरी प्रार्थना है कि सदन उन दिक्कतों को दूर करे।

एक चीज बार-बार कही गयी। मैं समझता हूं कि उस पर जोर कम दिया जाय तो अच्छा हो। वह है फारेन एड के बारे में। कहा गया कि हम गुलाम हो जायेंगे, हम क्यों लोन लें। मैं निवेदन करूं कि कम से कम मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि हमारे यहां बहुत कम कारखाने खुले हैं, अगर ज्यादा खुलते तो अच्छा था। मैंने अभी श्री अजितप्रसाद जैन से बात की। मैंने कहा कि भाई, एक फर्टिलाइजर फैक्टरी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसे ही आ जाते हो, न कोई डाटा इकट्ठा किया न कुछ। उन्होंने कहा कि डाक्टर बी० सी० राय हवाई जहाज से उतरे और कहा कि मैं तुम से बात करना चाहता हूं। १५ करोड़ की फर्टिलाइजर फैक्टरी की स्कीम है। हमने विदेश से मशीनरी का इन्तजाम कर दिया है, डेफर्ड पेमेंट होगा, एक्सचेन्ज का कोई सवाल नहीं है। सारी चीजें उन्होंने बतायीं और डेढ़ मिनट में मुझसे हां करा ले गये। तो इस तरह से अगर हमारे यहां भी कुछ कारखाने आयें तो उससे हमें मदद मिलेगी। इतना विश्वास हमें होना चाहिये कि हम किसी की गुलामी मंजूर नहीं कर रहे हैं। पिछले जमाने में जब हम कमजोर थे उस समय हमने गुलामी मंजूर नहीं की तो अब तो हम अपने पैरों पर खड़े हो गये हैं। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमें फारेन एड मिलेगी तो उसमें स्टिंग्स होंगी, ऐसी बात हमें नहीं सोचनी चाहिये। जो बात सही होगी हम उसी को मानेंगे। किसी गलत चीज को हम मानने वाले नहीं हैं रुपया देने की वजह से। जहां तक स्कीम है, वह ऐसी नहीं है कि वहां जैसे लैंड कालेज चल रहे हैं वैसा ही यहां स्थापित कर दिया जायगा। एक साहब ने तो यह कहा कि एक बड़ी भारी मशीन आ जायगी और हमारे यहां ग्रेजुयेट्स बेकार होने लगेंगे। इसी तरह की बातें कहना दिमाग की अपरिपक्वता है।

हम तो उनसे यह ले रहें हैं कि किस तरह साइंटिफिक तरीकों से हमारे यहां प्रोडक्शन बढ़े। अगर हम अपने यहां कंडीशन्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा और वहां की ३०० एकड़ की जोतों को यहां ट्रांसप्लांट हम करने लगें तो हम से ज्यादा मूर्ख और कौन होगा ? अगर हम अपने यहां की कंडीशन्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो चीज हवा में ही रह जायगी और हमारे फील्ड्स तक नहीं पहुंच पायगी। इसलिये जिस चीज को आप कार्य-रूप में परिणत करना चाहते हैं जब तक वहां की हालत को नहीं देखा जायगा तब तक नहीं होगा। एक साहब ने कह दिया कि अमेरिकन स्वायल के बारे में किताबें होती हैं। वह हमारी लाइब्रेरी में हैं, कानपुर जाने की क्या जरूरत है ? हमारी लाइब्रेरी में तो इंगलैंड और अमेरिका के कांस्टीटयूशन्स की किताबें भी हैं। हमने उनको जला नहीं दिया है। हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। जब हम किताबें पढ़ेंगे तभी तो कुछ कर सकते हैं या बगैर सोचे समझे कर लेंगे ? हमने जब अपने देश का कांस्टीटयूशन बनाया था तो सारी दुनिया के कांस्टीट्यूशन्स को देखा था तब बनाया था। अगर नहीं देखते तो नहीं बना पाते या जिन लोगों ने कांस्टीटयूशन्स नहीं पढ़े हैं वह बनाते तो मुश्किल होता।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इस पर बहुत विचार किया गया है और यूनिवरसिटीज के बिलों को भी मैंने सरसरी तौर से देखा है और उनके देखने से कोई खास चीज ऐसी दिखाई नहीं दी जो इसमें छूट गई हो। स्टैच्यूटस का जहां तक ताल्लुक है वह सदन के सामने आयेंगे और जो सदन अमेंडमेंट करेगा वह मंजूर होगे। इसमें कोई नयी बात नहीं है। जहां तक डिटेल्स की बात है कि यह कैसे होगा, कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये चीजें कैसे इस बिल में आ सकती हैं यह चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर इस सम्बन्ध में कोई अमेंडमेंट आयेगा तो मैं उस पर गौर कर लूंगा। इसी सिलसिले में यह भी कहा गया कि जो बदलने के बारे में है, मेरा खयाल है कि जो धारा इस ऐक्ट में है वही दूसरे विधेयकों में भी है और वही बातें होती हैं जो ऐक्ट को मोडीफाई करने की बात हो। जो डिफकल्टी दूर करे, डिफीकल्टीज क्रियेट करने की बात नहीं है। इसलिये धारा नहीं रखी गई है कि हम कोई नई चीज करेंगे और डिफीकल्टीज पैदा कर देंगे।

श्री नारायणदत्त जी ने कहा कि ट्रेजरार और रजिस्ट्रार एक ही होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अलग-अलग ही रहें तो अच्छा है। अभी एक साहब ने यह पूछा था कि इस में विशेषता क्या होगी। इस सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि जितनी विज्ञान ने इस समय तक कृषि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है उस को इकट्ठा करके इस बात का प्रयत्न होगा कि हम उस को अपने खेतों में कैसे पहुंचायें और किस तरह से पैदावार बढ़े। किस तरह से गांव में रहने वालों की हालत कुछ हद तक सुधरे और किस तरह से कृषि के सम्बन्ध में सम्बन्धित चीजें जैसे पशुपालन इत्यादि, उनकी कैसे तरक्की करें, यही इसकी विशेषता है और हमें यह उम्मीद है कि यह युनिवर्सिटी इस में सफल होगी। बहुत सी खराबियां बतायी गयीं। कुछ सही भी हैं। कुछ ज्यादा बयान करदी गयीं। हमारी कोशिश यह होगी कि जो खराबियां जहां-जहां हैं उन को न आने दें।

एक बात जरगाम हैदर साहब ने कही कि जब स्टूडेंट्स पास करके जायेंगे तब एम्प्लायमेंट एक्सचेंज होगा। जब तक वह स्टूडेंट्स रहेंगे तब तक उन के एम्प्लायमेंट की बात का जिक्र है; जब वह निकल जायेंगे उस के लिए एक्सचेंज नहीं बना रहे हैं। अगर गरीब विद्यार्थियों को वहां से कुछ आमदनी हो सके तो गरीब आदमी पढ़ सकें। यह कोशिश है। उसका पूरा नक्शा देना मुश्किल है। क्योंकि सब के लिए गारन्टी कर देना और सब का खर्चा बरदाश्त करना यह मुश्किल है। इसलिए उस तरफ कोशिश है। अगर पूरा खर्चा दे सके तो हमें खुशी होगी लेकिन कोशिश है। उसका इशारा कर दिया गया है।

[श्री मोहन लाल गौतम]

इन लफ्जों के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव करता हूं।

अभी बात-चीत हो रही थी तो उस तरफ बैठने वाले कुछ साथी आये। उन्होंने कहा कि अगर पांच दिन के लिए इसको मंजूर कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक साहब ने ४ दिन के लिए कहा। अगर सदन का एक मत हो और ५ दिन भी हो जायें तो मुझे खुशी होगी और ५ दिन के लिए ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को रख दिया जाय, मुझे एतराज नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो मेरा संशोधन है उसमें १५ दिन की जगह ५ दिन मान लिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--७ दिन के स्थान पर ५ दिन कर लिया जाय। यह क्यों न स्वीकार कर लिया जाय?

श्री अध्यक्ष--आपके संशोधन में संयुक्त प्रवर समिति नहीं है। उसमें संयुक्त प्रवर समिति है, इसलिए वही रहेगा।

पहले मैं प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव उपस्थित कर देता हूं। उसके बाद दिनों का प्रश्न आयगा।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९५८ (The U. P. Agricultural University Bill, 1958) दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--दूसरा प्रश्न यह है "कि जो अपना प्रतिवेदन ५ दिन के अन्दर प्रस्तुत करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--यह संशोधन स्वीकृत होने से बाकी सब संशोधन गिर गये।

अब यह कौंसिल के लिए जायगा और उसके बाद वहां से अगर स्वीकृति हुई तो फिर इस आदरणीय सदन के सामने आने के बाद जो नाम इस सदन में तय होंगे वही संयुक्त प्रवर समिति में शामिल होंगे।

स्थायी तथा अन्य समितियों के निर्वाचन के कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मैंने यहां निर्वाचन के बारे में कुछ समितियों के लिए कार्यक्रम निश्चित किया था। गया प्रसाद लाइफ सेविंग फन्ड, कानपुर, तथा स्टेट हेल्थ बोर्ड तथा कुछ स्थायी समितियों के लिए मैंने कार्यक्रम रखा था। उसमें ४ दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ४ बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय था लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने कहा है कि वह यह चाहते हैं कि इस में समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि बहुत सी बातों में आपस में बात चीत कर के चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए वह समय चाहते हैं। तो उस के लिए मैं समय बदल देता हूं और वह कार्यक्रम इस प्रकार से निश्चित होगा--

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय--८ दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ४ बजे तक होगा। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ८ दिसम्बर, १९५८ को सायंकाल ५ बजे तक (सचिव के कमरे में) और नाम वापसी की अन्तिम तिथि १२ दिसम्बर, १९५८ को १ बजे मध्यान्ह तक और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में १३ दिसम्बर को २ बजे से ५ बजे सायंकाल तक होगा।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित होगया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ दिसम्बर, १९५८।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२६ पर।)

उन गांवों की सूची जो जिला प्रतापगढ़ में ऊंचे किये गये हैं ।

क्रम-संख्या	गांवों के नाम	तहसील का नाम
१	मेहरौरा ..	.. पट्टी
२	गैन ..	.. ,,
३	अबापुर ..	.. ,,
४	गाधूर पट्टी ..	.. ,,
५	बेहौली ..	.. ,,
६	मुल्तानपुर ..	.. ,,
७	देनवां ..	.. ,,
८	बरई ..	.. ,,
९	बसहहा ..	.. ,,
१०	बीरापुर ..	.. ,,
११	बिचुर ..	.. ,,
१२	परजापतिपुर ..	.. ,,
१३	दाहिर कलां ..	.. ,,
१४	नाजोपुर ..	.. ,,
१५	कुथार ..	.. ,,
१६	धुरकीहा ..	.. ,,
१७	आशापुर ..	.. ,,
१८	सचौली ..	.. ,,
१९	मीरपुर ..	.. ,,
२०	रतीपुर ..	.. ,,
२१	सुल्तानपुर ..	.. ,,
२२	दोदपुर ..	.. ,,
२३	पिटोरा ..	.. ,,
२४	नैबी ..	.. ,,
२५	दिधौली ..	.. ,,
२६	लावेदा ..	.. ,,
२७	प्रभातपुर ..	.. ,,
२८	बिनको ..	.. ,,
२९	बीरमऊ ..	.. ,,
३०	सीतापुर ..	.. ,,
३१	रामपुर बनौरिया ..	.. ,,
३२	बिबिया रामपुर ..	.. ,,
३३	बासीपुर ..	.. ,,
३४	शेकपुर ..	.. ,,
३५	तरवा डीह ..	.. ,,
३६	काश्पुर डिबकी ..	.. प्रतापगढ़
३७	सारों इन्द्रवत ..	.. ,,
३८	पटानीपुर ..	.. ,,

विधान सभा प्रदेश

क्रम-संख्या	गांवों के नाम		तहसील का नाम
३९	पटना ..	..	प्रतापगढ़
४०	बगवेट ..	..	,,
४१	सराय संग्रामसिंह ..	..	,,
४२	खनदवा ..	..	,,
४३	सराय खनदवा ..	..	,,
४४	बेलीघाट ..	..	,,
४५	पूरे रजा ..	..	,,
४६	तेमहारी ..	..	,,
४७	हिमायुनपुर ..	..	,,
४८	पूरे तुलह ..	..	,,
४९	देवघाट ..	..	,,
५०	मतुपुटभाज ..	..	,,
५१	रामगंरहई ..	..	,,
५२	पूरे हुरहई ..	..	,,
५३	बेनबार कुच ..	..	,,
५४	खीतघाट ..	..	,,
५५	पथरिया ..	..	,,
५६	मटयारी कलां ..	..	,,
५७	परे महान ..	..	,,
५८	सोरा महान ..	..	,,
५९	झील के निकट कुदीपुर ..	..	,,
६०	मिसिर मऊ ..	..	,,
६१	खजरनी ..	..	,,
६२	पथोली ..	..	,,
६३	धेलमऊ ..	..	,,
६४	पीरा मुस्तफा खां ..	..	,,
६५	पुरा इश्वानाथ ..	..	,,
६६	सानीपुर ..	..	,,
६७	कादीपुर ..	..	,,
६८	पुरा हीरामन ..	..	,,
६९	नामक सैर ..	..	,,
७०	महमारी ..	..	,,
७१	राजापुर ..	..	,,
७२	संग्रामपुर ..	..	,,
७३	कथकाली ..	..	,,
७४	केंद्रा खास ..	..	,,
७५	खनजास ..	..	,,
७६	कमभापुर ..	..	,,
७७	शीरा ..	..	,,
७८	सराय मेहदी राय ..	..	
७९	जमुहारी ..	..	,,
८०	बैजालपुर ..	..	,,
८१	गुलहेरा ..	..	,,

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम-संख्या	गांवों के नाम			तहसील का नाम
८२	दलपुर	..	..	कुन्डा
८३	अगाही रामघाट	..	..	,,
८४	कलानपुर	..	..	,,
८५	फतुहाबाद	..	..	,,
८६	कताराराम	..	..	,,
८७	दोलीगढ़	..	..	,,
८८	जासमौदाह	..	..	,,
८९	प्रा बसन्त राय	..	..	,,
९०	पुरा	..	..	,,
९१	असराही सराय भानसिंह		..	,,
९२	पूरे बीरबल	..	..	,,
९३	बेलहा	..	..	,,
९४	गलगाली	..	..	,,
९५	कुरहा	..	..	,,
९६	खरैला	..	..	,,
९७	खमकरनपुर	..	..	,,
९८	सुबतेपुर	..	..	,,
९९	परयावां	..	..	,,
१००	नरयावार	..	..	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

जनवरी, १९५८ से जुलाई, १९५८ तक तहसील निघासन, जिला खीरी, के ग्रामों के नाम जिनमें आग लगी तथा हानि हुई ।

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	क्रम संख्या	ग्रामों के नाम
१	भूलनपुर (भदौरी)	३९	नवा गांव
२	मदनपुर	४०	महराज नगर
३	तेनजनहइया	४१	बनौरी
४	चक्खरा	४२	हरदवाही
५	पइकापुर	४३	सिधाना बरसूला कलां
६	अक्थी	४४	तिलकपुर
७	बनवीरपुर	४५	पलिया कला
८	पलिया	४६	नरेंद्र नगर
९	धौहीरा	४७	हसिध पुर
१०	वालीपुर	४८	लधौरी
११	धानीपुरवा (बेला)	४९	दुलही
१२	विरसिंधपुर	५०	बबौरा
१३	भघा	५१	सिधाई खुर्द
१४	सिरीनगर	५२	पटीहान
१५	जनकापुर (बरसोला कलां)	५३	भूलनपुर (भिग्रौरी)
१६	रयनी	५४	नौरंगाबाद
१७	दूबे पुरवा	५५	पिरधी पुरवा
१८	पइपुर	५६	कुदघी पुरवा
१९	बिच्छौली	५७	इसानगर
२०	बइसिया	५८	जनकपुर
२१	चौरासी	५९	चनलखीपुर
२२	दुवाहा	६०	पोखन पुरवा
२३	रखन पुरवा	६१	नोखे पुरवा
२४	सिधौना	६२	चिन्ता पुरवा
२५	वेनीपुरवा	६३	रायपुर
२६	चौधरी पुरवा	६४	बम भौरी
२७	बुदली पुरवा	६५	जोधा पुरवा
२८	बराथा	६६	चिलवा मोती
२९	मझागेन	६७	गोदियान पुरवा
३०	खैररिचरी	६८	पकरया (डारवा)
३१	मदवा	६९	निघासन
३२	पीतमपुरवा	७०	उदैपुर
३३	धन्ना पुरवा	७१	किदारी पुरव
३४	भरेता	७२	धौहरी हरा
३५	घहल्लवा	७३	पकरया
३६	तिलयर	७४	चाक मौसेपुर
३७	घितया	७५	सिसग्रइया
३८	लोनियान पुरवा	७६	गदीयाना

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	क्रम संख्या	ग्रामों के नाम
७७	उंच गांव	९७	मकइहा
७८	सिसअइया कलां	९८	भजन पुरवा
७९	मनगरौली	९९	अम्बर पुरवा
८०	जंधी	१००	बिनौरा
८१	भूलनपुर (भेदारी)	१०१	लुखनयापुर
८२	भिदौरी	१०२	बइएया
८३	कुसाही (भीदौरी)	१०३	बेलपुर
८४	गनेशपुर	१०४	बसंतापुर कलां
८५	ईसानगर	१०५	सिधौना
८६	अगहरा	१०६	मूलनपुर भिदौरी
८७	सिधा कलां	१०७	कखामीत मऊ
८८	सरगरा	१०८	कतहा
८९	राजापुर	१०९	सकलया
९०	छिद्दनी पटिया	११०	माहम पुरवा
९१	जिधारा	१११	मझोली पुरवा
९२	मथरा पुरवा	११२	झबू पुरवा
९३	सिथाना करसूता	११३	बसंतापुर खुर्द
९४	रकेहती	११४	दीना पुरवा
९५	कसिया	११५	चन्दइयापुर
९६	लुनियान पुरवा	११६	मदेरा बीगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३२ पर)

क्रम-संख्या	तहसील	तकावी ऋण के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या	स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या	अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या तथा अस्वीकार करने का कारण	अन्य विवरण
१	पोवायां	२	—	२ (समुचित जमानत का अभाव)	—
२	सदर	२	१	—	१ प्रार्थना-पत्र पर अभी विचार हो रहा है।
३	जलालाबाद	५२	—	२३ (समुचित जमानत का अभाव)	२९ प्रार्थना-पत्रों के संबंध में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और आवश्यक आज्ञायें शीघ्र जारी की जाने वाली हैं।
४	तिलहर	५८	—	१ (समुचित जमानत का अभाव)	५७ प्रार्थना-पत्रों के संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है। तत्संबंधी आज्ञायें जारी की जा रही हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३५ पर)

तालिका

विवरण	हैदरगढ़	रामसनेही घाट	फतेहपुर	नवाबगंज	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—बांडों की कुल रकम	२५,६८,०००	५०,२०,९५०	४९,४६,६५०	३७,४६,७००	१,६२,८२,३००
२—बांडों की रकम जिसका भुगतान हो चुका है..	२२,७९,३००	३७,९३,२००	३६,१९,२००	३५,७२,०००	१,३२,६३,७००
३—बकाया बांडों की रकम	२,८८,७००	१२,२७,७५०	१३,२७,४५०	१,७४,७००	३०,१८,६००

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३७ पर)

सूची

१—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कशाप, आगरा।
२—गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस, इलाहाबाद।
३—यू० पी० गवर्नमेंट हैवी रिपैयर्स ट्रांसपोर्ट वर्कशाप, इलाहाबाद।
४—गवर्नमेंट प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी, यू० पी० इलाहाबाद।
५—यू०पी० गवर्नमेंट सेंट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़।
६—गवर्नमेंट स्टीम पावर्स स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़।
७—सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट गार्डन्स, चौबटिया, रानीखेत।
८—गवर्नमेंट सेंट्रल ट्रैक्टर इम्पिलीमेंट वर्कशाप, बरेली।
९—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, बरेली रीजन, बरेली।
१०—इर्रीगेशन डिवीजन वर्कशाप, बरेली।
११—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कशाप, मेरठ रीजन, देहरादून।
१२—गवर्नमेंट स्टीम पावर स्टेशन, सुहावल, फैजाबाद।
१३—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कशाप, रेलवे स्टेशन, गोरखपुर।
१४—इर्रीगेशन वर्कशाप, सिविल, लाइन्स, झांसी।
१५—यू० पी० गवर्नमेंट सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर।
१६—यू० पी० गवर्नमेंट रीजनल वर्कशाप, कानपुर।
१७—वर्कशाप एन्ड टैस्टरूम एन्ड माल रोड सब-स्टेशन फैक्ट्री, कानपुर।
१८—रीवर साइड पावर हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर।
इलैक्ट्रिसीटी हाउस (कानपुर एन्ड हैडआफिस केसा, कानपुर।)
१९—गवर्नमेंट रोडवेज, कानपुर।
२०—गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस एन्ड गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ।
२१—स्टेट फारमेसी आफ आयुर्वेदिक यूनानी मेडीसिन्स, लखनऊ।
२२—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, लखनऊ।
२३—गवर्नमेंट एग्रिकलचर ट्रैक्टर वर्कशाप, तालकटोरा रोड, लखनऊ।
२४—गवर्नमेंट स्टीम पावर स्टेशन, चन्दौसी, मुरादाबाद।
२५—गवर्नमेंट जोनल एग्रिकलचरल ट्रैक्टर वर्कशाप, मेरठ।
२६—एक्जक्यूटिव इंजिनियर, इर्रीगेशन वर्कशाप, मेरठ।
२७—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज वर्कशाप, मेरठ।
२८—तराई स्टेट फार्म, ईस्टर्न ब्लाक, नगला, नैनीताल।
२९—स्टेट फार्म तराई सेंट्रल ब्लाक, फूलबाग, नैनीताल।
३०—फार्म सुपरिंटेंडेंट, वेस्टर्न ब्लाक, मटकोटा, रुद्रपुर।
३१—तराई स्टेट फार्म, डेरी-नगला, नैनीताल।
३२—यू०पी० गवर्नमेंट वर्कशाप, रुड़की, सहारनपुर।
३३—यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज, हैवी रिपैयर्स मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कशाप, वाराणसी कैन्ट।

प्रभुदत्त संग्रह

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३७ पर)

जिला गोंडा में खरीफ १३६५ फसली की क्षति के सम्बन्ध में जो छूट दी गई है उसकी परगनेवार सूची।

परगने का नाम	छूट की धनराशि	
	मालगुजारी	लगान
तहसील उतरौला		
	रु० न० पै०	रु०
१—उतरौला	३,२७९.४४	..
२—चमरूपुर	२,३३३.४०	..
३—रामकृष्णनगर ..	५३५.९४	..
४—मनकापुर	८९.०८	..
५—बभनी पैर ..	४१०.९४	..
६—बूढापैर	४२८.८२	..
तहसील उतरौला का योग	७,०७७.६२	..
तहसील बलरामपुर		
१—बलरामपुर	२३,७९७.३१	..
२—तुलसीपुर	२८,५३७.०६	..
तहसील बलरामपुर का योग	५२,३३४.३७	..
तहसील तराबगंज		
१—नवाब गंज ..	१७,३५१.७६	३,०७४.६९
२ दिक्षिर	२४,७९५.६४	..
३—पारसपुर	५,५६०.७२	..
४—कर्नलगंज	५,४३२.४८	..
तहसील तराबगंज का योग	५३,१४०.६०	३,०७४.६९
जिले का सम्पूर्ण योग ..	१,१२,५५२.५९	३,०७४.६९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३९ पर)

क्रम संख्या	नाम ग्राम	क्रम संख्या	नाम ग्राम
१	सेमरी नानकार	२४	पचमोहनी
२	भूरही	२५	तेंदुवा
३	पचपेड़वा	२६	भोजवर
४	नकछेदवा ताल	२७	कठेला जनूबी
५	चुहराब खुर्द	२८	धबहा
६	बैरिया ग्रान्ट	२९	मैनिहवा
७	बैरिया खालसा	३०	निलौहा
८	खलछरा	३१	इमिलिया
९	मैसही जंगल	३२	लमनिया
१०	छछरफ बुजुर्ग	३३	बसेन्तपुर
११	कठेला सरकी	३४	मियुरा
१२	मदरहवा	३५	परसोहन
१३	बजरा भारी	३६	छगरिहवा
१४	औरहवा	३७	बैरिहवा
१५	नबेल	३८	मुइलिया
१६	खान्डी	३९	छिरहना
१७	सोनौली नानकार	४०	मूसा
१८	होरस्लापुर	४१	पाली
१९	बधवा पुर खुर्द	४२	जिगना मामी
२०	मधवापुर कलां	४३	सुलतान बोत
२१	रतनपुर	४४	सोन नगर
२२	कमसइ	४५	नरायणपुर
२३	सिसवा		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४२ पर)

महिला मंगल योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले में १० महिला मंगल केन्द्र निम्नलिखित स्थानों में हैं—

(१) नागर, (२) पोखरमी, (३) पकरी छाबर, (४) नकटी देवी, (५) रखिया, (६) महराजगंज, (७) महादेवरी, (८) सलटनवा, (९) ककरहिया, तथा (१०) भटगंवा।

इन केन्द्रों में ग्राम सेविकायें ग्रामीण महिलाओं को अक्षर बोध के अतिरिक्त सिलाई, कटाई, बुनाई, कढ़ाई, चर्खा, फल संरक्षण, सन्तानोत्पत्ति के पूर्व तथा पश्चात् माताओं की देखभाल, स्वास्थ्य तथा सफ़ाई, संतुलित आहार, बागबानी, आदि विषयों में शिक्षा देती हैं। बच्चों को बालबाड़ी में शिक्षा देने का भी प्रबन्ध रहता है। साल में एक बार महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है जिसमें ग्रामीण महिलाओं तथा बालिकाओं द्वारा बनाई गई वस्तुओं का प्रदर्शन होता है।

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८६, ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४४ पर)

नत्थी 'क'

गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील की मालगुजारी की वसूली ५७ ५८, रबी १३६४ और खरीफ १३६५, की निम्नलिखित है —

नाम तहसील	रबी १३६४	खरीफ—१३६५
महराजगंज	३,०४,६९२	४,३०,३७१
फरेन्दा	२,५१,२८३	३,२४,००९
बांसगांव	४,१३,१३१	६,११,१५०
सदर	४,६६,७९७	४,०५,०१६
कुल योग ..	१४,३५,९०३	१७,७०,५४६

नत्थी 'ख'

चारों तहसीलों में मालगुजारी वसूली के सिलसिले में निम्नलिखित वारन्ट काटे गए —

नाम तहसील	रबी १३६४		खरीफ १३६५	
	वारन्ट गिरफ्तारी	वारन्ट कुर्की	वारन्ट गिरफ्तारी	वारन्ट कुर्की
महराजगंज	..	..	१४१	९
फरेन्दा	३९	१०	४८	२
बांसगांव	११४	४९	१७५	१११
सदर	५५	४१	६१	१२
कुल योग ..	२०८	१००	४२५	१३४

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४५ पर।)

प्रश्न संख्या ९७ में उल्लिखित सूचियां

तहसील रामसनेही घाट के ग्रामों के नाम जिन्हें बाढ़ में घाघरा नदी से क्षति पहुंची है।

१---उधरौरा
२---अल्हुवाना
३---जंहगीराबाद
४---अख्तियारपुर
५---सराय दौलत
६---सन्डरा
७---साहबाजपुर
८---पसैया
९---पटरंगा
१०---मरौचा
११---अमरेज नगर
१२---धौरहरा
१३---जमदरा
१४---जैथरा
१५---कैथा
१६---नैपुरा
१७---बेलखरा
१८---बांस गांव
१९---मदहा
२०---असवा
२१---मंगरोडा
२२---नन्सारा
२३---पत्तर्रा
२४---मैला
२५---अहरौला
२६---सराय नासिर
२७---बरई
२८---पसता
२९---चिर्रा
३०---रहीमगंज
३१---हलीमगनर
३२---हयातनगर
३३---मानपुर
३४---एथर
३५---खैरा
३६---कोटरा
३७---हसना मऊ
३८---खांड पिपरा
३९---शाहपुर
४०---संगौली
४१---परसवान
४२---बचाला
४३---मुहम्मदपुर तराई
४४---कोपीपुर
४५---खेता सराय
४६---जलालपुर तराई
४७---सहारिया
४८---कोलावर
४९---पटिकरा
५०---ढेमा
५१---गनौला
५२---बिठूला
५३---लिलार
५४---खजुरा
५५---नियामतपुर
५६---कमरोला
५७---परसाबल
५८---रामपुर हड़ाहा
५९---किटुहुआ पूरब
६०---लोरहे मऊ
६१---हौसिंगपुर
६२---कोथरी गौरिया
६३---कमयार
६४---पानापुर
६५---सराय दुनौला
६६---मसामपुर
६७---पंडरवान
६८---डेरा राजा
६९---बरायन
७०---रहमानपुर
७१---मानपुर
७२---अतरौली
७३---चक खैयात
७४---अरुवा
७५---मांझारायपुर
७६---गदरापुर

७७---मरौचा
७८---कोटवा धाम
७९---मौरियाडीर
८०---सनावां
८१---तेलवारी
८२---करौनी
८३---छोरिया
८४---डंडियामऊ
८५---जदवापुर
८६---खेवराजपुर
८७---सिकरीजावल
८८---सराय सैफ
८९---अतरसुइया
९०---गढ़ी
९१---अमरहरा
९२---काथाभीत
९३---सेमरा
९४---बसन्तपुर
९५---हंसौर
९६---खेमापुर असथौली
९७---सिकरोहर
९८---रानी मऊ
९९---नूरपुर

तहसील फतेहपुर के ग्रामों के नाम जिन्हें बाढ़ में घाघरा नदी से क्षति पहुंची

१---बेहटा
२---पारा
३---सरदहा
४---पचरिया
५---हुसेनपुर
६---देवरिया
७---घौखरिया
८---सिसौडा
९---तफे सिपाह
१०---दुर्गापुर
११---मड़ना
१२---अरूमा
१३---लहडरा
१४---सिकौली
१५---मरौचा
१६---चचरा
१७---खुर्दा
१८---चौहानपुर
१९---नामीपुर सिरौला
२०---दनापुर
२१---वहलौलपुर
२२---किन्तूर
२३---हजरतपुर
२४---सोधवा
२५---जलपापुर
२६---बड़नपुर
२७---गनेशपुर
२८---लोहटाजई
२९---मीतपुर
३०---खोजहापुर
३१---बड़ागांव
३२---बल्लौपुर
३३---कुसोरा
३४---मिटौली
३५---मथुरा
३६---रतनपुर
३७---डिहवा
३८---उद्दिया
३९---परसरामपुर
४०---सरसन्डा
४१---पूरनपुर
४२---बिन्दौरा परसपुर
४३---करसा कलां
४४---पुरैना
४५---लैन
४६---गोबरहा
४७---निजामपुर

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४६ पर ।)

प्रश्न संख्या ३२ से सम्बन्धित सूची

क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम	आग लगने की दुर्घटनाओं की संख्या	क्रम-संख्या	ग्रामों के नाम	आग लगने की दुर्घटनाओं की संख्या
	तहसील कोंच		२९	इसलामपुर ..	१
१	चन्दनी	२	३०	रमवय	१
२	बगरा	१	३१	सलीमपुर ..	१
३	कैलिया	१	३२	कैलुर	२
४	अराजी लाइन ..	१		**तहसील उरई**	
५	डिरौटी	१	३३	सुमई	१
६	नदीगाओं ..	२	३४	तुनसई	१
७	पिरौना	१	३५	गरहर	१
८	कमतरी	१	३६	उरई	१
९	पचीपुरी	१	३७	रूरा अडु ..	१
१०	सलइया बुजुर्ग ..	१	३८	कुसमिलिया ..	१
११	चन्दुररा	१	३९	कामथा	१
१२	कोंच	१	४०	पुर	१
१३	अडा	१		**तहसील कालपी**	
१४	सिकरी कोंच ..	१	४१	गुलौली मुसतकिल ..	१
	तहसील जालौन		४२	भभुआ	१
१५	उरगाओ ..	२	४३	जुलहूपुर	२
१६	घमना	१	४४	चन्दरासी ..	१
१७	सिरसा दो गढ़ी ..	१	४५	भेन्दी	१
१८	बिच्छौली ..	१	४६	बड़ागाओं ..	१
१९	तामवा	१	४७	इमलया खुर्द ..	१
२०	डिकौली	१	४८	कालूपी	१
२१	अबदुलपुर ..	१	४९	इकौना	१
२२	मनगढपुर मरोरी ..	१	५०	बबई	१
२३	गढ़गावन	१	५१	भदरेखी ..	१
२४	कुन्दुड	१	५२	पिपरायन ..	१
२५	जिपुरा	१	५३	कदोरा	१
२६	जगमनपुर ..	१	५४	हरचन्दपुर ..	१
२७	रामपुर	१	५५	परासन	१
२८	कसबा जालौन ..	१			

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३७३ एल० ए०—१९५९-८४० ।